लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
24-8-
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8—गुरुवार, 28 फरवरी, 1974/9 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 8—*Thursday, February* 28, 1874/*Phalguna* 9 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
121	संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का हिन्द महासागर में गतिविधि के बारे में सूचना मांगना	Reports called for by UN Secretary General on activities in Indian Ocean . . .	1–3
122	सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव	Proposal for Collective Security	3–5
124	हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज के कार्यकरण के बारे में जांच	Inquiry into Working of Hindustan Machine Tools . .	5
125	पोलैंड के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा	Visit by a Delegation from Poland	6–7
127	तमिल सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को वीजा देने से श्रीलंका द्वारा इन्कार करने का समाचार	Alleged Refusal of Visas by Sri Lanka to Foreign Delegates Attending Tamil Meet .	7–8
129	भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारियों का विदेशों में प्रशिक्षण	Training of Indian Defence Personnel Abroad . . .	8
130	कम्बोडिया की सिंहानुक सरकार को मान्यता देना	Recognition to Sihanouk Government of Cambodia .	8–10
135	इस्पात संयंत्रों का क्षमता से कम उपयोग	Under Utilisation of Steel Plants	10–13
136	कोयले के उत्पादन के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Coal Production	13–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
123	अगरतला में एक मेडिकल कालेज की स्थापना	Opening of a Medical College in Agartala	15
126	भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थ-यात्रियों को सुविधाएं	Facilities for Pilgrims between India and Pakistan . .	15

*किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—3 LSS (ND)/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
128	पांचवीं योजना की अवधि में रोजगार के अवसर	Employment prospects in Fifth Plan period. . . .	15–16
131	तिब्बत में चीनी सैनिक शक्ति	Chinese Troops Strength in Tibet	16
132	कोयले की सप्लाई के कारण दिल्ली में झगड़ा	Clashes in Delhi regarding Coal Supply	17
133	विजयनगर इस्पात परियोजना द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Vijayanagar Steel Project . . .	17
134	औद्योगिक एककों की सुरक्षा के काम में भूतपूर्व सैनिकों को लगाने संबंधी योजना	Scheme for Ex-Servicemen in Manning Security of Industrial Units	17
137	ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा एक पुल का निर्माण	Construction of a Bridge by China on Brahmaputra River .	18
138	वैगन प्राधिकरण की स्थापना	Establishment of Wagon Authority	18
139	एच० ए० एल०, एच० एम० टी०, बी० ई० एल० तथा बी० ई० एम० एल० के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हडताल	Token Strike by Employees of HAL, HMT, BEL and BEML	18
140	दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों को दिये गये आश्वासनों का पूरा किया जाना	Implementation of Assurances given to Delhi Hospital Nurses	19

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1202	बंगला देश द्वारा अगरतल्ला और शिलांग में वाणिज्य दूत कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Consulate Offices in Agartala and Shillong by Bangladesh . . .	19
1203	कर्मचारी भविष्य निधि और उपदान अधिनियमों को सर्कस उद्योग पर लागू करना	Application of E.P.F. and Gratuity Acts to Circus Industry	19
1204	कोचीन गोदी कर्मचारियों के बच्चों का कुपोषण से पीड़ित होना	Cochin Dock Workers' Children suffering from Malnutrition .	20
1205	तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Textile Workers of Tamil Nadu . . .	20
1206	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Working Journalists	20
1207	केरल को इस्पात की सप्लाई	Steel Supply to Kerala . .	20

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1208	केरल में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	Setting up of Military Training Centre in Kerala . . .	21
1209	गत तीन वर्षों में नेपाल को दी गई सहायता	Assistance to Nepal during Last Three years . . .	21
1210	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में श्रमिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Labour Training Centres in Madhya Pradesh during Fifth Plan . .	21
1211	मध्य प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामले	Criminal Cases under EPF Act in Madhya Pradesh . .	21–22
1212	साउदी अरब में भारतीय डाक्टरों की संख्या	Number of Indian Doctors in Saudi Arabia . . .	23
1213	पाकिस्तान द्वारा जल, थल और नभ सीमाओं का उल्लंघन	Land, Water and Air Space Violations by Pakistan . .	23
1214	फरांस में भारत के मूल निवासी	Persons of Indian Origin in France	23
1215	केरल में गावों में औषधालय स्थापित करने की योजना	Scheme for Rural Dispensaries in Kerala	23–24
1216	नकली औषधियां बनाने वाले कारखानों के स्थान	Locations of Unearthed Spurious Drug Factories . . .	24
1217	मध्य प्रदेश के वृद्ध और युवक व्यक्तियों के नसबंदी आपरेशन	Vasectomy Operations of Old and Young Persons of M.P. .	25
1218	ईंधन के लिये पृथक मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव	Proposal for a Separate Ministry for Fuel	25
1219	भारत और रूस के बीच हाल ही में हुए करारों के संलेखों का प्रकाशन	Publication of Protocols to recent Agreements between India and USSR	25–26
1220	नई दिल्ली में रूस और चेकोस्लोवाकिया के साथ वार्ता	Negotiations with USSR and Czechoslovakia in New Delhi	26
1221	फील्ड मार्शल की ब्रिटेन की यात्रा और नौसेनाध्यक्ष की सोवियत संघ की यात्रा	Field Marshal's Visit to U.K. and Naval Staff Chief's Visit to Soviet Union . . .	26
1222	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा 5000 श्रमिकों को रोजगार देने से इन्कार किया जाना	Refusal of Employment to 5000 workers by Coal Mines Authority	26–27
1223	प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी दौरे	Election Tours to Uttar Pradesh by Prime Minister and other Ministers . . .	27

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1224	बालीवाल और भुच्चों के बीच वायु सेना के विमान का दुर्घटना-ग्रस्त हो जाना	Crash of Air Force Plane between Balival and Bhuchcho .	27–28
1225	जिला, प्रदेश और राज्य स्तर पर खाद्य प्रयोगशालाओं का खोला जाना	Opening of Food Laboratories at District, Regional and State Levels	28
1226	वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राज्य में खाद्य अपमिश्रण के मामले	Food Adulteration cases in each State during 1972-73 . .	28–29
1227	जापान द्वारा उर्वरक की सप्लाई में कमी	Reduction in Supply of Fertilisers by Japan . . .	30
1228	नकली औषधियों की बिक्री के मामले में जांच	Inquiry into Sale of Spurious Drugs	30
1229	व्यापक ग्रामीण विकास योजना	Comprehensive Rural Development Scheme . . .	30–31
1230	आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते औषधालय	Mobile Dispensaries in Adivasi Areas	31
1231	सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा रिक्षा बनाया जाना	Rickshaw produced by Central Mechanical Engineering Research Institute . . .	32
1232	ई० एन० सी० ओ० एस०, केरल द्वारा स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters by ENCOS Kerala	32
1233	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of HMT Watches	32–33
1234	चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को कुष्ट रोग नियंत्रण हेतु आबंटित धनराशि	Funds allotted to States in Fourth Five Year Plan for Leprosy Control	33–34
1235	स्वचालित रिक्शों में बैठने की क्षमता में वृद्धि	Increase in sitting capacity of Autorickshaws . . .	34
1236	समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा कर्मचारियों को जबरन छुट्टी	Workers lay off by Newspapers and Periodicals . . .	34
1237	कपड़ा मशीन निर्माता उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता	Idle capacity in Textile Machinery Manufacturing Industry	34–35
1238	केरल में माल डिब्बा कारखाने की स्थापना	Establishment of wagon Factory in Kerala . . .	35
1239	उत्पादन संबंधी संकट	Production crisis . .	35
1240	चौथी योजना के दौरान माल डिब्बों के उत्पादन में कमी	Shortfall in Wagon production during Fourth Plan . .	35

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1241	जनसंख्या में वृद्धि पर रोक	Check on increase in population	36
1242	जाली कार परमिट कांड	Forged car permit case .	36
1243	राष्ट्रीय औद्योगिक असंतोष आयोग	National commission on Industrial unrest . . .	36–37
1244	1973 में बरबाद हुये जन दिवस	Man days lost in 1973 .	37
1245	रानीगंज कोयला पट्टी	Raniganj coal Belt . .	37–38
1246	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये प्लाट	Plots for settlement of East Pakistan displaced persons . .	38
1247	भारत हैवी इलैक्ट्रिक स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of Bharat Heavy Electricals Limited . .	38–39
1248	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में जांच करना	Inquiry into working of Heavy Electricals(India) Limited .	39–40
1249	रिचर्डसन एंड क्रुड्डास के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of Richardson and Cruddas . .	40–41
1250	उत्तर प्रदेश में केटरैक्ट (मोतिया बिन्द) आपरेशन्स	Cataract operations in Uttar Pradesh	41
1251	विदेश सचिव की गंगटोक यात्रा	Foreign Secretary's visit to Gangtok	41
1252	युद्ध के संबंध में आधुनिकतम विकास	Latest Development in Military Field	41–42
1253	अयस्क निर्यात नीति	Ore Export Policy .	42
1254	पाकिस्तान सेना में नई डिवीज़ने	New Divisions in Pak Army .	42
1255	भारी मात्रा में रुके पडे कोयले के स्टाक की ढुलाई	Movement of vast coal stocks blocked	42–43
1256	दिल्ली में कोयले के मूल्य	Coal Prices in Delhi . .	43
1257	फरीदाबाद स्थित औद्योगिक कारखानों को निलम्बित की गई इस्पात की सप्लाई	Supply of steel to Faridabad Industrial Units suspended .	43
1259	भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of Bharat Heavy Plates and vessels limited	43–44
1260	तुंगभद्रा स्टील लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में जांच करना	Inquiry into working of Tungabhadra Steel Ltd. .	44
1261	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of Bharat Pumps and compressors limited	44–45

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1262	कोयले का उत्पादन	Production of coal . .	45
1263	संगरोली कोयला खानों में रोजगार	Employment in Sengrauli coal Fields	45
1264	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड	Singareni Collieries Co. Ltd. .	46
1265	मध्य प्रदेश में ब्रिसिंहपुर पाली की कोयला खान में ठेके पर माल डिब्बे भरने वाली महिलाओं में असंतोष	Dissatisfaction among women contract Wagon loaders in coal Mine of Brisinghpur Pali, Madhya Pradesh . .	46
1266	दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की सामरिक गतिविधियां	Chinese strategic activities in South East Asia . . .	46
1267	पड़ोसी देशों में चीन द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां	Anti Indian activities by China in neighbouring countries .	47
1268	लघु एककों को इस्पात	Steel to Small Scale Units .	47
1269	गोआ की कोका-कोला कम्पनी द्वारा तालाबंदी	Lock out by Coca Cola Company of Goa . . .	47
1270	खाद्य सामग्री में मिलावट के बारे में न्यायाधीश लोकुर उप-समिति की सिफारिशें	Recommendations of Justice Lokur Sub-Committee on Adulteration of Food Stuff . .	48–49
1271	भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का विस्तार	Expansion of Geological Survey of India	50
1272	अल्जीयर्स सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करना	Impletmentation of Decision taken at Algiers Meet .	50–51
1273	डा० किसिंजर की प्रस्तावित भारत यात्रा	Proposed visit by Dr. Kissinger to India	51
1274	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार	Expansion of ESIS . .	51–52
1275	पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये नया मजूरी ढांचा बनाने के बारे में त्रिपक्षीय बैठक	Tripartite meeting on New Wage Structure for Port and Dock Workers	52
1276	स्वास्थ्य योजना के लिए धन का आबंटन	Allocation of Funds for Health Scheme	52–53
1278	रक्षा विज्ञान प्रयोगशालाओं में पदों का बनाया जाना	Creation of Posts in Defence Science Laboratories . .	53
1279	केरल की वर्ष 1973–74 के लिए इस्पात की मांग	Demand of Steel for Kerala during 1973-74 . .	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1280	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Public Sector Steel Plants	53–54
1281	केरल में भारी उद्योग	Heavy Industries in Kerala	54
1282	गांव नांगल राया, नई दिल्ली में किराए पर ली गई भूमि	Hired land of village Nangal Raya New Delhi	54–55
1283	एक उद्योग के लिए एक यूनियन	One Union for one Industry	55
1285	इंडियन कापर कारपोरेशन के मजदूरों का मांगपत्र	Charter of Demands from workers of Indian Copper Corporation	55–56
1286	मध्य प्रदेश का एयरोमगनेटिक सर्वेक्षण	Aero Magnetic Surveys of Madhya Pradesh	56
1287	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्यों में वृद्धि और हडतालों की संख्या	Coal price rise and strikes after Nationalisation of coal mines	56
1288	1963–65 के दौरान बर्मा से आने वाले लोगों को मुआवजा	Compensation to Persons who came from Burma during 1963-65	56–57
1290	विदेश मंत्री का भूटान का दौरा	Foreign Minister's Visit to Bhutan	57
1291	सी बैड के बारे में संयुक्त राष्ट्र म होने वाली चर्चा में भारत का दृष्टिकोण	Indian stand on Sea Beds in U.N. discussions	57–58
1292	राज्यों में कृषि मजदूरों की मजूरी	Wages of Agricultural workers in States	58
1293	भारी उद्योगों के लिए नियंत्रक कंपनियां	Holding companies for Heavy Industries	58
1294	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को घाटा	Loss to NCDC	58–59
1295	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के विवादों के न्याय निर्णय का अधिकार क्षेत्र	Jurisdiction of Disputes in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	59
1296	चीनी उद्योग में वेतन ढांचे का पुनरीक्षण	Revision of wage structure in Sugar Industry	59-60
1297	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात का लक्ष्य	Steel Target of Fourth Five Year Plan	60–61
1298	इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य को अंतिम रूप	Finalisation of Target of Steel	61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1299	चौथी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में दी गई चिकित्सा सुविधाओं के लक्ष्य की प्राप्ति	Achievement of Target of Medical Facilities provided to Andhra Pradesh in Fourth Plan	61–62
1300	आंध्र प्रदेश में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए चिकित्सा योजना	Medical Scheme for First Year of Fifth Plan of Andhra Pradesh	62
1301	"युद्ध पूर्व रोके गए व्यक्तियों" की अदला-बदली के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता	Agreement for Exchange of Pre-War Detainees between India and Pakistan . . .	62–63
1303	टेल्को एंड ट्यूब कम्पनी जमशेदपूर के बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की पुनः बहाली	Reinstatement of workers of TELCO and Tube Company, Jamsehedpur . . .	63
1304	पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को भूमि के स्वामित्वाधिकार देना	Grant of Land ownership rights to Refugees in West Bengal –	63
1305	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रोंमें भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industry in backward areas in Madhya Pradesh	64
1306	कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा सरकारी अस्पतालों के अहातों में ही प्राइवेट बहिरंग रोगी विभागों की स्थापना करना	Setting up of private OPDS within premises of Government Hospitals by Junior Doctors on Strike	64–65
1307	एशियाई देशों का समूह बनाने के लिए चीन का प्रस्ताव	Chinese proposal for Asian Nations Bloc	65
1308	मध्य प्रदेश में भारी/लघु इस्पात संयंत्र	Heavy/Mini Steel Plant in Madhya Pradesh . . .	65
309	बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या	State-wise number of unemployed persons . . .	65–67
1310	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Employees in Indian Embassies Abroad	67
1311	ट्रकों और कारों का निर्माण	Manufacture of Trucks and Cars	67–68
1312	वर्ष 1973 में देश में नसबंदी तथा बध्याकरण के आपरेशन	Vasectomy and Tubectomy Operations in the country in 1973	69
1313	पांचवीं योजना में गांवों में अस्पतालों की स्थापना	Setting up Rural Hospitals in Fifth Plan	70
1314	पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना पर होने वाले व्यय में भारत का अंश	India's share in Expenditure on U.N Peace Force in West Asia	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1315	उद्योगों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई	Adequate supply of coal to Industries	70–71
1317	विश्व उर्जा संकट पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	Proposed U.N. Session on World Energy Crisis	71
1318	नियमित साधनों से लोहा और इस्पात की उपलब्धि	Iron and Steel Material from regularised Sources . .	71–72
1319	विजाग में खड़े युद्धपोतों द्वारा राहत कार्य	Rescue work by Warships based at Vizag	72
1320	बेरोजगार विषयक विशेषज्ञ समिति के अंतरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of Recommendations of Interim Report of Expert Committee on unemployment	72–73
1321	खाद्य पदार्थों में हानिकारक रंग का उपयोग रोकने के लिए विधान	Use of Legislation to prevent hazardous colours in Foodstuffs	73
1325	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की प्रिंटींग एवं डाई कास्टिंग लाइन	Printing and Diecasting line of H.M.T.	73
1326	विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात कारखाने	Visakhapatnam and Vijayanagar Steel Plants	73
1327	पश्चिम कमांड के मुख्यालय को शिमला से चण्डीगढ ले जाना	Shifting of Headquarters of Western Command from Simla to Chandigarh	74
1328	पुनर्वास निदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दी गई सहायता	Assistance provided to Ex-servicemen by Directorate of Resettlement	74
1329	भारत से कुष्ट रोग के उन्मूलन की योजना	Plan for eradication of leprosy from India	74–75
1330	सेना के लिए भाखड़ा प्रबंध मंडल का भवन	Bhakra Management Board Buildings for Army . . .	75
1331	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों से परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने के लिए स्वदेशी जडी-बूटियां	Indigenous herbs for family planning through oral contraceptives	75
1333	भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि	Increase in pension of Ex-servicemen	76
1334	नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशियों को जमा कराने में चूक करनेके मामलों में वृद्धि	Increase in defaults in deposit of E.P.F. by employers . .	76–77

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1335	दिल्ली को साफ्ट कोक की सप्लाई	Supply of soft coke to Delhi .	77–78
1336	पाकिस्तान द्वारा अरब देशों के 'मिराज' विमान चालकों को प्रशिक्षण	Training to Arab States Mirage Pilots by Pakistan . .	78
1337	ऐल्युमिनियम के उत्पादन में कमी	Shortfall in production of Aluminium	78
1338	न्यूजीलेंड के प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श	Discussion with Prime Minister of New Zeland . . .	79
1339	शोर-शराबा कम करने के लिए विधान	Legislation to Curtail the Noise .	79
1340	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन पर व्यय	Expenditure on Family Planning during Fourth Five Year Plan	79–80
1341	तैयार इस्पात का उत्पादन	Production of finished Steel .	80–81
1342	भारत की विदेश नीति का समर्थन	Support to India's Foreign policy	81
1343	श्रमिकों के उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहन	Incentive to Workers to Boost Production . . .	81
1344	ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Workers of Glaxo Laboratories . .	81–82
1345	पश्चिम बंगाल में श्रमिकों में असन्तोष	Labour Unrest in West Bengal .	82
1347	ब्रिटेन के संसदीय गृह अवर सचिव के साथ हुए विचार-विमर्श	Discussions with British Parliamentary Under Secretary for Home Affairs . . .	82
1348	कोयले के नये निक्षेप	New Coal Deposits	83
1349	समझौते के लिए आई० ए० सी० के कर्मचारियों की अपील	Appeal by IAC employees for conciliation . . .	84
1351	खेमकरण सीमा पर पाक सेना का जमाव	Concentration of Pak Army on Khemkaran Border . .	84
1352	चीनी विशेषज्ञों द्वारा पाकिस्तान सेना को प्रशिक्षण	Training to Pakistan Army by Chinese Experts . . .	84
1353	दिल्ली में कान-नाक-गला विशेषज्ञ सम्मेलन	ENT Specialists conference at Delhi	85
1354	इस्पात संयंत्रों को पानी की सप्लाई हेतु गोदावरी मार्ग बदलने की योजना	Godawari diversion scheme for Water supply to Steel Plant .	85

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1355	सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन में कमी	Fall in production in Factories in Public Sector	85–86
1356	खेतड़ी तांबा परियोजना में उत्पादन	Production of Khetri Copper Project	86
1357	'अशोक लेलैंड तथा टेल्को' द्वारा यात्री बसों की चेसिसों का निर्माण	Manufacture of Passenger Bus Chassis by Ashok Leyland and TELCO	86
1358	देश में चेचक का रोग	Small Pox in the country . .	86–87
1359	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी महिलाओं के साथ विवाह	Marriages with Foreign Ladies by Indians in Embassies Abroad	87
1360	लघु उद्योग क्षेत्र में कच्चे लोहे की कमी	Shortage of Pig Iron in Small Scale Sector	87–88
1361	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण लोगों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का लक्ष्य	Target of Medical facilities for rural population in first year of Fifth Plan	88–89
1362	अलजियर्स में गुट निरपेक्ष ब्यूरों की बैठक	Non-Aligned Bureau Meet in Algiers	89
1363	इस्पात उद्योग में संकट	Crisis in Steel Industry . .	89–90
1364	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के विभिन्न कार्य करने वाले (बहु-उद्देशीय) श्रमिकों के लिए गठित की गयी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee set up for Multi purpose workers for Health and Family Planning	90
1365	पांचवीं योजना के अंत में ट्रैक्टरों की अनुमानित आवश्यकता	Estimated requirement of Tractors at the end of Fifth Plan .	91
1366	मिलावटी दवाइयों खाने से रोगियों की मृत्यु	Deaths due to taking Spurious Drugs	91
1367	इस्पात वितरण पद्धति	Steel Distribution System .	92–94
1368	सिक्किम में निर्वाचन	Elections in Sikkim	94
1369	अहमदाबाद के एक अस्पताल में मिलावटी ग्लूकोस सलाईन के प्रयोग से मृत्यु	Death due to Administration of Adulterated Glucose Saline in a Hospital in Ahmedabad	94
1370	नसबंदी आपरेशनों की गयी फर्जी प्रविष्टियां	Fake entries made of Vasectomy Operations	94
1371	अंग्रेजी, यूनानी, वैद्यक और होम्योपैथिक दवाइयों में मिलावट की जांच के लिए जांच आयोग	Inquiry Commission to enquire into Adulteration of Allopathic, Yunani, Ayurvedic and Homoeopathic Drugs.	95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1372	राज्यों द्वारा औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम को लागू करना	Enforcement of Drugs and Cosmetics Act by States .	95–97
1373	अधिकारियों के उपयोग लिए मिनी बसें	Mini Buses for use of Executives	97
1374	राजस्थान में केरल की नर्सिग छात्राओं को केन्द्रीय सरकार की सहायता	Central help to Kerala Nursing students in Rajasthan .	97–98
1375	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का यंत्रीकरण	Mechanisation of Nationalised Coal Mines . . .	98
1376	विशेषज्ञ डाक्टरों को सवारी भत्ते का भुगतान	Payment of Conveyance Allowance to Specialist Doctors .	98
1377	बर्मा में राष्ट्रीयकृत भारतीय प्रतिष्ठानों को मुआवजा	Compensation to Indian Enterprises Nationalised in Burma	99
1378	श्रीलंका से भारत वापस भेजे जाने वाले 75,000 व्यक्तियों की सम्पति के मुआवजे के लिए हुआ समझोता	Agreement for Compensation of property of persons to be repatriated from Sri Lanka .	99
1379	चीन द्वारा पारासल द्वीप समूह पर अधिकार करना	Chinese occupation of Paracel Islands	100
1380	बर्मा द्वारा वर्ष 1965 और 1967 के दौरान राष्ट्रीयकृत किए गए प्रतिष्ठानों की क्षतिपूर्ति	Compensation by Burma to Enterprises Nationalised in 1965 and 1967	100
1381	बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज तथा अन्य संगठनों में कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और उपदान अदायगी अधिनियम, 1973 का कार्यान्वयन	Implementation of EPF and FPF Act, 1952 and payment of Gratuity Act, 1973 in Bengal Chamber of Commerce and Industry and other Associations	100–101
1382	इस्पात संयंत्रों को गैसों की सप्लाई	Supply of Gases to Steel Plants .	101
1383	रक्षा उद्देश्यों के लिए सप्लाई किए जाने वाले इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के उत्पाद	Indian Oxygen Ltd. products supplied for Defence purposes	101
1384	सामरिक महत्व के उद्योग के रूप में इंडियन आक्सीजन	Indian Oxygen as a Strategic Industry	102
1385	कानपुर में एवरों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Avro in Kanpur	102

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1386	भारतीय डाक्टरों का अमरीका चले जाना	Out flow of Indian Doctors to USA	102–103
1387	हडतालों और तालाबंदियों के कारण औद्योगिक उत्पादनों में कमी	Loss of Industrial Production due to strike and Lock outs . .	103
1388	सुरक्षा कर्मचारियों का टेलीवीजन टैक्नालाजी में प्रशिक्षण	Training of Defence Personnel in Television Technology .	103–104
1389	रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को सप्लाई की गयी रम का स्तर	Standard of Rum supplied to Defence services personnel .	104
1390	ग्रामों में परिवार नियोजन	Family Planning in Villages .	104–105
1392	ठेका-मजदूरों को कम अदायगी और रोजगार कार्यालयों की मार्फत उनकी भर्ती	Less payment to contract Labour and their recruitment through Employment exchanges .	105
1393	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्यों की जांच	Inquiry into working of Mining and Allied Machinery Corporation	105–106
1394	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के कार्यों की जांच	Inquiry into working of Triveni Structurals Limited . .	106
1395	सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न अंगों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	Third Pay Commission's recommendations regarding various wings of Armed Forces .	106–107
1396	रक्षा कार्यों के लिए सामान खरीदने संबंधी प्रक्रिया	Procedures for Purchasing material for Defence purposes .	107
1397	रसायन व फार्मसी कर्मचारी संघ (कैमिस्ट एंड फार्मसिस्ट एम्पलाइज एसोसिएशन) का ज्ञापन	Memorandum from Chemists and Pharmacist Employees Association	107
1398	चांदी के वर्कों के प्रयोग पर पाबंदी	Prohibition of use of silver leaves	107–108
1399	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में परिवार नियोजन सहायता के लिए निर्धारित लक्ष्य	Target fixed for Family Planning Assistance in Rural/Urban Areas in 1st Year of Fifth Plan	108
1400	चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करना	Achievement of Medical Facilities target for rural areas in Fourth Plan . . .	108–109
1401	हिमाचल प्रदेश को परिवार नियोजन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग	Utilization of Central Assistance given for Family Planning to Himachal Pradesh . .	109

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दिनांक 20 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5591 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to U.S.Q. 5591 dated 20-12-73	109
बजट प्रस्तुत किये जाने के लिए सभा की बैठक के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा	Announcement by Speaker re. sitting of the House for presentation of the Budget .	110
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
महाराष्ट्र को केन्द्र द्वारा अपर्याप्त मात्रा में खाद्य सहायता दिये जाने के कारण बंबई में हुए खाद्य आन्दोलन का समाचार—	Food Agitation in Bombay owing to reported inadequate Central food assistance to Maharashtra—	
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	110–111
श्री फखरुद्दिन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed . .	110–114
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	115-119
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
36 वां प्रतिवेदन	Thirty-sixth report . .	119
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
16 वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report . .	119
मधुबनी को जाने वाली और वहां से आने वाली सभी यात्री गाडियों को रद्द किये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य—	Statement re. reported cancellation of passenger trains from and to Madhubani—	
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	119–120
कार्य मंत्रणा समिति —	Business Advisory Committee—	
37 वां प्रतिवेदन	Thirty-seventh Report . .	120
नियम 377 के अन्तर्गत मामले के बारे में	Re. Matter Under Rule 377 .	120–121
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on President's Address—	
श्री धामनकर	Shri Dhamankar . .	122
श्री के० बालकृष्णन	Shri K. Balakrishnan .	122–123
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman .	123
श्री फतेहसिंहराव गायकवाड	Shri Fatesinghrao Gaekwad	123–124
श्री वीरेन एंगती	Shri Biren Engti . .	124

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री वरके जार्ज	Shri Verkey George . .	125
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh .	125
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao.	126
श्री एस० एन० सिंह	Shri S. N. Singh	126
श्री डी० पी० धर	Shri D. P. Dhar .	126–128
श्रीमती एम० गौडफरे	Shrimati M. Godfrey .	129
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	129–130
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	130–132
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram . .	132
सामान्य बजट, 1974-75—प्रस्तुत किया गया	General Budget 1974-75—Presented	133–147
वित्त विधेयक, 1974—पु:रस्थापित किया गया	Finance Bill, 1974—Introduced	147–148

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार 28 फरवरी, 1974/9 फाल्गुन, 1895 (शक)
Thursday, February 28, 1974/Phalguna 9, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का हिन्द महासागर में गतिविधि के बारे में सूचना मांगना

*121. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की नौसैनिक गतिविधियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भारत और अन्य तटवर्ती देशों से सूचना मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र की 28 वीं महा सभा ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से निवेदन किया था कि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति पर उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक तथ्यिक विवरण तैयार करें, विशेष रूप से उनके नौसैनिक नियोजन के संदर्भ में, बड़े राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता को ध्यान में रखते हुए । सभा ने यह भी सिफारिश की कि यह विवरण उपलब्ध सामग्री पर आधारित हो और महासचिव द्वारा चुने गये विशेषज्ञों और सक्षम निकायों की सहायता से तैयार किया जाय । इस कार्य में सहायता देने के लिए महासचिव ने तीन विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी है जिसमें एक भारत से है ।

श्री हरि किशोर सिंह : मेरा प्रश्न विशिष्ट है । संयुक्त राष्ट्र महासचिव कुछ जानकारी चाहते हैं और इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं । भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? सर्वप्रथम, मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं । इसके बाद मैं अनुपूरक प्रश्न पूछुंगा । माननीय मंत्री ने इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में उल्लेख नहीं किया है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कोई जानकारी नहीं मांगी है । संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये न तो भारत को पत्र लिखा है और न ही अन्य किसी तटवर्ती देश को पत्र लिखा है ।

2—3 LSS(ND)/74

श्री हरि किशोर सिंह : हिन्द महासागर को राजनीतिक अड्डा बनाने और बड़े राष्ट्रों, विशेषकर अमरीका द्वारा नौसैनिक अड्डों का निर्माण करने के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार अमरीका द्वारा नौसैनिक अड्डों का विद्यमान रहना और उनका स्थापित करना भारत की सुरक्षा के लिये खतरा समझती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस विषय पर सदन में अनेक बार चर्चा की जा चुकी है और इस मामले में सरकार की नीति से भी सदन को अनेक बार अवगत कराया जा चुका है। हम अनेक बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि हम हिन्द महासागर में विश्व की किसी भी बड़ी शक्ति द्वारा नौसैनिक अथवा सैनिक अड्डा स्थापित करने के विरुद्ध है और हम यह अनुभव करते है कि डिआगो गार्शिया में उत्पन्न नई स्थिति से इस क्षेत्र में तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा और ऐसा करना संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित संकल्प तथा गुटनिर्पेक्ष देशों द्वारा लिये गये निर्णयो का उल्लंघन होगा। अत: इस मामले में हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या भारत सरकार इस प्रश्न पर तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाने के बारे में पहल करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा गुटनिर्पेक्ष देशों के सम्मेलन में पहले ही चर्चा की जा चुकी है और हम इस विषय पर बडी संख्या में देशों से सम्पर्क स्थापित किये हुए है। अतः अब हम इस विषय पर सम्मेलन बुलाना आवश्यक नहीं समझते, लेकिन किसी भी स्थान पर गैर-सरकारी स्तर पर सम्मेलन होता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका सरकार ने डिआगो गार्शिया पर निर्माण कार्य आरम्भ करने, वहां अड्डे को आधुनिक बनाने, पत्तन को गहरा करने, हवाई पट्टी का विस्तार करने आदि के लिये 30 करोड़ डालर व्यय करने की सार्वजनिक रुप से घोषणा की है, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि डिआगो गार्शिया कोचीन से दिल्ली की तुलना में अधिक निकट है क्या सरकार का विचार इस मामले को गम्भीरता से लेने का और अमरीका सरकार को इससे अवगत करने का नहीं है कि उसके लिये ऐसा करना हमारे देश के साथ अमित्रता की कार्यवाही होगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम अमरीका तथा ब्रिटेन को इस बारे में अपने विचारों से अवगत करा चुके है। हम इसका विरोध करते हैं। हम यह अनुभव करते है कि ऐसा करने से यहां तनाव उत्पन्न होगा, ऐसा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has stated in reply to a question that Government of India is not thinking of convening any new conference, but if a Conference takes place we will welcome it .

Taking into consideration the importance of the problem, I want to know whether the Government intend to raise this issue in U.N.O.

Shri Surendra Pal Singh : The matter has already been raised in U.N.O.

श्री पी० जी० मावलंकर : इस तथ्य के अतिरिक्त कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत और अन्य तटवर्ती देशों से इस विषय पर विशिष्ट जानकारी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, क्या वह भारत के विशेषज्ञों के नाम देंगे ? क्या भारत इस मामले पर संयुक्त परिषद में शीघ्र विचार करने के बारे में पहल करेगा ? सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पहल न करने के क्या कारण है ? सरकार इस मामले को तटवर्ती देशों पर क्यों छोड़ रही है और फिर इस महत्वपूर्ण और गम्भीर मामलों में उनका साथ क्यों दे रही है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारतीय विशेषज्ञ का नाम श्री सुब्रह्मण्यम है और वह रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संसाधन के निदेशक है। जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है मैं इस बारे में सदन के पहले ही सूचित कर चुका हूं कि इस मामले पर हम बहुत चिन्तित है। हम बहुत बड़ी संख्या में तटवर्ती देशों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। हम वहाँ उत्पन्न हुई स्थिति को पसन्द नहीं करते। हमने सब सम्बद्ध देशों को अपने विचारों से अवगत कर दिया है और हम इसके विरुद्ध विश्वमत तैयार कर रहे हैं। यह मामला पहले ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के विचाराधीन है और इस कार्यवाही के विरुद्ध जो भी किया जाना सम्भव है हम कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या आप यह मामला सुरक्षा परिषद में उठा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हमारा यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाने का विचार नही है क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हमे इस मामले में वास्तविक स्थिति को समझना होगा। अमरीका और ब्रिटेन ने उक्त अड्डा स्थापित करने का संयुक्त प्रयास किया है। वे दोनों ही देश सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य है और सुरक्षा परिषद् में एक नकारात्मक मत किसी भी निर्णय अथवा चर्चा को समाप्त करने के लिये पर्याप्त हैं। हमें इस बारे में वास्तविक स्थिति को समझना चाहिये और इस भावना में नहीं बहना चाहिये कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है।

सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव

*122. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सामूहिक सुरक्षा के बारे में भारतीय जनता के बढ़ते हुए उत्साह के संबंध में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की अपनी नीति के अनुरूप सरकार ऐसे सभी प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है जो एशिया को शांत और स्थायित्व प्राप्त क्षेत्र बनाने में सहायक हो सकते है। हमारे विचार से ताकत का इस्तेमाल न करना, सभी देशों की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, किसी के आंतरिक मामलों में दखल न देना और समानता तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर एशिया के सभी देशों में आर्थिक एवं अन्य सहयोग का अधिकाधिक विस्तार करना आदि कुछ ऐसे सिद्धांत है जिन पर चलने से इस लक्ष्य में निश्चित योगदान मिलेगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सामूहिक सुरक्षा के बारे में आस्ट्रेलिया सरकार अथवा उन अन्य देशों से सुझाव प्राप्त हुए है जो विश्व के इस क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा में रुचि लेते है?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं। अभीतक हमे ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठायेगी क्योंकि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने का दायित्व उसका है और चुंकि इस अड्डे की डिआगो गार्शिया पर स्थापना किये जाने से शान्ति स्थापित करने का प्रयोजन बुरी तरह प्रभावित होता है। क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा से अनुरोध करेगी कि वह उक्त संकल्प पूरा करने के लिये स्वयं कार्यवाहि करे? क्या हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने सम्बन्धी संकल्प को पारित कराने का अमरीका ने समर्थन किया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प 95 मतों से पारित किया गया था। इसके विपक्ष में कोई मत प्राप्त नहीं हुआ था। 33 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सब स्थायी सदस्यों ने संकल्प पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर संकल्प रखा था और संकल्प के पक्ष में मतदान किया था।

मैं यह बताना चाहूंगा कि 15 देशों की तदर्थ समिति गठित की गई है और वे देश निम्नलिखित हैं :—

आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जापान, मेडागास्कर, मलेशिया, मारिशयस, पाकिस्तान, श्रीलंका, तंजानिया, यमन और जाम्बिया। उक्त तदर्थ समिति इस मामले पर विचार कर रही है। इस उत्तर से माननीय सदस्य को अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है कि सरकार का इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कार्यवाही करने का विचार है। हमारा यह मत है कि इस ग्रुप की गतिविधियों को तेज किया जाना चाहिये और उन्हें आगे कार्यवाही करनी चाहिये जिससे संयुक्त राष्ट्र परिषद् के संकल्प का उद्देश्य पूरा हो सके।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न सामूहिक सुरक्षा के बारे में भारतीय जनता के बढ़ते हुए उत्साह से सम्बन्धित था लेकिन डिआगो गार्शिया का मामला फिर से उठाया गया है, जिसका पिछले प्रश्न से सम्बन्ध था।

डा० हरी प्रसाद शर्मा : क्या चीन द्वारा पारासल द्वीप पर जबरदस्ती कब्जा करने और स्पैरैटली द्वीप समूह के मामले को हल करने में ताकत का प्रयोग करने की धमकी के परिणामस्वरुप सामहिक सुरक्षा संघ की हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन उत्पन्न हुआ है और क्या इस सम्बन्ध में भारत तथा अन्य सम्बन्धित देशों के बीच पत्र-व्यवहार हुआ है।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से उक्त प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होगा। पारासल द्वीप समूह का मामला हमारे से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है।

श्री रानेन सेन : जहां तक एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में श्री ब्रेजनेव ने भारत की यात्रा के समय एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, क्या भारत सरकार ने श्री ब्रजनेव द्वारा प्रस्तुत ठोस प्रस्तावों पर विचार किया है और यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की संयुक्त बैठक में श्री ब्रेजनेव ने अपने भाषण में सामूहिक सुरक्षा पर जोर दिया था। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ने उनका भाषण सुना होगा और मुझे इस बारे में इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री ब्रेजनेव के भाषण की मुख्य बात यह थी कि इस विचार को अन्य देशों के समक्ष रखा जाना चाहिये और इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

यदि आप श्री ब्रेजनेव के भाषण का फिरसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो आप यह अनुभव करेंगे कि उन्होंने योजना का कोई ब्योरा नहीं दिया है। उनके भाषण का सार यह था कि इस विषय पर इस क्षेत्र के देशों द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

श्री रानेन सेन : इस विचार के बारे में मैं भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : भारत सरकार कि इसके बारे में यह प्रतिक्रिया है यह विचार अच्छा है और इस पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री रानेन सेन : किस जगह ?

श्री बी० के० दास चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीकी सशस्त्र नियंत्रण यू० ए० आर्म्स कन्ट्रोल के उप-निदेशक श्री जूरहेलॉर ने कुछ दिन पूर्व यह घोषणा की थी कि हिन्द महासागर क्षेत्र में, विशेष रूपसे डिआगो गार्शिया में, ब्रिटेन और अमरीकी ब्लाक द्वारा किसी नौसैनिक अड्डे अथवा वायु सेना स्टेशन, की स्थापना उनके राष्ट्रीय हित में होगी, और भारत सरकार के इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाने से कोई लाभ नहीं होगा, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि एशियाई सुरक्षा संधि अथवा सामूहिक सुरक्षा संधि का कार्य तेज करने के बारे में क्या विशेष कार्यवाही की जायेगी जिससे हिन्द महासागर तथा इस क्षेत्र में स्थित अन्य देशों की संयुक्त सुरक्षा हो सके।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : माननीय मंत्री ने एशियाई देशों से इस क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा की गतिविधियां तेज करने की बात कही है। भारत का राष्ट्रमंडल में महत्वपूर्ण स्थान है और श्री लंका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डिआगों गार्शिया में स्थापित अड्डों के बारे में भारत सरकार के विचारों का समर्थन करते हैं, तो क्या भारत सरकार का विचार इस मामले को राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में उठाने का है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह विचार है। इस पर विचार किया जायेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कार्यकरण के बारे में जांच

*124. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के गत दो वर्षों में कार्य करने की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमिततायें पायी गयी हैं; और

(ग) इन कमियों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और इसके सभी एककों के कार्य और कार्यकरण की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है। कोई भी अनियमितताएं ध्यान में नहीं आई है। प्रबंध, इष्टतम उत्पादन और उत्पादों के विविधीकरण के क्षेत्र में संगठन की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस उपक्रम के सम्बन्ध में, उपक्रम की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया था ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : सरकारी उपक्रम समिति ने किसी भी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया है। इसने केवल विशेष प्रयोजन वाली मशीनों के निर्माण में कुछ विशेष उत्पादों को बदलने के संबंध में सुधार करने का सुझाव दिया है। समिति ने सुधार के लिए सुझाव दिए हैं ताकि किन्हीं अनियमितताओं की ओर संकेत किया है।

श्री एम० एम० जोजफ : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एकक लाभ पर चल रहा है अथवा कि हानि पर ?

श्री टी० ए० पाई : इसने अभी लाभ कमाना शुरू नहीं किया है।

पोलैण्ड के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

*125. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड के एक प्रतिनिधि मण्डल ने हाल में हमारे देश की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ किन किन विषयों पर चर्चा हुई और उनके साथ हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत पोलैंड संयुक्त आयोग को वारसा में हुई पहली बैठक के पश्चात् नवम्बर, 1973 में हुए समझौते के अनुसरण में खनन उद्योग तथा मशीनरी पर पोलैंड के कार्यकारी दल ने भारतीय दल के साथ विचार विमर्श हेतु 6 फरवरी से 14 फरवरी, 1974 के बीच भारत का दौरा किया । पोलैंड तथा भारतीय दोनों ही पक्षों ने पिछले सहयोग पर पुनर्विचार किया और उसे विभिन्न क्षेत्रों तक बढ़ाने, इसे मजबूत बनाने की संभावना पर विचार किया । पोलैंड के दल ने झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के संबंध में एक अनुपूरक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा 1978-79 तक कोकिंग कोयले का उत्पादन 180 लाख टन से बढ़ा कर 240 लाख टन तक करने के बारे में उपाय सुझाने के लिए सहमति प्रकट की । अन्य निर्णय उपकरणों, विस्फोटकों तथा फालतू कल पुर्जों की पूर्ति और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव के बारे में थे ।

श्री भान सिंह भौरा : मैं यह जानना चाहता हूं कि कोयला खानों को छोड़कर किन अन्य क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ?

श्री सुबोध हंसदा : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पोलैंड के दल के साथ जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई उनमें झरिया कोयला क्षेत्र का विकास और आयोजन, तकनीकी संस्थान की स्थापना, उपकरणों की सप्लाई, विस्फोटक, हिन्दुस्तान कॉपर लि० के साथ सहयोग और फालतू कलपुर्जों की पूर्ति इत्यादि सम्मिलित हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जैसाकि मेरे सहयोगी ने बताया है कि हिन्दुस्थान कॉपर के विकास के संबंध में विशेष चर्चाएं की गई हैं; हिन्दुस्थान कॉपर लिमिटेड और कोपेक्स के बीच आपस में भी बातचीत हुई ।

श्री भान सिंह भौरा: मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि वह हमारे तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रशिक्षण भारत में दिया जाएगा कि पोलैंड में । यदि पोलैंड में दिया जाएगा तो हमारे तकनीशियन वहां कब तक जाएंगे और क्या इस प्रशिक्षण के लिए तकनीशियनों का चयन कर लिया गया है ?

श्री सुबोध हंसदा : प्रशिक्षण संस्थान भारत में खोला जाएगा और वह लोग पोलैंड से अपने विशेषज्ञ भारत में तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए भेजेंगे ।

Shri R. N. Sharma : Jharia coal field is being developed in collaboration with Poland. As against a sum of Rs. 48 crores that have been earmarked for the development of all the mines of the country a sum of Rs. 60 crores have already been spent there on the development of only two coal mines at Jharia.

Mr. Speaker : You have drifted from the question.

Shri R. N. Sharma : It concerns technical and mechanical development of coal fields. After spending 60 crores rupees on the mines the work is yet incomplete, and it is not certain how much more money will be needed for them. I want to know whether the developent of all the coal mines will be done on the same basis or any other method is being devised of the development involves such a huge lay of capital, all we going to extract gold or coal from the mines?

श्री सुबोध हंसदा : यह सच है कि हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शायद माननीय सदस्य सुदामदी कोयला खान के बारे में उल्लेख कर रह हैं जोकि भारत की सबसे गहरी खान है। इसमें कई कठिनाइयां हैं। हम वहां से अनुभव प्राप्त कर रह हैं और उस अनुभव का उपयोग भविष्य में किया जायेगा ?

तमिल सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को वीजा देने से श्रीलंका द्वारा इन्कार करने का समाचार

*127. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्रीलंका सरकार तमिल सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत सहित अन्य देशों के प्रतिनिधियों को वीजा देने से इन्कार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जालना में 3 से 9 जनवरी, 1974 तक तमिल अध्ययन पर हुए चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका सरकार ने किसी भारतीय को वीजा देने से इनकार किया हो। हमें इस बात की भी सूचना नहीं है कि क्या अन्य देशों के लोगों को भी वीजा देने से इनकार किया गया था यद्यपि इस सम्मेलन में भारत के अलावा ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाड़ा, हंगेरी एवं मलेशिया जैसे कई देशों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : भारत से कितने प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ?

श्री स्वर्ग सिंह : मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 12 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के एक प्रतिनिधि को श्रीलंका ने वीजा देने से इन्कार कर दिया और वह सिंगापुर की ओर से वीजा प्राप्त करके श्रीलंका गया और उसने सम्मेलन में भाग लिया। इस बात का पता चलने के बाद श्रीलंका के अधिकारी उस विशेष प्रतिनिधि के खिलाफ हो गये थे और कहा जाता है कि सम्मेलन के अन्त में उठने वाली सभी समस्याओं की जड़ यही बात है जिसके परिणामस्वरूप दस व्यक्ति मारे गये और कई अन्य घायल हुए।

हाल ही में श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती सिरीमावो बन्दारनायके ने भारत का दौरा किया और हमारी प्रधानमंत्री से बातचीत की। यह बातचीत सम्मेलन के बाद हुई है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दोनों प्रधानमंत्रियों की आपसी बातचीत में इस विषय पर भी चर्चा की गई थी ?

श्री स्वर्ग सिंह : माननीय सदस्य द्वारा दी गई इस जानकारी से मैं अवगत नही हूं कि एक विशेष सज्जन को श्रीलंका की ओर से वीजा नहीं दिया गया और उसे वह सिंगापुर की ओर से प्राप्त हुआ मुझे विषय के बारे में जानकारी नहीं अतः मैं इस संबंध में कुछ कह नही सकता ...

श्री डी० एन० तिवारी : हो सकता है वह उन्हें सिंगापुर में प्राप्त हुआ हो ।

श्री स्वर्ण सिंह : सिंगापुर में हमारे मिशन से? यदि उन्हें वीज़ा वहां से मिला और वे श्रीलंका तो ठीक है ।

यह सच है कि सम्मेलन की समाप्ति पर संगठनकर्ताओं ने 10 जनवरी को जनसभा आयोजित करने का निर्णय किया ताकि काफी संख्या में लोग प्रतिनिधियों को बोलते हुए देख सके । भीड़ कुछ व्यग्र हो गई और पुलिस द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा रहा था तो उच्च तनाव वाली बिजली की तारें गिर पड़ी जिसकी वजह से 7 लोगों की बिजली का धक्का लगने से मृत्यु हो गई और भगदड़ की वजह से 20 अन्य श्रीलंका के नागरिक घायल हो गए इसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई तथा अन्य घायल हुए । यही सूचना हमें प्राप्त हुई हैं ?

भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारियों का विदेशों म प्रशिक्षण

*129. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के तीनों अंगों में से प्रत्येक अंग के और प्रतिरक्षा उत्पादन एककों के कितने कर्मचारी इस समय अमरीका, ब्रिटेन, रुस तथा अन्य देशों में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सैनिक अफसरों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति, सशस्त्र सेनाओं में उनकी कार्य आवश्यकताओं और सम्बद्ध उपस्कर से सम्बन्धित है । अतः ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

श्री शंकर राव सावन्त : अगर मंत्री महोदय बाहर भेजे गए व्यक्तियों की संख्या नहीं बता सकते तो कम से कम उन देशों के नाम तो बता सकते है जहां कि इन व्यक्तियों को भेजा हुआ है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उन देशों के नाम बता सकता हूं जहां कि हमारे अधिकारी गए हुए हैं । उन देशों के नाम हैं सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इरान और इंडोनेशिया ।

श्री शंकरराव सावन्त : भेजे गए कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : 68 ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अब संतुष्ट हैं ।

श्री शंकरराव सावन्त : जी हां ।

कम्बोडिया की सिंहानुक सरकार को मान्यता देना

*130. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया की सिंहानुक सरकार को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक मान्यता दिये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) और (ख) भारत सरकार कम्बोडिया की स्थिति को गौर से देख रही है जो कि अभी तक बराबर अस्थिर बनी हुई है । सभी संबद्ध बातों को ध्यान में रखकर समुचित समय पर निर्णय लिया जाएगा ।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारों ने कम्बोडिया की सिहानुक सरकार को मान्यता दे दी है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने इस प्रश्न पर अन्य मित्र देशों से चर्चा की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि विभिन्न देशों ने राजकुमार सिहानुक की अध्यक्षता में बनी सरकार को मान्यता दे दी है और हम भी इस विषय पर विचार कर रहे हैं तथा राजकुमार सिहानुक की सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए हुए हैं । वास्तव में हमने ही राजकुमार सिहानुक की अध्यक्षता में बनी सरकार को गुट निरपेक्ष देशों में सम्मिलित करने का समर्थन किया । उनके प्रतिनिधि ने अल्जीरिया में हुए गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लिया वहां हमारे उनसे अच्छे संपर्क रहे तथा हमने उनका समितियों और सामान्य सत्र में पूरा पूरा सहयोग दिया । कम्बोडिया सरकार के विदेश मंत्री की अल्जीरिया में मुझसे पृथक वार्ता भी हुई । प्रधानमंत्री और राजकुमार सिहानुक की भी एक बैठक हुई । हम राजकुमार सिहानुक का बहुत सम्मान करते हैं तथा हमें कम्बोडिया के शांतिप्रिय लोगों, जिन्होंने इतना कुछ सहा, के प्रति सहानुभूति है । हम उनकी सरकार से तथा अन्य मित्र देश सरकारों से संपर्क बनाए हुए हैं ।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने सिहानुक सरकार को मान्यता दे दी है । मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । इस प्रश्न के सम्बन्ध में उनकी किन देशों से वार्ता हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं । सरकार उस देश की सरकार को मान्यता देने में क्या आपत्ति है जबकि आपने स्वयं गुट निरपेक्ष देशों में उनको सम्मिलित कराने का प्रायोजन किया । जब भारत ने उन्हें अनौपचारिक रूप से मान्यता दे दी है तो पूरी तरह मान्यता देने में क्या कठिनाई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : 57 देशों ने राजकुमार सिहानुक की अध्यक्षता में बनी सरकार को मान्यता दे दी है । देशों के नामो के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यदि वह चाहते हैं तो नामों की सूची की एक प्रति मैं सप्लाई कर दूंगा । माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि मान्यता देने में क्या कठिनाई है । कठिनाई तो कुछ विशेष नहीं है फिर भी मान्यता देने के लिए कुछ उचित समय की आवश्यकता होती हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह उचित नहीं है कि हम अल्जीरिया में हुए अच्छे काम, जबकि राजकुमार सिहानुक से हमारा सम्पर्क स्थापित हुआ, का शीघ्र अनुसरण करें ताकि इस दौरान हमारे पारस्परिक संबन्धों में जो खराबी आ गई थी उसे शीघ्र दूर किया जा सके ।

श्री स्वर्ण सिंह : राजकुमार सिहानुक की सरकार के साथ हमारे सम्बन्ध कभी खराब नहीं हुए है हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : जल्दी निर्णय लेने के लिए हम यथासंभव प्रयास कर रह है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा स्थिति बहुत अस्थिर है और वह उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान स्थिति में भारत विएतियान की किसी भी सरकार को मान्यता नहीं दे रहा है क्या हमने लोन नोल सरकार को भी मान्यता नहीं दी है । यदि स्थिति अस्थिर है तो हम किसी भी सरकार को तब तक मान्यता नहीं देनी चाहिए जब तक हम अपना दृढ़ निश्चय न कर लें ।

श्री स्वर्ण सिंह : कम्बोडिया में भेजे गए हमारे पिछले राजदूत ने अपना परिचय पत्र राजकुमार सिहानुक को दिए थे । उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के बाद हमने कोई अन्य राजदूत वहां नहीं भेजा । अत: वही उसी राजदूत द्वारा पेश किए गए पुराने वाले परिचय पत्र लागू है और जब तक हम उन्हें वापिस नहीं बुलाते तो स्थिति वही रहेगी जो परिचय पत्र प्रस्तुत करने के समय थी ।

कम्बोडिया की राजधानी पर लोन नोल की अध्यक्षता में बनी सरकार का नियंत्रण है इस लिए हमें अपना एक आदमी वहां रखना पड़ा पर राजदूत स्तर का व्यक्ति नहीं रखा जा सकता। हमारा पिछला आदमी भी वहां से चलने का था मेरा विचार है वह वहां से चल पड़ा है। अतः वर्तमान स्थिति यह है कि राजधानी अभी भी वास्तविक रूप से लोन नोल के नियन्त्रण में है और हमारा वहां कोई राजदूत नहीं है।

इस्पात संयंत्रों का क्षमता से कम उपयोग

\+
***135. श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों की क्षमता से कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार उनका पूरी क्षमता के अनुसार कब तक उपयोग कर सकेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) लगभग पिछले 4 वर्षों में इस्पात कारखानों में क्षमता का कम उपयोग होने के कई कारण हैं जो प्रत्येक कारखाने तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग हैं। मोटे तौर पर मुख्य कारण ये थे :—(1) कोक ओवन बैटरियों का संतोषजनक ढंग से कार्य न करना (2) रख-रखाव का काम बाकी रह जाना जिससे उपस्करों में खराबियां आई और काम बन्द हो गया (3) अपेक्षित किस्म की तापसह ईंटों की अपर्याप्त उपलब्धि (4) जुलाई, 1971 में राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मेल्टिंग शाप की छत गिर जाना (5) 'टिस्को' में प्रतिस्थापन/मरम्मत तथा संधारण कार्यक्रमों की अपर्याप्तता (6) दुर्गापुर इस्पात कारखाने और 'इस्को' तथा कुछ हद तक राउरकेला इस्पात कारखाने में मालिक मज़दूर सम्बन्ध अच्छे न होना और (7) बिजली न मिलना तथा इसकी सप्लाई पर प्रतिबन्ध।

चालू वित्त वर्ष के दौरान दो बड़े कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिन में पहला कारण बिजली की सप्लाई में भारी कटौती तथा रुकावट जो विशेषतः अप्रल-नवम्बर, 1973 तक चलती रही। इस का प्रभाव सम्पूर्ण झरिया कोयला क्षेत्र पर पड़ा जिससे कोयला शोधनशालाओं तथा कोयला खानों के परिचालन में कमी आई। इससे इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं हो सका, परिणामस्वरूप इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण रेलवे में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति प्रतिकुल होने के कारण रेल यातायात में विशेषतः दक्षिण पूर्वी और पूर्वी रेलवे द्वारा माल लाने ले जाने में गंभीर रूप से बाधा आई जिसके परिणामस्वरूप इस्पात कारखानों को कोयला और दूसरा कच्चा माल पहुंचाने तथा कारखानों से तैयार उत्पाद ले जाने पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा और कच्चे माल की न्यूनतम आवक को देखते हुए उत्पादन कार्यक्रम में भारी कमी करनी आवश्यक हो गई।

(ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कई अन्तारिक तथा बाह्य कारणों पर निर्भर करता है। गत दो वर्षों की तुलना में 1972--73 के दौरान इस्पात कारखानों के अधिक उत्पादन को देखते हुए बाद में 1973–74 में अधिक उत्पादन तथा उसके बाद उत्पादन में क्रमिक वृद्धि होने की आशा हो गई थी परन्तु जिस तरह चालू वित्त वर्ष में मुख्यतः बिजली में कटौती, रेल यातायात तथा कोयले की सप्लाई की स्थिति का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है उससे ऐसी आशा पूरी होती नजर नहीं आती है। तदनुसार यह कहाना कठिन है कि प्रत्येक कारखाने का उत्पादन स्तर कब तक क्षमता के निकट स्तर तक पहुंच जाएगा। तथापि यथा संभव कम से कम अवधि में उत्पादन को इष्टतम स्तर तक लाने की हर कोशिश की जा रही है और की जाती रहेगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में निर्धारित क्षमता प्राप्त न करने के कुछ कारणों का उल्लेख किया गया है। कारण चाहे कुछ भी रहे हों, इस्पात का उत्पादन देश के लिए अति आवश्यक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धारित क्षमता के अतिरिक्त क्या हिन्दुस्तान स्टील प्राप्य क्षमता प्राप्त कर सकता है जैसा कि उसने गत तीन वर्षों में निर्धारित की थी। यदि नहीं, तो प्राप्य क्षमता प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ?

Shri Sukhdev Prasad : As far the question of rated capacity is concerned, Hindustan Steel Ltd. has not achieved its rated capacity during these three years and there are certain reasons for this. Firstly, all our steel plants were affected due to acute power shortage. Secondly, due to labour trouble our rail movement was affected to the extent that coking Coal and other raw material, necessary for steel plants, could not reach the plants, with the result rated capacity could not be achieved.

Shri Nawal Kishore Sharma : My question was not about rated capacity . It is for the Management to decide how much quantity is to be produced and this is called attainable capacity. I would like to know whether attainable capacity which may also be called target capacity has been achieved during three years, if not, the reasons therefor?

Shri Sukhdev Prasad : As far the question of rated capacity is concerned, I made the mention of rated capacity simply because we fix our targets after achieving rated capacity and target was fixed keeping in view the full capacity. But if there is power shortage, inadequate rain and labour trouble, then difficulties arrive and these are the factors responsible for not achieving our targets.

Mr. Speaker : Shri Nawal Kishorji, why you are putting him in trouble. Rated and attainable capacity is one and the same thing.

श्री नवल किशोर शर्मा : निर्धारित एवं प्राप्य क्षमता में अन्तर है। यदि मंत्री महोदय अपना रिकार्ड देखें तो उन्हें अन्तर पता लग जाएगा। परन्तु दुर्भाग्यवश वह इसके लिए तैयार नहीं हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): कुछ कठिनाईयां रही हैं; उनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में रही हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कठिनाईयां दूर कर दी हैं; लेकिन कुछ कठिनाईयां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम उन्हें भी दूर करने के प्रयत्न कर रहे हैं। हमें प्राप्य क्षमता प्राप्त नहीं हुई है। कठिनाईयों को दूर करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे, चाहे वे तकनीकी हों अथवा मजदूरों एवं प्रबन्धकों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ने के कारण उत्पन्न हुई हों। ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं और हमें आशा है कि अगले कुछ महीनों में हम उन्हें दूर कर लेंगे और प्राप्य क्षमता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

Mr. Speaker : You did not agree with Shri Sukhdev Prasad, but you have agreed to what Shri Malviya said.

Shri Nawal Kishore Sharma : I have faith in the capacity of hon. Minister. उत्पादन में कमी आने का एक कारण सम्भवतः उष्मसहों का अभाव या कमी है। अभाव समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्री के० डी० मालवीय : उष्मसहों की स्थिति हाल ही में सुधरी है। गत दो वर्षों के दौरान, उष्मसहों की सप्लाई पर्याप्त नहीं थी और हमें आवश्यक मात्रा का आयात करना पड़ा। लेकिन हाल ही में उष्मसहों की स्थिति सुधरी है लेकिन हमें आशा है कि सुधार किया जाएगा।

Shri Jagannathrao Joshi : Mr. Speaker, Sir, Target was fixed for steel production in the end of second five year plan. But now it is being said that target could not be achieved due to power shortage etc. Targets which were not achieved during second five year

plan should have been achieved in third five year plan. But they have not been achieved. What the reasons therefor ?

Shri K. D. Malviya : The result of third five year plan were not so dissatisfactory. But reasons which have been mentioned now are facts. It takes years for the improvement of steel plants and then they are stabilized there are long terms plans. But due to some limitations, shortages, we are not able to achieve our targets. Factories in private sector took decades to achieve their targets of production. Therefor, keeping in view the difficulties of steel plant, we will find that our progress is quite satisfactory.

Shri Jagannathrao Joshi : I would like to to know the difficulties because of which the targets of second five year plan could not be achieved.

Mr. Speaker : It has been mentioned in the statement.

श्री समर गुह : पूरी क्षमता के उपयोग की बात तो दूर रही मुझे संदेह है कि नए मंत्री वर्तमान क्षमता के उपयोग के लिए नई प्रेरणा जगा सकेंगे। प्रत्येक समाचार पत्र में छप रहा है कि वर्तमान क्षमता कम हो रही है। दुर्गापुर की कोक भट्टीयों के असंतोषजनक कार्यकरण पर गत दो वर्षों से चर्चा हो रही है। कोक भट्टियों के सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है? दूसरे, दुर्गापुर रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थित है। अतः रानीगंज से, केवल 2 या तीन मील दूर दुर्गापुर को कोयला सप्लाई करने में क्या कठिनाई है ताकि इन दो रुकावटों को दूर किया जा सके? इस दिशा में क्या कार्यवाही जा रही है? क्या कम से कम इस्पात संयंत्रों को दामोदर घाटी निगम की बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी प्राप्य क्षमता वाली बात अभी तक समझ नहीं आई!

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश यह बात सच है कि दुर्गापुर की कोक भट्टि बैटरी की स्थिति उतनी अच्छी या संतोषजनक नहीं है जितनी हम चाहते थे। इसके कई कारण हैं। हमने तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखा है और स्थिति सुधारी है। रख-रखाव में भी सुधार किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, ये समस्याए जारी रहने वाली हैं। लेकिन हम इनका मुकाबला कर रहे हैं और अनुभव होते होते हम इन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। हाल ही में सुधार हुआ था, परन्तु फिर इसमें गिरावट आई है। कोक भट्टि बैटरियां, जो पर्याप्त मात्रा में कोयले की मात्रा प्राप्त नहीं कर सकती, मंद पड़ जाती हैं जिससे तकनीकी संभाव्यता-उत्पादिकता तथा चालू क्षमता प्रभावित हो जाती है। हम इन स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कोयले की सप्लाई में सुधार हुआ है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हालांकि मंत्री महोदय यह मानते है कि जिस भी काम को वह अपने हाथ में लेते हैं उसमें विशेष जानकारी की सहायता से काम करते हैं, फिर भी मैं यह जानना चाहता हू कि उत्पादिकता के इस्पात के कोर क्षेत्र में पूर्ण कुशलता के अच्छे परिणामों की आशा किए बिना पूर्ण क्षमता प्राप्त की जा सकती है?

व्यवसायी विशेषज्ञों को इस्पात संयंत्रों को सौंपे बिना यह कैसे सम्भव हो सकता है? क्या इस दिशा में वह साहसपूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे प्रश्न स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : वह विशेषज्ञों को काम सौंपने की बात कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उत्पादिकता के पूर्ण कुशलता के अच्छे परिणामों की आशा व्यवसायी विशेषज्ञों को काम सौंपे बिना कैसे की जा सकती है? क्या मंत्री महोदय सामान्य प्रशासकों को हटाकर व्यवसायी विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे?

श्री के० डी० मालवीय : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि व्यवसायी विशेषज्ञों को लगाना वांछनीय है और इनके प्रबन्ध के लिए उनकी आवश्यकता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह महत्वहीन बात है, केवल अभिलाषापूर्ण धारणा है।

श्री के० डी० मालवीय : हम नीति विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे।

Shri Chandulal Chandrakar : Is it not a fact that a decision was taken to set up a refractory plant at Bhilai in 1971? But, even after two, threre years, negligible progress has taken place. In the absence of refractory plant factory work has come to stands still. I would like to know the reasons for delay in setting up refractory plant? Is it due to the vested interest of private sector?

Shri K. D. Malviya : It is a fact that refractories are supplied by private Sector. We will try to set up refractory plant in Bhilai Steel plant also.

कोयले के उत्पादन के लिए द्रुत कार्यक्रम

*136. **श्री वसंत साठे :**

श्री राम कंवर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले का उत्पादन 8 करोड़ टन से बढा कर 14.5 करोड़ टन करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के परिव्यय वाला द्रुत कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की उल्लेखनीय बातें क्या हैं और कितने विदेशी सहयोग की मांग की गई हैं; और

(ग) बिजली-घरों और कोयला खानों तथा कोयला खानों और रेलवे के बीच समन्वय के सुधार के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिए गए कोयला संबंधी कार्यक्रम में यह परिकल्पित किया गया है कि चालू वर्ष में प्राप्त हो जाने वाले 790 लाख टन कोयले के उत्पादन लक्ष्य को बढा कर 1978–79 के लिए 1350 लाख टन कर दिया जाए, जिसके लिए कुल 737 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। वर्तमान तेल-संकट के संदर्भ में इस कार्यक्रम पर पुनः विचार किया जा रहा है। झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण तथा केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान की स्थापना में पोलैंड का सहयोग लिया जा रहा है। सिंगरौली और कोरबा कोयला क्षेत्रों में बड़ी ओपन-कास्ट खानों और रानीगंज कोयला क्षेत्र में एक बड़ी भूमिगत खान के विकास में रूसी सहयोग के लिए भी हाल में ही एक समझौता किया गया है।

(ग) बिजलीघरों और कोयला खानों के बीच तथा कोयला खानों और रेलवे के बीच पहले से ही तालमेल है तथा सभी स्तरों पर इस तालमेल में सुधार के लिए हर-संभव प्रयास किया जा रहा है।

श्री वसंत साठे : क्या कार्यक्रम की समीक्षा उत्पादन बढाने के लिए की जा रही है क्योंकि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने वष 1978–79 में 14 करोड़ 30 लाख टन की मांग का अनुमान लगाया है जब कि आपका लक्ष्य केवल 13 करोड़ 50 लाख का है इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादन में कमी होगी। आपके वक्तव्य के अनुसार तेल संकट को ध्यान में रखते हुए मांग अब भी अधिक है। बड़े पैमाने पर कोयला निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुबोध हंसदा : यह सच है कि कोयला तथा लिग्नाइट सम्बन्धी टास्क फोर्स ने 14 करोड़ 30 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु योजना के मसौदे में लक्ष्य कम करके 13 करोड़ 50 लाख कर दिया गया है परन्तु हाल ही में ईंधन की कमी के कारण कुछ पुनर्विलोकन किया गया है और योजना आयोग ने कई कार्यकारी दल स्थापित किए हैं तथा कोयला कार्यक्रम सम्बन्धी पंचम पंचवर्षीय योजना से इनका सम्बन्ध है तथा ऐसे कई विषय हैं जिन पर कार्यकारी दल काम कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : क्या यह सच है कि पश्चिमी डिवीजन जिसमें मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल हैं, में कोल माइन्स एथोरिटी लिमिटेड के फीगर्स के अनुसार कोयला निक्षेप है और कोयला निष्कर्षण केवल 160 लाख टन है। इसका अर्थ हुआ कोयला निक्षेपों का केवल एक हजारवां भाग हालांकि कोयला ओपन-कास्ट खानों में उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में श्रमिक सस्ती मजदूरी पर मिल जाते हैं तथा रोजगार सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए सरकार रोजगार प्रधान खनन योजना क्यों नहीं बनाती और इस क्षेत्र में कोयला खनन का बृहत कार्यक्रम क्यों नहीं बनाती जबकि कोयला खनन बहुत कम है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं माननीय मित्र द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं। वस्तुतः ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए हमें कोयले की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कोयला उत्पादन कार्यक्रम की अतिशीघ्रता के आधार पर समीक्षा की जा रही है और हमने लगभग यह निर्णय कर लिया है कि आगामी वर्ष में उत्पाद 900 लाख टन की बजाय 950 लाख टन होना चाहिए। मुझे आशा है कि धीरे धीरे अगले दो सप्ताह के अन्दर हमें पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। जहां तक पश्चिमी जोन का सम्बन्ध है, मेरे विचार में उतना उत्पादन नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने सम्मेलन बुलाए हैं और हम इस सम्बन्ध में निर्णय लेने ही वाले है जिससे ओपन कास्ट खनन प्रणाली जिससे और अधिक रोजगार भी मिलेगा और कोयले की अधिक मात्रा भी प्राप्त होगी, के माध्यम से उत्पादन में तीव्र वृद्धि होगी।

श्री वसंत साठे : क्या आप मुख्य कार्यालय को नागपुर अथवा अन्य स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया।

Shri Hukam Chand Kachwai : In answer to the question the hon. Minister has stated that Government want to increase production with Russia's assistance. I would like to know what sort of assistance Government need from them and what are the reasons for not increased production? Is it a fact that production has come down after nationalisation of coal mines, if so, whether Government is prepared to abandon the policy of nationalisation?

Shri K. D. Malviya : It is not a fact that production has come down after nationalisation. But it is true that we want to increase production with Russian and Polish assistance. because both the countries are experienced in this field. We will welcome the assistance given by them. Although some of the hon. Members are not in favour of such assistance yet it is necessary.

Shri Hukam Chand Kachwai : I wanted to know the nature of assistance. Does the Government want financial assistance or technical assistance?

Shri K. D. Malviya : Financial assistance is not of much importance. There are countries which are more experienced than our country in the matter of extracting coal from coal mines and they are producing 600-700 million tonnes. If we also avail their experience, there will be nothing wrong in it. We want their machinery as well as experience and we will exchange certain things.

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच है कि 8 करोड़ उत्पादन का वर्तमान अनुमान वस्तुतः कम अनुमान है जो कि गैर-सरकारी मालिकों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आधारित है और 1000 करोड़ रुपये की धनराशि 135 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने के लिए आवश्यक नहीं है।

श्री के० डी० मालवीय : इस समय इन आंकड़ों की जांच करना, सही करना, विरोध करना अथवा समर्थन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। हमने 13.5 करोड़ टन कोयले के उत्पादन के लिए 735 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया है। सभी आंकड़ों को लगातार पुनरीक्षित किया जा रहा है और शायद हम कम व्यय करके यथानुपात अधिक उत्पादन कर सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अगरतला में एक मेडिकल कालेज की स्थापना

*123. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने का प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और भावी योजनाएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० करण सिंह): (क) और (ख) अगरतला में मेडिकल कालेज खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं

*126. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को पाकिस्तान से इस आशय का कोई पत्र मिला है कि एक देश से दूसरे देश जाने वाले तीर्थ-यात्रियों को सुविधाएं देने के लिये विद्यमान करार को पुनः सक्रिय बनाया जाये;

(ख) क्या भारत ने इसका कोई उत्तर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर का ब्यौरा क्या है और उसके बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि सदन को मालुम है, शिमला करार के पैरा 3 में उल्लिखित विभिन्न सामान्यीकरण-उपायों पर अमल करने के प्रश्न पर बातचीत आरम्भ करने के लिए पाकिस्तान के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है। विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में आदान-प्रदान भी इन उपायों में से एक है। दोनों देशों के बीच तीर्थयात्रियों का आवागमन भी इसी मद का एक अंग है और दोनों देशों के बीच उपयुक्त समझौते के पैरा 3 के प्रावधानों पर अमल करने के बारे में सहमति होते ही इनका आना-जाना फिर शुरु हो सकता है।

पांचवी योजना की अवधि में रोजगार के अवसर

*128. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने का है,

(ख) यदि हां; तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है तथा कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा;

(ग) इस समय बेरोजगार व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा; और

(घ) चौथी योजना की अवधि में बचे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (घ) सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भारी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार अवसर प्रदान करने का इरादा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उल्लिखित रोजगार एवं बेरोजगारी सम्बन्धी मुख्य लक्ष्यों और नीतियों में निम्नलिखित पहलुओं पर पर्याप्त बल दिया है :— (एक) श्रम-प्रधान कार्यक्रमों में निवेश द्वारा सवेतन रोजगार अवसरों का सृजन करना, (दो) कृषि, लघु उद्योग, वाणिज्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में स्व-नियोजन का विकास करना; (तीन) समाज के निबल वर्गों को रोजगार देने के लिए विशेष प्रयास करना, (चार) नाम-मात्र नियुक्त व्यक्तियों की आमदनी बढ़ाना, (पांच) कृषि क्षेत्र को सदृढ़ बनाना ताकि इसमें भूमि का प्रभारी पुनर्वितरण, उधार निवश, विपणन, सूखी खेती के तकनीकों के विकास तथा अन्य निवेश सुविधाओं जैसे उपायों को अपना कर कृषि और इससे सम्बन्धित पशुपालन, मुर्गीपालन जैसे कार्यकलापों में अधिक संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को खपाया जा सके, (छ) लघु किसान विकास अधिकरण सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक अभिकरण, ग्रामीण, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे से पीड़ित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम जैसी विभिन्न विशिष्ट स्कीमों का विस्तार करना तथा उन्हें जारी रखना, (सात) अधिक प्रभावी परिवार नियोजन आन्दोलन चलाना। (आठ) कृषि में कुछ चुने हुए यंत्रों का प्रयोग करना, (नौ) आर्थिक विकास की मांग की पूर्ति के लिए, शैक्षणिक प्रणाली का पुनर्निधारण करना, (दस) बेरोजगार व्यक्तियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण योजना बनाना ताकि इन्हें रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके और (ग्यारह) विभिन्न रोजगारोन्मुख स्कीमों के शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वियन के लिए सभी स्तरों पर प्रशासनिक मशीनरी में तीव्र गति लाना।

तिब्बत में चीनी सैनिक शक्ति

*131. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तिब्बत में चीन के सैनिकों की संख्या 30,00,000 से अधिक हैं और उन्होंने भारतीय सीमा लद्दाख के साथ रुडोक के निकट एक बहुत बड़ा "राडार और मिसाईल कम्प्लैक्स" स्थापित कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत उनकी इस कार्यवाही को एशिया की शांति के लिए खतरा समझता है; और

(ग) यदि हां, तो जहां तक भारत की सुरक्षा का संबंध है, भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चीन ने तिब्बत में 1,00,000 से अधिक सैनिक लगाए हुए हैं। सरकार को जानकारी है कि पश्चिमी तिब्बत में चीन के राडार स्टेशन हैं। तथापि, तिब्बत में मिसाईल स्थापित करने के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) सीमा के पार गतिविधियों से एशिया के सभी देशों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। तिब्बत में सभी सम्बन्धित गतिविधियों की निगरानी रखी जाती है और हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय उनका ध्यान रखा जाता है।

कोयले की सप्लाई के कारण दिल्ली में झगड़ा

*132. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में दिल्ली में कोयले की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण कोयले की दुकानों पर कुछ झगड़ हुए थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : कोयले की टालों पर लगी लाइनों को तोड़ कानून और व्यवस्था भंग करने की कुछ छुट-पुट घटनाओं की पुलिस को रिपोर्ट मिली है और इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

बिजयनगर इस्पात परियोजना द्वारा की गई प्रगति

*133. **श्री के० लकप्पा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विजयनगर इस्पात परियोजना में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चालू हो जायेगी ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कर्नाटक में विजयनगर में लगाये जाने वाले इस्पात कारखाने की 20 लाख टन पिण्ड क्षमता के आधार पर तैयार किए गये तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन में परामर्शदाताओं ने भारी आवर्ती हानि होने की आशंका व्यक्त की थी । इस कारखाने की आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए कई अध्ययन किए गये थ जिनके फलस्वरुप इस कारखाने की क्षमता लगभग 30 लाख टन रखने का फसला किया गया था । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड इस आधार पर विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने के लिए कारवाई कर रही है ।

इस बीच भूमि-अर्जन कार्य किया जा रहा है तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अध्ययन किये जा रहे हैं । प्रारंभिक कार्यों के लिए प्रायोजना प्रबन्धक राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ सतत सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

औद्योगिक एककों की सुरक्षा के काम में भूतपूर्व सैनिकों को लगाने संबंधी योजना

*134 **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय औद्योगिक एककों की सुरक्षा के काम में सेवा-निवृत्त सनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को लगाने की एक नई योजना पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना का ध्येय भूतपूर्व सैनिकों से एक औद्योगिक टास्क फोर्स बनाने का है; और

(ग) योजना की विशेष बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

3—3 LSS(ND)/74

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा एक पुल का निर्माण

*137. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर लम्बा पुल बनाया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को चीन द्वारा बनाये गये इस पुल की जानकारी है। यह पुल चीन की सीमा में आता है।

वैगन प्राधिकरण की स्थापना

*138. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **भारी उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वैगनों का निर्माण करने वाले विभिन्न एककों के उत्पादन तथा उन कार्यों का समन्वय करने के लिये एक वैगन प्राधिकरण स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख) मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाले एककों को व्यापक सेवायें प्रदान करने के लिये एक कम्पनी की स्थापना करने का प्रस्ताव है। मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण करने वाले एकक इक्विटी में भाग लेंगें। रेल मंत्रालय के परामर्श से कार्य-विधियों का पता लगाया जा रहा है।

एच० ए० एल०, एच० एम० टी०, बी० ई० एल० तथा बी० ई० एम० एल० के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

*139. **चौधरी राम प्रकाश :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० ए० एल०, एच० एम० टी०, बी० ई० एल० तथा बी० ई० एम० एल० के कर्मचारियों ने 29 जनवरी, 1974 को सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या मांगें हैं ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ग) एच० ए० एल० के नासिक और कानपुर प्रभागों को छोड़कर इन उपक्रमों के कर्मचारियों ने, मजूरियों और भत्तों के संशोधन से संबंधित अपनी मुख्य मांग के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल की थी। प्रबन्धकों ने उनकी मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि और कमी के सम्बन्ध में मजूरी के संशोधन और महंगाई भत्ते के समंजन की व्यवस्था करता है।

दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों को दिये गये आश्वासनों का पूरा किया जाना

*140. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत हड़ताल के दौरान दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों को दिये गये सभी आश्वासन इस बीच क्रियान्वित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया संख्या एल० टी०** 6260/74]

Proposal to set up consulate offices in Agartala and Shillong by Bangladesh

1202. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Bangladesh Government have sought concurrence for setting up Consulate Offices in Agartala and Shillong; and

(b) if so, the response of Government of India thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) & (b) Government of India have conveyed their approval to the Government of a Bangladesh for the establishment of a Bangladesh Assistant High Commission at Shillong and a Bangladesh Visa Office at Agartala.

कर्मचारी भविष्य निधि और उपदान अधिनियमों को सर्कस उद्योग पर लागू करना

1203. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री श्रीकान्तन नायर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सर्कस उद्योग प्रसुती लाभ अधिनियम के अन्तर्गत आ गया है, सरकार का विचार सर्कस उद्योग को भविष्य निधि और उपदान अधिनियमों के अन्तर्गत लाने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सर्कस उद्योग के लिए सेवा-शर्तें निर्धारित करने और न्यूनतम मंजूरी लागू करने के लिए कानून बनाने का है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 सर्कस उद्योग के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है यदि वे किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में फिलहाल लागू किसी कानुन के अर्थ के अन्तर्गत प्रतिष्ठान है और यदि उन में दस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन नियोजित थे। सर्कस उद्योग पर 31 मई, 1963 से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 पहले ही लागू है।

(ख) सर्कस उद्योग के लिए सेवा शर्तें निर्धारित करने सम्बन्धी कोई विधान पेश करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक यह न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सर्कस उद्योग के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारें, 'समुचित सरकारें' हैं ।

कोचीन गोदी कर्मचारियों के बच्चों का कुपोषण से पीड़ित होना

1204. **श्री डी० डी० चन्द्र गौंडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन गोदी कर्मचारियों के 70 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं ;

(ख) क्या अधिकांश बच्चे पोलियों, ड़िफथेरिया और जिगर की खराबी से पीड़ित हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह संदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1205. **श्री एस० ए० मरुगनन्तम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा उद्योग कर्मचारी हड़ताल पर है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर तमिलनाडु के कपड़ा कर्मचारियों के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यत: राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । उपलब्ध सूचनानुसार, बम्बई में कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के एक भाग द्वारा 30 दिसम्बर, 1973 से की गई हड़ताल वापस ले ली गई बताई गई है । तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल 1 फरवरी, 1974 से चालू हुई । राज्य सरकार मामले पर ध्यान दे रही है और हड़ताल को समाप्त करवाने के लिए अपने प्रयास जारी रख रही है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

1206. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच श्रमजीवी पत्रकारों के लिए एक मजूरी बोर्ड गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए एक नया (तीसरा) मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया है । इस बोर्ड के कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्णय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

केरल को इस्पात की सप्लाई

1207. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के लघु औद्योगिक एककों को लोह तथा इस्पात की सप्लाई की स्थिति में हाल ही के महीनों में सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े उस राज्य के उद्योगों को इस आवश्यक कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

1208. **श्री वयालार रवि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के लोग राज्य में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये लगातार मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राज्य में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी मांगों की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, केन्नौर में रक्षा सुरक्षा कोर केन्द्र स्थापित हैं। केरल में इस समय ऐसी कोई अन्य स्थापना स्थापित करने की सम्भावना नहीं है।

Assistance to Nepal during last Three years

1209. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the total assistance given by Government of India to Nepal during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The total assistance given by the Government of India to Nepal during the period from April 1970 to March 1973 amounts approximately to Rs. 25.64 crores.

Setting up of labour training centres in Madhya Pradesh During Fifth Plan

1210. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken to set up Labour Training Centres in Madhya Pradesh during the Five Year Plan; and

(b) if so, the number and locations thereof?

The Minister of Labour (Shri Raghunath Reddy) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Criminal Cases under E. P. F. Act in Madhya Pradesh

1211. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of. **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of criminal cases are pending against the owners of mills, mines and commercial establishments in Madhya Pradesh under the Employees Provident Funds Act, 1952; and

(b) if so, the number of such cases, establishment-wise, district-wise and industry wise?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) : On the basis of the in formation supplied by the Provident Fund authorities a statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing the number of criminal cases which are pending against the owners of mills, Mines and Commercial establishments in Madhya Pradesh under the Employees Provident Funds Act.

S.No.		No. of Cases
	List of cases Establishment-wise	
1	Gowari Wadhona Mine (West)	12
2	Gowari Wadhona Mine (East)	10
3	Miragpur Mine, Miragpur	2
4	Sukli Mine, Sukli	2
5	Gowari Wadhona Mine (East)	6
6	Chakheri Mine, Ramgitola	2
7	Hathoda Mine	2
8	Kaochidora Mine	2
9	M.B. Khadi Sangh, Gwalior	2
10	Korea Stores Jharkhand Distt. Sarguja	10
11	Pahari Stone Lime Quarry, Maihar	3
12	Krishna Deo Cotton Mills, Jablapur	6
		59
	List of cases Industry-wise	
1	Mines	41
2	Trading & Commrcial	12
3	Textiles	6
		59
	List of cases District-wise	
1	Chhindwara	30
2	Balaghat	8
3	Sarguja	10
4	Gwalior	2
5	Jabalpur	6
6	Satna	3
		59

Number of Indian Doctors in Saudi Arabia

1212. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government propose to ascertain the number of Indian doctors in Saudi Arabia through the Indian Embassy; and

(b) if so the gist thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) and (b) Various Indian Embassies including Saudi Arabia have been asked to collect and send information about the number of Indian Doctots abroad as on 31-3-1973, which is awaitedi

Land water and air space violations by Pakistan

1213. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defecne** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5639 on the 20th December, 1973 regarding violation of Borders, Territorial Waters and Air Space by Pakistan and to state:

(a) the number of times Indian borders, territorical waters and Air-Space have been violated after the 15th December, 1973 upto this date; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to check such violations?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Between 15-12-73 and 23-2-74 wherewere 7 land violations and 3 air violations committed by Pakistani forces. There been no violation of our territorial waters by Pakistani Naval Ships.

(b) Such incidents are sought to be resolved or prevented through flag meetings between local commanders. Our security forces are maintaining constant vigilance on the borders and have orders to take firm action where necessary.

Persons of Indian Origin in France

1214. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minisater of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ascertain through Indian Embassy the number of persons of Indian origin in France at present; and

(b) the gist thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केरल में गांवों में औषधालय स्थापित करने की योजना

1215. **श्री रामचन्द्रन कडनपाल्ली** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में गावों में जिलावार बड़ी संख्या में औषधालय स्थापित कराने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बाते क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू):(क) और (ख) 1972-73 के दौरान केरल सरकार ने विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से 50 प्रतिशत सहायता लेकर ग्रामों में 201 सरकारी औषधालय खोले। 1973-74 के दौरान पचास लाख लोगों के लिये रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में 100 और सरकारी औषधालय खोले जाने की सम्भावना है। बात यह है कि उन पंचायतो में औषधालय खोलने का विचार है जहां कोई चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इन औषधालयों की सांखि कृति हेतु पंचायतों या स्थानीय लोगों को औषधालय खोलने के लिए बिना किराये की इमारतें देनी होंगी। बाद में उन्हें अपने खर्च पर एक एकड़ भूमिखण्ड पर औषधालय की इमारत बना कर सरकार को मुफ्त सौंपनी होगी।

एक ग्रामीण औषधालय पर वर्ष भर में लगभग इस प्रकार खर्च आयेगा :--

	रुपये
1. आवर्ती व्यय	
1. वेतन और यात्राभत्ता	17,000.00
2. दवाइयां	10,000.00
3. फुटकर और अन्य खर्चे	1,000.00
2. अनावर्ती व्यय	
1. डाक्टरी साज सामान और फर्नीचर इत्यादी की खरीद पर	18,000.00
योग	46,000.00

Locations of Unearthed Spurious Drug Factories

1216. Shri B. S. Chowhan :

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleasd to state :

(a) the number and locations of the factories manufacturing spurious drugs unearthed during the last one year ; and

(b) the action being taken in respect of each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) According to information received in respect of 19 States and Union Territories, 13 spurious drug factories were unearthed during the last one year as indicated below :—

No. and Location	Action taken
4—Delhi	Cases registered with Police and under investigation.
1—Kerala	Under investigation.
8—West Bengal	6 cases are under investigation and 2 cases have been filed.

Vasectomy operations of old and young persons of M.P.

1217. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether people of 60 years of age or even more have been brought for Vasectomy operations in Madhya Pradesh, particularly in the rural areas and whether vasectomy operations have also been performed on minor boys ; and

(b) whether any non-Government agency besides the Government is running family planning scheme in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) No such specific cases have come to the notice of the Government of India, capable of verification.

(b) Voluntary organisations are also associated with the Family Planning Programme.

इंधन के लिए पृथक मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव

1218. श्री वसंत साठे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूवैज्ञानिकों और कोयला विशेषज्ञों ने उर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केन्द्रमें इधन के लिए पृथक मंत्रालय बनाने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण वैज्ञानिक अधिकारी एसोसिएशन ने भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा खनिज अनुसंधान का एक पृथक मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया है ताकि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण को खनिज विकास क्षेत्र में उसे सौंपे गए कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक मान्यता और महत्व दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के विभिन्न संवर्गों की सेवा शर्तों के संबंध में कुछ बाते उठाई हैं। इस समय एक पृथक इंधन मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत और रूस के बीच हाल ही में हुए करारों के संलेखों का प्रकाशन

1219. श्री मधु दण्डवते : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ब्रेजनेव की भारत की यात्रा के दौरान भारत और सोवियत रूस के बीच हुए विभिन्न करारों के संलेख प्रकाशित नहीं किये गये हैं और संसद के समक्ष नहीं रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के महासचिव ब्रेजनेव की यात्रा के दौरान 29 नवम्बर, 1973 को निम्नलिखित अभिलेखों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन्हें दि० 30 नवम्बर, 1793 को विदेश मंत्री ने सदन की मेज पर रखा था भारत-सोवियत संघ संयुक्त घोषणा, आर्थिक एवं व्यापार सहयोग और अधिक बढ़ाने के लिए समझौता, योजना आयोग तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्री संघ की राज्य योजना समिति के बीच सहयोग के लिए समझौता, और कौंसली अभि समय। केवल योजना मंत्री तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की राज्य योजना समिति के अध्यक्ष के बीच जिस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थें, उसे सदन की मेज पर नहीं रखा गया था।

(ख) प्रोतोकोल सदन की मेज पर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसमें सहमत-कार्यवृत्त का संदर्भ दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय परम्परा है कि अधिकारियों के बीच हुए विचार विमर्श का कार्यवृत्त प्रकाशित नहीं किया जाता और इन्हें गुप्त-अभिलेख माना जाता है। सोवियत पक्ष इस मामले भी इसी परम्परा का अनुकरण किया जाना-चाहेगा

नई दिल्ली में रूस और चेकोस्लोवाकिया के साथ वार्ता

1220. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में जब रूस और चेकोस्लोवाकिया के साथ बातचीत की गई थी तब मास्को (रूस) और प्राग (चेकोस्लोवाकिया) स्थित हमारे दूतों को आमंत्रण नहीं किया गया था; और

(ख) क्या किसी देश में शासक दल के अध्यक्षों और संवैधानिक अध्यक्षों के साथ वार्ता के लिए सरकार के प्रोटोकोल अलग-अलग हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ तथा चेकोस्लोवाकिया से हाल ही में नई दिल्ली में जो वार्ताएं हुई उनमें मास्को और प्राग स्थित हमारे राजदूत भी उपस्थित रहे।

(ख) मौजूदा परिपाटी के अनुसार जब भी कोई राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष भारत की यात्रा पर आता है तो परामर्श के लिए मिशन के प्रमुख को भी बुलाया जाता है। किसी समाजवादी देश के सत्ताधारी दल के प्रमुख के साथ हम वही प्रोतोकोल बरतते है जो कि किसी राज्याध्यक्ष के साथ बरता जाता है।;

फील्ड मार्शल की ब्रिटेन की यात्रा और नौसेनाध्यक्ष की सोवियत संघ की यात्रा

1221. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्ड मार्शल, श्री मानेकशा की गत वर्ष ब्रिटेन की यात्रा के मूल कारण क्या थे; और

(ख) नौसेनाध्यक्ष की इस वर्ष सोवियत संघ की यात्रा के विशेष कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेनाध्यक्ष पद का कार्यभार छोड देने के पश्चात फील्ड मार्शल माणेकशा को ब्रिटिश चीफ आफ जनरल स्टाफ द्वारा ब्रिटेन का दौरा करने के लिए निमंत्रित किया गया। इसका अभिप्राय भारत और ब्रिटेन की सशस्त्र सेनाओं के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाना था।

(ख) सोवियत नौसेना प्राधिकारियों के साथ अपनी हित की बातों पर विचार विमर्श करने के लिए नौसेनाध्यक्ष ने सोवियत संघ को गए नौसेना प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा 5000 श्रमिकों को रोजगार देने से इंकार किया जाना

1222. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण के उन 5000 श्रमिकों को रोजगार देने से इंकार कर दिया है जो बिहार में कोयला तोड़ते हैं और मुहानों पर जमा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1973 से अकोककर कोयला खानों का उत्पादन अपने हाथ में ले लेने के बाद प्रबंधक मंडल ने सभी कामगारों की जिन्होंने पिछले मालिकों की नौकरी में होने का दावा किया था, स्वर्गीय इस्पात और खान मंत्री द्वारा विभिन्न ट्रेड युनियनों के प्रतिनिधियों के साथ पहली फरवरी, 1973 को हुई एक बैठक में तय की गई प्रक्रिया के अनुसार संवीक्षा की तथा जिनके दावे सही पाये गए उन्हें नौकरी में ले लिया गया । कुल मिलाकर यह मामला हल हो चुका है । यद्यपि कुछ संघ कुछ और कामगारों को नौकरी पर लिए जाने का दावा कर रहे हैं । परन्तु यह संभव नहीं है क्योंकि कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन पहले ही पर्याप्त कामगार है ।

प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के उत्तर प्रदेश में चुनाव सम्बन्धी दौरे

1223. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश में चुनाओं के सम्बन्ध में विमान से कितनी बार चुनाव दौरे किये; और

(ख) उनपर कितनी धन राशि खर्च हुई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम): (क) 6 फरवरी से 23 फरवरी 1974 की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री ने भारतीय वायु सेना के विमान/हैलिकाप्टरों द्वारा उत्तर प्रदेश का गैर-सरकारी प्रयोजन के लिए सात अवसरों पर दौरा किया । उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी प्रयोजन के लिए किसी अन्य मंत्री को कोई अलग से विमान/हैलिकाप्टर नहीं दिया गया । प्रधान मंत्री के अतिरिक्त, कोई अन्य मंत्री गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए भुगतान के बाद भी भारतीय वायु सेना के विमान/हैलिकाप्टर उपयोग करने का पात्र नहीं है ।

(ख) इन गैर-सरकारी उड़ानों के बारे में जो धन राशि वसूल की जानी है उसका उड़ान संबंधी ब्यौरा प्राप्त करने के पश्चात परिकलन किया जा रहा है ।

Crash of Air Force Plane between Balival and Bhuchcho

1224. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an Air Force Plane crashed between Balival and Bhuchcho on the 11th January, 1974;

(b) if so, the causes thereof and the estimate of the financial loss suffered as a result thereof; and

(c) the steps taken to check the accidents ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir. An IAF aircraft crashed near Village Ballanwali 20 **Kms** East of Bhatinda on 11th January, 1974.

(b) The accident was caused by a bird strike as a result of which the engine failed. The pilot ejected and the aircraft was destroyed. The estimated loss is approximately Rupees one crore.

(c) The high speed at which modern aircraft fly makes it difficult to detect birds and take avoiding action in time. All efforts are, however, made to avoid bird infested areas as also to carry out flying in those periods of the day when fewer birds are likely to be encountered.

जिला, प्रदेश और राज्य स्तर पर खाद्य प्रयोगशालाओं का खोला जाना

1225. **श्री जी० आई० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण रोकने के लिए जिला, प्रदेश और राज्य स्तर पर खाद्य प्रयोगशालाएं खोलने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश की वर्तमान खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने तथा नई प्रयोगशालाओं को खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया है ।

(ख) पांचवीं योजना में वर्तमान खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ बनाने के लिये 75 लाख रुपये के धन राशि का नियतन कर दिया गया है । देश में 3.5 करोड़ रुपये की लागत से 8 और संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाएं खोलने का विचार है ।

राज्य/संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे (I) राज्यों के मेडिकल कालेजों की वर्तमान प्रयोगशालाओं की खाद्य नमूनों की जांच करने तथा (II) बाजार में खाद्य पदार्थों का प्रारंभिक परीक्षण करने के लिये सचल प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रश्न पर विचार करें, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ता दोनों को खाद्य पदार्थों की क्वालिटी की परख करने में सहायता मिलती रहे।

वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राज्य में खाद्य अपमिश्रण के मामले

1226. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में राज्य-वार खाद्य अपमिश्रण के कितने मामलों का सरकार को पता चला है ; और

(ख) कितने मामले, राज्यवार, अब भी न्यायालयों में विचाराधीन पड़े है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) वर्ष 1972 की सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

राजस्थान, उत्तर प्रदेल, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों से अभी तक अंतिम सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1972 के दौरान पता लगाये गये मामलों की संख्या	1972 के दौरान अदालतों में लंबित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,509	प्राप्त नहीं है
2.	असम	495	309
3.	बिहार	821	781
4.	गुजरात	2,133	428
5.	हिमाचल प्रदेश	762	521
6.	जम्मू व कश्मीर	1,050	531
7.	केरल	1,435	1,228
8.	मध्य प्रदेश	1,592	3,645
9.	महाराष्ट्र	4,032	10,593
10.	मैसूर	1,329	1,693
11.	मेघालय	14	शून्य
12.	मणिपुर	50	26
13.	उड़ीसा	185	530
14.	तमिलनाडु	5,350	864
15.	त्रिपुरा	शून्य	32
16.	पश्चिम बंगाल	1,919	2,092
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य
18.	अण्डमान एवं निकोबार	3	7
19.	अरुणाचल प्रदेश	..	..
20.	चण्डीगढ	538	1,192
21.	दिल्ली	259	248
22.	दादर और नगर हवेली	..	..
23.	गोआ	4	2
24.	लक्षदीव	..	..
25.	मिजोरम	..	..
26.	पाण्डिचेरी	2	1
27.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (केन्द्रीय आद्य दस्ता)	50	34

जापान द्वारा उर्वरक की सप्लाई में कमी

1227. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को भेजे जानेवाले उर्वरक की सप्लाई में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जापान के साथ किये गय अनेक ठेकों के अन्तर्गत उर्वरक की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन सप्लाई की कुछ मात्रा प्राप्त करने में देरी हो रही है ।

(ख) इस देरी का कारण वर्तमान तेल संकट और कच्चे माल की कमी है । विभिन्न ठेकों के अन्तर्गत सप्लायरों के साथ की गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनके साथ समय समय पर बातचीत और विचार-विमर्श होता रहता है ।

Inquiry into sale of spurious drugs

1228. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to states :

(a) wheather Government have conducted an inquiry through C. B. I. into lesser effective or spurious drugs in the context of complaints regarding adultration in all commodities,;

(b) whether any inquiry has also been conducted into the fact that such drugs are supplied in villages far away from cities particularly in backward and Adivasi areas; and

(c) the action proposed to be taken by Government against the firms/companies manufacturing spurious drugs?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) & (b) No.

(c) The manufacturers of spurious drugs are prosecuted and action taken under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act.

व्यापक ग्रामीण विकास योजना

1229. **श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी :**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूतपूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने "कम्प्रीहेंसिव रूरल डेवलपमेंट विद क्रीएशन आफ जाब अपरचूनिटीज" नामक एक योजना की रूप रेखा सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिय। है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पांचवीं योजना अवधि में इस योजना के लिये 36 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता के स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र के सामुदायिक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र तथा प्रत्येक 10,000 आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र की स्थापना कर, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वाथ्य सुविधाओं को सुदृढ बनाने के लिये पहले से योजनाएं संस्वीकृत कर दी हैं।

पांचवीं योजना में 1283 प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों का दर्जा बढाकर उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बना देने का भी विचार है। इस योजना का उद्देश्य लोगों की साधारण तथा आम आवश्यकता वाली चिकित्सा, सर्जरी, स्त्री रोग/प्रसूति और संवेदनाहरण सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवाएं तथा एक्स-रे और प्रयोगशाला सुविधाएं सुलभ कराना है।

विवरण

इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है :—

(1) तीन डाक्टरों अर्थात् खण्ड के प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र के दो डाक्टरों और विकास खण्ड के निकटतम अस्पताल के एक डाक्टर की सहायता से लगभग एक लाख आबादी के हर प्रकार की चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराना।

(2) प्रत्येक खण्ड के मेडिकल, सर्जिकल तथा प्रसूति के आपाती रोगियों को निकटतम अस्पतालों में ले जाया जायेगा भले वे सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हों।

(3) प्रत्येक डाक्टर लगभग 33,000 लोगों का इलाज करेगा और खण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों में कार्य कर रही नर्सें तथा परा चिकित्सा कर्मचारी काम में उसका हाथ बटायेंगे।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के दो डाक्टर रोगियों को घरों पर जाकर देखने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की गाडी का प्रयोग करेंगे। वैसे, गाडियों की लागत और उनके रख-रखाव, ड्राइवर, पेट्रोल आदि की लागत को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(5) इस योजना से यह पता चलेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रके चिकित्सा आधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं का कहा तक उपयोग किया गया है।

(6) इस योजना से दवाइयों, पट्टियों तथा पेट्रोल और गाडियों के रख-रखाव सम्बन्धी व्यय में बृद्धि होने की संभावना है।

(7) डाक्टरों, नर्सों और परा-चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा घरों पर देखने के लिए जाने के दौरान उन ग्रामीणों को, जो अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिय भुगतान कर सकते हैं, यह प्रोत्साहन दिया जाय कि वे मिल कर एक वैद्य हैल्थ कोआपरेटिव आरम्भ करें तथा एक ऐसे डाक्टर को नियुक्त कर लें जो ग्रामीण लोगों की चिकित्सा करने की यथेष्ट योग्यता रखता हो।

Mobile Dispensaries in Adivasi Areas

1230. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce mobile dispensaries in the Adivasi areas to provide medical facilities to the people there as the non-availability of immediate medical aid is affecting their lives adversely and in a big way ; and

(b) if so, the outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) & (b) The information is being collected from the States and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Riskshaw produced by Central Mechanical Engineering Research Institute

1231. **Shri M. S. Purty :**
Shri Jagannath Mishra :

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether a rickshaw having a speed of 20 K.M. was presented recently to Government on behalf of the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur.

(b) if so, the broad features thereof and Government's reaction thereto; and

(c) when it will be put into market and what will be its on-the-road price?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) A prototype of a Powered Cycle Rickshaw developed by the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur and later substantially improved upon by M/s. Scooters India Ltd., Lucknow was presented to Government on 30-1-1974.

(b) The design is basically that of the existing Cycle Rickshaw, with the axle frame strengthened. Specifications of tyres and tubes are also different. The Rickshaw will be powered by a 2-stroke 50 cc engine developing 2.5 HP with a pedal starter, hand-operated front brake and foot-operated rear brake. The estimated cruising speed is 20 **KMH.**

(c) The manufacturing programme is being decided.

ई० एन० सी० ओ० एस०, केरल द्वारा स्कूटरों का उत्पादन

1232. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा केरल इंजीनियरिंग टैक्नीशियन्स कोआपरटिव सोसाइटी (ई० एन० सी० ओ० एस०) ने स्कूटरों के उत्पादन के बारे में कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या ई० एन० सी० ओ० एस० को लखनऊ स्थित संयंत्र से कोई सहायता मिलेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) करार के अन्तर्गत स्कूटर्स इंडिया लि० से सोसाइटी को इंजिन तथा गियर बाक्स सप्लाई किये जायेंगे । सामान्य विपणन और मूल्य व्यवस्था के साथ साथ करार में प्रचलित मार्का का प्रयोग करने की भी व्यवस्था है । स्कूटर्स इंडिया को प्रभावी किस्म नियंत्रण करने का अधिकार है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों में मूल्य में वृद्धि

1233. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्य में हाल में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी बार मूल्यों में वृद्धि की गई है; और

(ग) हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली प्रत्येक घड़ी का मूल्य क्या है तथा मूल्यों में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । गत दो वर्षों में इनमें दो बार संशोधन किया गया है । घड़ियों के मूल्यों में अप्रैल, 1973 और 1 जनवरी, 1974 को संशोधन किया गया था । 1972 की अवधि कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

(ग) 1 जनवरी, 1974 से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का कारखाने से निकलते समय का संशोधित बिक्री मूल्य निम्न प्रकार है :—

	रुपए
सिटिजन	147.00
सोना	150.00
जनता/तरुण	135.00
पायलट/जनता ल्यूमिनस/जवान	160.00
जवाहर सफेद डायल (नाईलन स्ट्रेप)	165.00
जवाहर काला डायल (नाईलन स्ट्रेप)	170.00
जवाहर सफेद डायल (स्टैनलैस स्टील स्ट्रेप)	175.00
जवाहर काला डायल (स्टैनलैस स्टील स्ट्रेप)	180.00
तारीक गोल्ड प्लेटिड	185.00
तारीक स्टैनलैस स्टील	180.00
सुजाता नान-पैराशाक	149.00
सुजाता पैराशाक/नूतन	155.00
चिनार	140.00
स्वचालित दिन-दिनांक (सफेद/काला डायल)	300.00

(मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं)

मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से कुछ सामानों और पूर्जों की लागत बढ जाने तथा वेतन में बढ़ोतरी करने से हुई है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को कुष्ठ रोग नियंत्रण हेतु आबंटित धनराशि

1234. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन राज्यों को 'कुष्ठ ग्रस्त राज्य' माना गया है उनमें से किसी ने भी इस रोग पर नियंत्रण करने के लिये चौथी योजना में दी गई धनराशी में से आधी राशि भी खर्च नहीं की है जबकि विश्व के प्रत्येक चार कुष्ठ रोगियों में से एक रोगी भारतीय होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस लापरवाही के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

4—3 LSS(ND)/74

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्यों में कुष्ठ रोग एक बहुत बड़ी जनस्वास्थ्य समस्या बना हुआ है । आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को जहां उग्र स्थानिकमारी वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, वहां अन्य राज्यों को मध्यम स्थानिकमारी वाले क्षेत्र समझा जाता है । चौथी पंचवर्षीय योजना, के दौरान शुरू में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिये 5.12 करोड़ रुपए का नियतन किया गया था । वैसे सारी चौथी योजना अवधि में वार्षिक आबंटन के आधार पर राज्यों के लिये कुल 291.33 लाख रुपए का नियतन किया गया । इस रकम में से 237.90 लाख रुपए 31 दिसम्बर, 1973 तक खर्च हो चुके है और बाकी रकम चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च हो जाने की सम्भावना है । पांचवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम को और तेज करने का विचार है ।

स्वचालित रिक्शों में बैठन की क्षमता में वृद्धि

1235. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्वचालित रिक्शा कंपनी ने तीन पहिये वाले स्वचालित रिक्शा का नया माडेल बनाकर उसमें बैठ ने की क्षमता में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां, एक निर्माता ने तीन सीटों वाला एक स्वचालित रिक्शा तैयार किया है और इसके निर्माण के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार इसका मूल्य दो सीटों वाले स्वचालित रिक्शा से कुछ ही अधिक होगा । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा कर्मचारियों को जबरन छुट्टी

1236. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के अभाव में कई समाचार पत्र पत्रिकाओं ने कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर जबरन छुट्टी दी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा जबरन छुट्टी पर भेजे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जबरन छुट्टी भेजे गए कर्मचारियों को पुन: काम पर लिए जाने तथा ऐसे कर्मचारियों को जबरन छुट्टी की अवधि के लिये मुआवजे का भुगतान कराये जाने के लिये सरकार ने क्या कायवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कपडा मशीन निर्माता उद्योग में बेकार पडी क्षमता

1237. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि कच्चे माल की कमी के कारण कपड़ा मशीन निर्माता उद्योग में पर्याप्त क्षमता बेकार पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूती वस्त्र मशीन निर्माण उद्योग इस समय क्र्या देशों से पूर्णतया बुक है । इस्पात और कच्चे लोहे की समय से सप्लाई करने के लिये कदम उठाये गये हैं, ताकि कमियों के कारण डिलीवरी पर कोई प्रभाव न पड़े ।

केरल में माल डिब्बा कारखाने की स्थापना

1238. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सार्वजनिक क्षेत्र में मालडिब्बा कारखाना स्थापित किये जाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्पादन संबंधी संकट

1239. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1973 को नई दिल्ली में दिए गए उनके इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हड़तालें करा कर तथा आतंक फैलाकर निहित स्वार्थ कृत्रिम उत्पादन संकट बनाने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे तथाकथित निहित स्वार्थ कौन हैं तथा उनकी गतिविधियां क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) भाषण में निहित स्वार्थ शब्दावली का तात्पर्य दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों, उनके अधिकरणों और न्यायीकरण में उनके विशेषज्ञों से था ।

चौथी योजना के दौरान माल डिब्बों के उत्पादन में कमी

1240. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा लगाये गये अनुमानों से ज्ञात होता है कि चौथी योजना अवधि में माल डिब्बों के उत्पादन में कमी होगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) चौथी योजना के मूल्यांकन में यह अनुमान लगाया गया था कि चौथी योजना में 68,776 माल गाड़ि के डिब्बों की आवश्यकता होगी, लेकिन चौथी योजना की अवधि में 58,410 माल गाड़ीके डिब्बों के वास्तविक उत्पादन होने की संभावना है । उत्पादन में कमी होने के विभिन्न कारण हैं, जैसे कुछ एककों का बन्द होना, क्र्यादेशों का समय पर न मिलना, अलाभकारी मूल्य, औद्योगिक संबंधों क ठीक न होना और सामान तथा पूर्जो की कमी तथा समय पर सप्लाई न होना ।

जनसंख्या में वृद्धि पर रोक

1241. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यदि जनसंख्या की वृद्धि को दृढता से नहीं रोका गया तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनाज की (वर्तमान 195 किलोग्राम के स्थान पर 21 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्तमान स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या मौलिक परिवर्तन किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) योजना आयोग के अनुसार 1972 में खाद्यान्नों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 170 किलोग्राम तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 186 किलोग्राम निकलती है ।

(ख) परिवार नियोजन को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिये सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं तथा जन्म दर में इतनी शीघ्रता से कमी करने का अनुमान लगाया गया है जितना संभव हो ।

जाली कार परमिट कांड

1242. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री राज राजसिंह देव :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के जाली कार परमिट कांड में कई व्यक्तियों का हाथ है;

(ख) उन अधिकारियों के नाम तथा पद क्या है जिनका इन कांड मे हाथ है;

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाएं हाल में ही होने लगी हैं; और

(घ) सम्बद्ध अधिकारियों को दंड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) कुछ कथित जाली परमिटों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल का कार्य जारी है । इस जांच से अब तक इसमें अनेक व्यक्तियों, जिनमें कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, सहभागी होने का पता चला है । अनुसचिवीय स्तर पर काम करने वाले दो व्यक्तियों को मुअत्तल कर दिया गया है, जिन पर सहभागिता का अभियोग लगाया गया है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक असन्तोष आयोग

1243. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के श्रमिकों में विद्यमान असंतोष की जांच करने के लिये सरकार के विचाराधीन एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पांचवी योजना अवधि में श्रमिकों के असंतोष को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) औद्योगिक संबंध तंत्र कामरोधों को कम करने के लिए वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अनौपचारिक मध्यस्थता, संराधन, न्याय निर्णयन या विवाचन द्वारा प्रयास करता रहता है । औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में उस प्रस्तावित व्यक्ति विधेयक के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य औद्योगिक संबंध प्रणाली में सम्भव सुधार लाना है ताकि कमरोध अधिकतम संभव सीमा तक कम हो जाए और औद्योगिक शान्ति के वातावरण में, जहां तक संभव हो, उत्पादन विना विध्न बाधा के हो ।

1973 में बरबाद हुये जन दिवस

1244. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में उससे पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक जन दिवस बरबाद हुए; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) उपलब्ध अनंतिम सचनानुसार, वर्ष 1972 संबंधी 205 लाख की अंतिम संख्या की तुलना में, 1973 के दौरान नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या लगभग 160 लाख थी ।

रानीगंज कोयला पट्टी

1245. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री रानेन सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीजंग कोयला पट्टी क्षेत्र में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें पांच लखपति हैं ;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किय गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) संभवतः प्रश्न का संबध 'स्टैट्समैन' (कलकत्ता संस्करण) के 27 दिसम्बर, 1973 के अंक में "एलजड़ रैकेट इन कोल : सिक्स हेल्ड" शीर्षक में प्रकाशित समाचार से है। यदि हां, तो गिरफ्तार किए गये 6 व्यक्तियों का ब्यौरा, जिन पर विभिन्न वितरण आदेश प्राप्त व्यक्तियों के जरिए कोयले की गुप्त रूप से अधिप्राप्ति तथा जाली सड़क कूपनों के जरिए कोयले को गन्तव्य स्थान के अलावा अन्य स्थान पर ले जाने के आरोप हैं, निम्नलिखित हैं :—

1. श्री विहिर कुमार दास, खान प्रबंधक, विक्टोरिया पश्चिम कोलियरी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ।

2. श्री प्यारा सिह ।

3. श्री सीताराम चौधरी, रानीगंज ।

4. श्री केशो कोइल, रानीगंज ।

5. श्री राधेश्याम, तांतिया, रानीगंज ।

6. श्री गौर दत्त, कुल्टी ।

उपयुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त, कुल्टी के श्री पूरनमल अग्रवाल को भी आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए प्लाट

1246. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के बसाए जाने के लिये 'प्लाट' दिए जाने की सम्भावना है जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने, केन्द्रीय सरकार से भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास उपायों के रूप में राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा अनुमोदित अनधिवासी बस्तियों में उनको एलाट की गई भूमियों के निःशुल्क अधिकार तथा हक प्रदान करने के बारे में अनुरोध किया था । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शर्त पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है कि एलाटमेंट ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों के बारे में पूर्णस्वामित्व के आधार पर और शहरी क्षेत्रों की बस्तियों में नाम मात्र के भूमि के किराए पर पट्टे के आधार पर होगा । इस से उनको आम जन संख्या में मिलाने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच

1247. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में भारत हैवी इलैट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनिश्चितता पाई गई है; और

(ग) त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

भारी उदयोग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य समिति, जिसका गठन सरकार द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हैदराबाद और हरिद्वार एकक के कार्यकरण की जांच करने के लिये किया गया था, जिससे उन रुकावटों का मूल्यांकन किया जा सके जो निर्धारित क्षमता में काम करने में बाधा डाल रही थी । समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उच्च प्रबन्ध और संगठनात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तन करके इन दो संयंत्रों की कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है । समिति ने इस दृष्टिकोण से उपकरणों के दुर्लभ संसाधनों, सामान और कार्मिकों का अधिकतम उपयोग करने के बारे में कुछ विशिष्ट सिफारिशें की । इन सिफारिशों के आधार पर उठाए गए मुख्य कदम निम्न प्रकार हैं :—

(क) एक ही अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित] एक ही बोर्ड के अंतर्गत भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स के साथ हेवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड का विलय;

(ख) कार्मिक निदेशक की नियुक्ति, जो कि ग्रुप की संपूर्ण कार्मिक नीति के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) प्राथमिकताओं के बारे में उचित ध्यान रखते हुए संपूर्ण कंपनी के कुल वित्त संचालन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए एक वित्त निदेशक की नियुक्ति;

(घ) केन्द्रीय डिज़ाइन सह-अनुसंधान और विकास ग्रुप का गठन, जो कि विभिन्न सहयोग कर्ताओं द्वारा दिए गए कौशल और तकनीकी का उपयोग करने का काम भी करेगा;

(ङ) उत्पादों और प्रौद्योगिकी समन्वित इष्टतम तथा युक्तिपूर्ण बनाना;

(च) सामग्री आयोजन और पूर्वानुमान, उत्पादन विनियोजन और नियंत्रण जैसे कार्यों में सुधार;

(छ) पुरस्कार योजनाओं द्वारा प्रबंधकीय और पर्यवेक्षकीय तथा श्रमिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना; तथा युक्तिपूर्ण और वैज्ञानिक प्रोत्साहनात्मक योजनाएं लागू करना; तथा

(ज) औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाना ।

(लाख रुपए में)

	वास्तविक 1972-74	पूर्वानुमानित 1973-74
(क) उत्पादन मूल्य—		
हरिद्वार	966	3074
हैदराबाद	1708	5192
तिरुचि	3885	5855
योग .	6559	14121
(ख) लाभ	820	2891

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में जांच करना

1248. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमितताएं पायी गयी हैं; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य समिति, जिसका गठन सरकार द्वारा हेवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल के कार्यकरण की जांच करने के लिय किया गया था, जिससे कि उन रुकावटों का मूल्यांकन किया जा सके जो उनको निर्धारित क्षमता तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी । समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उच्च प्रबंध और संगठनात्मक ढांचे के कुछ परिवर्तन करने से उपक्रम की

कार्य कुशलता में सुधार किया जा सकता है। समिति ने इस दृष्टिकोण से उपकरणों के दुर्लभ संसाधनों, सामान और कार्मिकों का अधिकतम उपयोग करने के बारे में कुछ विशिष्ट सिफारिशें की। इन सिफारिशों के आधार पर उठाए गए मुख्य कदम निम्न प्रकार है :—

(क) एक ही अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित एक ही बोर्ड के अंतर्गत भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स के साथ हेवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० का विलय;

(ख) कार्मिक निदेशक की नियुक्ति, जो कि ग्रुप की संपूर्ण कार्मिक नीति के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) प्राथमिकताओं के बारे में उचित ध्यान रखते हुए संपूर्ण कंपनी के कुल वित्त संचालन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिये एक वित्त निदेशक की नियुक्ति;

(घ) केन्द्रीय डिज़ाईन सह-अनुसंधान और विकास ग्रुप का गठन जोकि विभिन्न सहयोग कर्त्ताओं द्वारा दिये गये कौशल और तकनीक का उपयोग करने का काम भी करेगा;

(ङ) उत्पादों और प्रौद्योगिकी को समन्वित इष्टतम तथा युक्तिपूर्ण बनाना ;

(च) सामग्री आयोजन और पूर्वानुमान, उत्पादन विनियोजन और नियंत्रण जैसे कार्यों में सुधार;

(छ) पुरस्कार योजनाओं द्वारा प्रतिबंधकीय और पर्यवेक्षकीय तथा श्रमिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना; तथा युक्तिपूर्ण और वैज्ञानिक प्रोत्साहनात्मक योजनाएं लागू करना; तथा

(ज) औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाना।

इसके साथ साथ उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप कंपनी के उत्पादन स्तर और लाभ में वृद्धि हुई जैसा कि निम्नलिखित तालिका से पता चलता है :—

(लाख रुपयों में)

	वास्तविक 1972-73	पूर्वानुमानित 1973-74
(क) उत्पादन	5470	6451
(ख) लाभ	507.53	1244
पिछला हिसाब-किताब का समायोजन . . .	213.96	
	731.49	

रिचर्डसन एण्ड क्रुडास के कार्यकरण की जांच

1249. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में रिचर्डसन एंड क्रुडास के कार्यकरण की जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

भारी उद्योग मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार द्वारा कम्पनी के कार्यकरण की लगातार समीक्षा की जाती रही है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है । 1 अप्रैल, 1973 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में परिवर्तित हो जाने के पश्चात् इस कम्पनी के कार्यकरण में किसी गंभीर अनियमितता का पता नहीं चला है ।

उत्तर प्रदेश में केटरेक्ट (मोतिया बिन्द) आपरेशन्स

1250. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केटरेक्ट (मोतिया बिन्द) के कितने रोगी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में केटरेक्ट के आपरेशन करने की कोई योजना बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई और योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में मोतिया बिन्द की घटनाओं के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) जी हां । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना तैयार कर ली है ।

(ग) अनुमान है कि इस योजना पर लगभग 16 लाख रुपया खर्च होगा जिसमें से 7,86,000 रुपया अब तक मंजूर किया जा चुका है । इस योजना से मैदानी इलाके के 47 जिलों को लाभ पहुंचेगा । इस योजना को ठीक ढंग से चलाने के लिये राज्य को आठ क्षेत्रों में बांट दिया गया है । प्रत्येक क्षेत्र में एक नेत्र अस्पताल मुख्यालय के रूप में कार्य करता है । प्रत्येक खंड में 100 मोतिया बिन्द तथा अन्य आपरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है । और सारे राज्य में ऐसे 80,000 आपरेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अनुमान है कि प्रत्येक आपरेशन पर 20 रुपए खर्च होंगे । अब तक किये गये आपरेशनों की संख्या 32,583 है ।

विदेश सचिव की गंगटोक यात्रा

1251. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सचिव हाल में सरकारी तौर पर गंगटोक गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां । विदेश सचिव ने विधान सभा के अगामी चुनावों के विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और चौग्याल के साथ सलाह-मशविरा करने के लिये 1 से 3 दिसम्बर, 1973 तक गंगटोक की यात्रा की । ये चुनाव 8 मई, 1973 के त्रिपक्षीय करार की शर्तों के अंतर्गत किए जाएंगे । यह बातचीत प्रारंभिक तौर पर हुई थी ।

युद्ध के सम्बन्ध में आधुनिकतम विकास

1252. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युद्ध के संबंध में आधुनिकतम विकासों के बारे में अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो देश की रक्षा को खतरा पैदा न होने देने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या भारतीय सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिये पूरी तरह लैस है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) हमारी सुरक्षा के लिये सम्भावित खतरों के स्वरूप और महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी रक्षा आवश्यकताओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी सेना आधुनिक तथा साज-सामान से अच्छी प्रकार से लैस हो, सभी सम्भव कदम उठाए जाते हैं । जो उपाय बरते जा रहे हैं उनके ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

अयस्क निर्यात नीति

1253. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी अयस्क निर्यात नीति के पुनर्विलोकन के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश के लिये धातुओं के संरक्षण में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) विभिन्न खनिज अयस्कों के बारे में अयस्क निर्यात नीति की समय-समय पर सरकार द्वारा, संसाधनों की प्राप्ति, देशी उद्योग की आवश्यकता, उपयोग पद्धति तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों आदि को ध्यान में रख कर पुनरीक्षा की जाती है । खनिजों का संरक्षण इस नीति का अभिन्न अंग है ।

पाकिस्तान सेना में नई डिवीजनें

1254. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सेना अध्यक्ष के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सेना की और डिवीजनें बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी सम्बन्धित गतिविधियों का लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहता है ।

भारी मात्रा में रुके पड़े कोयले के स्टाक की ढुलाई

1255. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कर्णपुरा में मनाकी, टोपा, गिड्डी तथा डोकारा में कोयले का भारी स्टाक पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या माल डिब्बों की कमी के कारण उनकी ढुलाई रुकी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पर्याप्त वैगनों के अभाव में उत्तरी करनपुरा, टोपा और गिडी कोयला खानों पर कोयले का भारी स्टाक जमा हो गया है ।

(ग) इस स्टाक को उठाने के लिए रेल्वे से अधिक वैगन देने का अनुरोध किया गया है ।

दिल्ली में कोयले के मल्य

1256. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो महीनों में दिल्ली में कोयले के मूल्य दुगुने हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी नहीं । दिल्ली में सोफ्ट कोक का खुदरा मूल्य रु० 17.50 प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 15-1-1974 से रु० 17.80 प्रति क्विंटल किया गया है । यह मूल्य वृद्धि रेल-भाड़ा, लदान/उतराई आदि दरों में वृद्धि के कारण की गई है । दिसम्बर, 1973 में जब लोको हड़ताल आदि के कारण दिल्ली में कोयले की भारी कमी हो गई थी, तब दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम ने सड़क द्वारा लगभग 300 टन सोफ्ट कोक मंगाया था जो होटलों व अन्य प्रतिष्ठानों को 34 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया था ।

फरीदाबाद स्थित औद्योगिक कारखानों को निलम्बित की गई इस्पात की सप्लाई

1257. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरीदाबाद स्थित दो औद्योगिक कारखानों को दिसम्बर, 1973 में इस्पात की सप्लाई निलम्बित कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में इस बात की व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ उस आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किसी शर्त के उल्लंघन के बारे में विश्वसनीय जानकारी अथवा उचित संदेह हो उनको सप्लाई निलम्बित की जा सकती है ।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच

1259. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमितताएं पाई गई है; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यकारण की जांच करने के लिए सरकार ने एक कार्यवाही समिति गठित की थी और इस समिति ने भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि० के कार्यकरण की जांच कर ली है ।

(ख) कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी । किन्तु अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से कंपनी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कार्यवाही समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं ।

(ग) जैसे कार्यवाही समिति ने सिफारिश की है, बी०एच०पी०वी० को इस्पाती प्लेटें और अन्य सामान के आयात के लिए ब्लैंकेट लाइसेंस दे दिया गया है । भारी मशीनें तीन-पाली के आधार पर चलाई जा रही है । अतिरिक्त कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की भर्ती शुरु कर दी गई है और यह प्रावस्थाबद्ध ढंग से पूरी होगी । बढ़ी हुई जिम्मेदारियां सम्भालने के लिए संविदा विभाग का विस्तार और पुनर्गठन कर दिया गया है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० को भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि० का विस्तार करने के लिए संभाव्यता अध्ययन करने और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

पहले से उठाए गए कदमों से उत्पादन मूल्य के जो 1972-73 में लगभग 5 करोड़ रु० था 1973-74 में लगभग 9 करोड़ रु० तक बढ़ने की आशा है ।

तुंगभद्रा स्टील लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में जांच करना

1260. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच इस बीच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमिततायें पायी गयी हैं ; और

(ग) कमियों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच

1261. श्री वीरेंद्र सिंह राव : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमितताएं पाई गई हैं ; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारीक्षेत्र के एककों के कार्यकरण की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यवाही समिति गठित की गई थी और समिति ने भारत पम्पस् एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच कर ली है।

(ख) कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। कम्पनी का कार्यकरण सुधारने के लिए समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) कंपनी में उच्च स्तर के पदों को भरने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। डिजाइन विभाग मजबूत बनाया जा रहा है। सहयोग-कर्ताओं के कारखानों में कंपनी के अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है। पांचवीं योजना की अवधि में पंपों और कम्प्रेसरों की प्रत्याशित मांग प्रमुख ग्राहकों के परामर्श से तैयार कर दी गई है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादन कार्यक्रम को अंतिम रुप दिया जा रहा है। कंपनी को जिन ढ़ली तथा गढ़ी हुई वस्तुओं की आवश्यकता है उनके बी०एच०ई०एल० हरिद्वार में विकसित किए जाने का विचार है और विकास क्रयादेश उन्हें पहले ही दिए जा चुके हैं। जैसी कार्यवाही समिति ने सिफारिश की है, पम्प तथा कम्प्रेसर परियोजना के दूसरे चरण के, जिसमें मशीन करना, हीट ट्रीटमेंट और टूल रुम सुविधाएं शामिल हैं शीघ्र ही शुरु किए जाने का विचार है जिससे पंपों और कम्प्रेसरों में देशी अंश में सुधार किया जा सके।

पहले से शुरु किए गए आभ्युपायों के परिणामस्वरूप आशा है कि उत्पादन-मूल्य 1973-74 में लगभग 25 लाख रुपये से बढ़ कर 1974-75 में लगभग 6 करोड़ रुपये तक हो जायेगा, जिस समय कंपनी हानि-रहित स्थिति में होगी।

कोयले का उत्पादन

1262. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण के पहले और बाद में कोयले का औसत वार्षिक उत्पादन क्या था और प्रति मीट्रिक टन इसकी लागत क्या थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संगरोली कोयला खानों में रोजगार

1263. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर 1973 को समाप्त होने वाले दो वर्षों में संगरोली कोयला खानों में सभी श्रेणियों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले है; और

(ग) बाहर के लोगों में बिहार के कितने हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड

1264. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने अपने कार्यकरण में उल्लेखनीय चहुमुखी प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह अनुमान है कि पांचवी योजना के अन्त तक सिगरेनी कोयले की मांग में वृद्धि होगी और कम्पनी ने अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी योजना सबंधी रूपरेखा क्या है और रामगुंडम के उर्वरक कार-खाने की तथा विभिन्न स्थानों में बिजलीघरों की आवश्यकता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने, पांचवीं योजना के अन्त तक, 120 लाख टन कोयले के वार्षिक उत्पादन का कार्यक्रम बनाया है । इस कार्यक्रम में, रामागुंडम के उर्वरक कारखाने, निम्नतापीय कार्दनीकरण संयंत्र तथा विभिन्न बिजली घरों के लिए कोयले की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है ।

मध्य प्रदेश में ब्रिसिंहपुर पाली की कोयला खान में ठेके पर माल डिब्बे भरने वाली महिलाओं में असन्तोष

1265. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकार ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्रिसिंहपुर पाली की कोयला खान में एक बाहरी व्यक्ति को माल डिब्बे भरने का ठेका दिया है जहां पर दैनिक मजूरी आदि के मामले में महिला मजदूर इस ठेकेदार के प्रबन्धों से सन्तुष्ट नहीं है ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ऐसे मामलों पर विचार करेगी और मजदूरों की शिकायतों की जांच के लिए कोई सरकारी व्यवस्था करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

दक्षिणपूर्व एशिया में चीन की सामरिक गतिविधियां

1266. **श्री के० लकप्पा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन, भारत के पास-पड़ोस में विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सामरिक संबंधों का निर्माण कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि चीन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध सामान्य करने का प्रयास कर रहा है । भारत सरकार ने, एशियाई देशों के बीच संबंध-सुधार का सदा स्वागत किया है ।

पडोसी देशों में चीन द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां

1267. श्री के० लकप्पा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में चीन पड़ोसी देशों में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल, बर्मा, मलयेशिया, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में उसकी गतिविधियों का स्वरुप क्या है ? और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार को नेपाल, मलेशिया तथा श्रीलंका जैसे देशों में चीन की भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी नहीं है क्योंकि इन देशों के साथ भारत के परम्परागत सम्बन्ध है। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, चीन ने उप महाद्वीप की वास्तविकताओं को नजर अन्दाज़ करते हुए उसे नैतिक समर्थन और साज सामान की सहायता दी है। भारत सरकार को आशा है कि पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता दिए जाने पर चीन सरकार भारतीय उप महाद्वीप की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

लघु एककों कों इस्पात

1268. श्री के० लकप्पा :
श्री पीलू मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कर्नाटक के लघु एककों को कितना विशेष इस्पात आवंटित किया गया ; और

(ख) इस्पात के आबंटन के लिये आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिये क्या प्रक्रियात्मक सुधार किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मिश्रित और विशेष इस्पात का वितरण विनियमित नहीं किया गया है अतः ऐसे इस्पात को आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ की कोका-कोला कम्पनी द्वारा तालाबन्दी

1269. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ की कोका-कोला कम्पनी ने 23 नवम्बर, 1973 से तालाबन्दी घोषित की हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने श्रमिक बेरोजगार हुए थे ; और

(ग) इन श्रमिको बेरोजगार न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :(क) से (ग) गोवा दमन और दीव प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार, 23 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 1973 तक प्रबन्धको द्वारा घोषित तालाबन्दी से प्रभावित हुए श्रमिको की संख्या लगभग 200 थी। विवादग्रस्त विषयो को गोवा, दमन और दीव की सरकार ने न्याय निर्णयन हेतु एक औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किये है।

खाद्य सामग्री में मिलावट के बारे में न्यायाधीश लोकुर उप-समिति की सिफारिशें

1270. **श्री वसन्त साठे :**
श्री मधु दंडवते :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य सामग्री में मिलावट के बारे में न्यायाधीश लोकुर उप-समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशे क्या हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों पर किस स्तर पर विचार हो रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) नागरिक केन्द्रीय परिषद् की विधिक उप-समिति की जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश लोकुर हैं, मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) राज्य सरकार के वे अधिकारी जिनका पद खाद्य निरीक्षकों से बड़ा हो, खासकर उड़न दस्ते की सहायता से नमूने लेने का काम करें और साथ निरीक्षकों के काम की देखरेख करने के लिये प्रत्येक जिले में जिला खाद्य निरीक्षक नियुक्त किये जाये,

(2) प्रयोगशालाओं को पर्याप्त आधुनिकतम उपस्कर दिये जांये ।

(3) प्रत्येक जिलें में पूर्णरूपेण सुसज्जित प्रयोगशाला हो और उसमें एक जन विश्लेषक हो, शुरु शुरू में प्रत्येक बड़े शहर में तथा चार या पांच जिलों के प्रत्यक ग्रुप के लिये एक-एक जन विश्लेषक नियुक्त किया जाय ।

(4) प्रत्येक निर्मित उत्पाद पर एक लेबल लगा होना चाहिये जिस पर वह तिथि अंकित हो जब तक उसका सेवन करना हो यदि पैकिटों में बन्द सामान में मिलावट पाई जाय तो व्यापारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये ।

(5) होटलों और रेस्टरांओं में एक बोर्ड लगाया जाय जिस पर इस आशय की घोषणा लिखी हुई हो कि वहां बासी अथवा मिलावटी वस्तुएं नहीं बेची जाती है ?

(6) ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के प्रत्येक निर्माता वितरक अथवा व्यापारी के पास लाइसेन्स हों और लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड देने की व्यवस्था भी की जाय ।

(7) जिला खाद्य निरीक्षकों को लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा अन्यथा और किसी कारण को लिखित रूप में बताकर लाइसेन्स को रद्द करने के अधिकार दिये जाये ।

(8) रेलवे अधिनियम में व्यवस्था होने के बावजूद भी खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किये जांये कि खाद्य निरीक्षकों को रेलवे वैगनों से मार्ग में ही माल को नमूने लेने की शक्तियां प्राप्त हों ।

(9) नमुनों को तीन के बजाय चार भागों में विभक्त कर दिया जांये ।

(10) नमूना लेते समय एक पंचनामा तैयार किया जाये जिसकी एक प्रति संबन्धित व्यक्ति को देकर उसके हस्ताक्षर ले लिये जांये ।

(11) खाद्य निरीक्षक को ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां दे दी जाये जो उसको अपने कर्तव्य और अधिकारों के पालन करने में बाधा पहुंचाता हो अथवा उसे रोकता हो ।

(12) "जब सामान पकड़ा जाय" तो जमानती बाण्ड लिया जाय, इसे निकाल दिया जाय।

(13) खाद्य निरीक्षक जब किसी मकान का, जहां बिक्री के लिये खाद्य पदार्थ रखे हुए हों, दरवाजा तोड़ता हो तो कार्यवाही करने की स्थिती में केवल उसका कारण लिखित रूप में बता दिया जाय।

(14) खाद्य निरीक्षक को 24 घण्टों के भीतर नमूने को जन विश्लेषक के पास भेज देना चाहिए।

(15) जब विश्लेषक द्वारा किये जाने वाले विश्लेषण की अवधि घटा कर 15 दिन कर दी जाय।

(16) विश्लेषक की रिपोर्ट में सभी विवरण लिखे होने चाहिये।

(17) अभियोग चलाने की मंजूरी दे सकने के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अविलम्ब ले ली जाय और इसके लिये जिला खाद्य निरीक्षक उपयुक्त अधिकारी हो सकता है।

(18) जांच कार्य शीघ्र सम्पन्न करने के लिये विशेष न्यायाधीश नियुक्त किये जाय।

(19) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला को नमूने भेजने की कालावधि कम कर दी जाय।

(20) मिलावट के मामलों पर कार्यवाही करने के लिये स्थायी परिषद् बनायी जाय।

(21) संक्षिप्त विचारण (ट्रायल) वांछनीय नहीं हैं।

(22) हानिरहित मिलावट और हानिकर मिलावट के अन्तर को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये।

(23) यह उप समिति घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों को परिभाषित करने के सम्बन्ध में सुझाव देने का विरोध करती है किन्तु यह सुझाव देती है कि दण्ड की व्यवस्था को निम्नलिखित रूप से न्यायसंगत बनाया जाए :—

(1) जहां मिलावट स्वास्थ्य के लिये खतरनाक हो, उसके लिये 5 वर्ष की कड़ी कैद अधिकतम दस वर्ष तक हो, के साथ साथ कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना किया जाए।

(2) अन्य अपराधों के लिये कम से कम दो वर्षो की कड़ी कैद दी जाय जिसकी अवधि अधिकतम पांच वर्ष हो। किन्तु अदालत अपने विवेक से विशेष मामलों में इस अवधि को घटा सकती है, जो छः मास से कम न हो। उक्त दण्ड के साथ ही कम से कम 2,000 रु० का जुर्माना होना चाहिए जो विशेष मामलों में घटा कर कम से कम 500 रु० किया जाए।

(3) एक ही किस्म के अपराध को दूसरी ओर अधिक बार करने पर सजा बढ़ा कर कम से कम दुगना कर दिया जाय।

(4) ऐसे सभी मिलावट के मामलों में, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हों, लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और व्यक्तियों के नाम छाप दिए जाएं।

(ख) केन्द्रीय नागरिक परिषद् की विधिक उप समिति द्वारा की गई शिफारिशों और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया गया है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने के लिए शीघ्र ही संसद् में इस आशय के एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत करने का विचार है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का विस्तार

1271. **श्री वसंत साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप पांचवीं योजना में 62 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक विस्तार योजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या इसको कम करके 32 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि चौथी योजना में किये गये नियतन से भी कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत विस्तार प्रस्ताव पर सरकार पुनर्विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने पांचवीं योजना में मूलरूप से 68 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव किया था जिसे बाद में कम करके 62.8 करोड़ रूपये कर दिया गया ।

(ख) 1972-73 में भू-जल अनुसंधान तथा विस्तृत खनिज निर्धारण से सम्बद्ध कार्य भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण से क्रमश: केन्द्रीय भू-जल बोर्ड तथा खनिज समन्वेषण निगम को स्थानांतरित किया जा चुका है । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के लिए पांचवीं योजना में किया गया 28.50 करोड़ रूपये का आबंटन चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में किए गए 21.90 करोड़ रूपये के आबंटन से अधिक है । पुन: इस संदर्भ में, पांचवीं योजना में खनिज समन्वेषण निगम को किए गए आबंटन को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसने भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था से विस्तृत खनिज समन्वेषी कार्यों को अपने हाथ में ले लिया है । इस प्रकार भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा खनिज समन्वेषण निगम का संयुक्त आबंटन 51.5 करोड़ रुपये होता है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान संयुक्त भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के लिए किए गए आबंटन का लगभग ढ़ाई गुना है ।

(ग) पांचवीं योजना में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के लिए आबंटन करते समय सभी संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखा गया है तथा इस स्तर पर उसमें किसी प्रकार की वृद्धि का विचार नहीं है ।

अल्जीयर्स सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करना

1272. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, श्रीलंका और यूगोस्लाविया के तीनों नेताओं ने, जिन्होंने अभी हाल में नई दिल्ली में बातचीत की थी, गुट-निर्पेक्ष राष्ट्र ब्यूरों से यह अनुरोध किया था कि अल्जीयर्स सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को तत्काल क्रियान्वित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन मामलों पर निर्णयों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की समाप्ति पर 29 जनवरी, 1974 को जो भारत-यूगोस्लाव संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें यह कहा गया है कि दोनों पक्ष यह वांछनीय समझते है कि अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर अमल करने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से, अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, और गुट-निरपेक्ष देशों पर तथा

अन्य विकासशील देशों पर उनके प्रभाव की समीक्षा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके एक मुनासिब स्तर पर, गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक होनी चाहिए ।

(ख) हाल ही में, अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है । गुट-निरपेक्ष देशों की समन्वयन समिति की मार्च, 1974 में अल्जीयर्स में जो बैठक होने वाली है उसमें दूसरी बातों के अलावा इन निणयों को क्रियान्वित करने पर भी विचार होने की आशा है ।

डा० किसिंजर की प्रस्तावित भारत यात्रा

1273. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० किसिंजर ने यह कहा है कि अमरिका ने भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने हेतु गम्भीर प्रयास किया हैं ;

(ख) क्या उनके शीघ्र भारत आने की सम्भावना है जोकि समाचारपत्रों में छपा है; और

(ग) क्या भारत-अमरीका के व्यापार सम्बन्धों में भी कुछ सुधार हुआ है, और यदि हां, तो कितना ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया गया है ।

(ग) जी हां । 31 मार्च, 1973 तक समाप्त होने वाली अवधि में भारत-अमरिका व्यापार की मात्रा में सामान्य वृद्धि हुई है । व्यापार-संतुलन जो अमरीका के पक्ष में था, वह धीरे-धीरे भारत के पक्ष में होता जा रहा है । व्यापार संतुलन निम्नलिखित आंकड़ों में अंकित है :

(मूल्य : रुपए—करोड़ों में)

	1970-71	1971-72	1972-73
आयात .	452.95	416.52	224.58
निर्यात . .	207.34	263.08	275.74
व्यापार संतुलन . .	(−) 245.61	(−) 153.44	(+) 51.16

1973-74 के आंकड़े अभी सुलभ नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

1274. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री वी० मायावन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना को दुकानों, वाणिज्य संस्थानों, खानों तथा बागानों पर भी लागू किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्याप्ति के विस्तार के प्रश्न पर भावी योजना सम्बन्धी एक समिति द्वारा विचार किया गया है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत छोटे छोटे कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, खानों और बागान सहित प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त वर्गों को लाने संबंधी एक 5 वर्षीय क्रमिक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिए। खानों और बागान के मामले में, समिति की सिफारिशें योजना को केवल अंशिक रुप से लागू करने के लिए है, अर्थात्, केवल नगदी लाभ प्रदान किये जाएंगे क्योंकि श्रमिकों को मुफ्त चिकित्सिय देखरेख पहले से ही उपलब्ध है। प्रस्तावित क्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1977-78 तक यह योजना और 38 लाख पर लागू हो जाएगी। यह वृद्धि इस समय अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों में सामान्य वृद्धि के अलावा होगी।

खानों और बागान को छोड़कर, रोज़गार के अतिरिक्त क्षेत्रों पर योजना के विस्तार सम्बन्धी क्रमिक कार्यान्वियन के लिए सरकार का अनुमोदन पहले ही दिया जा चुका है। तदनुसार, निगम ने, राज्य सरकारों से सलाह करके योजना के विस्तार हेतु आरम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी है। खानों और बागान के मामले में, जो दूर दूर बिखरे हुए हैं, विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए और अधिक तैयारी की आवश्यकता है।

पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए नया मजूरी ढांचा बनाने के बारे में त्रिपक्षीय बैठक

1275. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये एक नया मजूरी ढ़ांचा बनाने हेतु तंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए 31, जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में उन्होंनें एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) इसमें क्या निर्णय किए गए ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) पत्तन और गोदी श्रमिकों के लिए एक नया मजूरी ढ़ांचा उद्भत करने हेतु, एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए, नई दिल्ली में 31 जनवरी, 1974 को एक बठक आयोजित की गई थी। विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य योजना के लिए धन का आबंटन

1276. **श्री राम प्रकाश :**
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से स्वास्थ्य योजनाओं के लिए योजना परिव्यय का 15 प्रतिशत आवंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी योजना के कुल 433.53 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की तुलना में पांचवीं योजना में स्वास्थ्य योजनाओं के लिये 796 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । विकास की वर्तमान स्थिति में यह परिव्यय तथा इसके साथ-साथ परिवार कल्याण नियोजन का स्वास्थ्य सम्बन्धी परिव्यय पर्याप्त समझा जाता है ।

रक्षा विज्ञान प्रयोगशालाओं में पदों का बनाया जाना

1278. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में रक्षा विज्ञान प्रयोगशालाओं में कितने पद बनाये गये है ;

(ख) अब तक कितने पद भरे गये है ; और

(ग) इन पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 23 फरवरी, 1972 से 22 फरवरी 1974 के दौरान अनुसंधान तथा विकास संगठन में अफसर वर्ग के 471 पद मंजूर किये गये थे । इनमें से 199 पद भरे गये हैं ।

अधिकतर पद 1973 के अन्त अथवा 1974 के प्रारम्भ में मंजूर किये गये थे। शेष पदों को भरे जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

अराजपत्रित पदों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल की वर्ष 1973-74 के लिए इस्पात की मांग

1279. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की वर्ष 1973-74 के लिए इस्पात की कुल कितनी मांग है ;

(ख) उसे अब तक कुल कितना इस्पात भेजा गया है ; और

(ग) यदि इस्पात कि सप्लाई मांग से कम की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार

1280. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1974 के समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इस्पात मंत्रालय के अर्थ विभाग

के कुछ उच्च अधिकारी सरकारी निदेशों की 'जानबूझकर' उपेक्षा कर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रमों में अड़चन डाल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्ध तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) बोकारो के लिए धन की स्वीकृति के बारे में समाचार-पत्रों में छपा समाचार ठीक नहीं है । इस बात की हर कोशिश की जाती है कि धन की स्वीकृति देने में किसी विलम्ब के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों में कोई रुकावट न आने पाये ।

केरल में भारी उद्योग

1281. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करेल राज्य में स्थित, जिलावार, कितने और कौन-कौन से भारी उद्योग हैं इस समय उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं; और

(ख) उक्त प्रत्येक एकक का पुंजी निवेश, उत्पादन क्षमता तथा रोजगार क्षमता कितनी है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र का एकक जिसका नाम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, केरल राज्य के कालामस्सेरी में स्थित है । इस एकक के बारे में अपेक्षित आंकड़ा नीचे दिये गया है :—

1. परियोजना लागत	.	8.40 करोड़ रुपये
2. अधिष्ठापित क्षमता	.	5.00 करोड़ रुपये
3. रोजगार क्षमता (30-9-73 तक)		2325 संख्या ।

गांव नांगल राया नई दिल्ली में किराए पर ली गई भूमि

1282. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **रक्षा** मंत्री गांव नांगल राया, नई दिल्ली में किराए पर ली गई भूमि के बारे में 23 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि मालिकों के बार-बार कहने के बाद भी उन्हें 31 दिसम्बर, 1971 के बाद किराया संबंधी मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) इन निर्धन भूमि मालिकों को किराया कब तक दे दिया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार अब उनको वार्षिक किराया तथा 1 जनवरी, 1972 के बाद जमा हुई किराये की राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देगी जैसाकि भूमि मालिकों ने मांग की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पहली जनवरी 1972 में कोई किराया नहीं दिया गया है क्योंकि किराया बढ़ाने

का प्रश्न विचाराधीन है। पहली जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि के लिए बढ़े हुए किराये की अदायगी के संबंध में अब सरकारी मंजूरी जारी कर दी गई है।

(ग) और (घ) वार्षिक किराया देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। एक भूस्वामी द्वारा 6 प्रतिशत की दर पर ब्याज देने के लिए कहा गया है। ब्याज देने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है।

एक उद्योग के लिए एक यूनियन

1283. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री बेकारिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक उद्योग के लिए एक यूनियन बनाने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ए० आई० टी० आई० एस० सी०, एन० टी० आई० एस० सी० एस० एम० एस० और सी० आई० टी० आई० एस० की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) एक उद्योग के लिए एक यूनियन बनाने के लिए सरकार क्या सिद्धान्त अपनायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है और यह आशा की जाती है कि लिए गए निर्णयों को औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में प्रस्तावित व्यापक विधेयक में समाविष्ट किया जाएगा।

Charter of demands from workers of Indian Copper Corporation

1285. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Indian Copper Corporation Workers' Union, Moubhander has submitted any charter of demands to the mangagement of the Hindustan Copper Limited and Indian Copper Complex on the 15th December, 1973;

(b) if so, the outline thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes, Sir.

(b) The demands include :—

(i) The minimum wage of Rs. 350 at All India Price Index of 200 (1960).

(ii) Revision of grades.

(iii) Modification of incentive scheme.

(iv) Promotion on the basis of seniority.

(v) Improvement in the terms and conditions of service for Contractors' Employees.

(vi) Guaranteed supplies of essential commodities on subsidised rates.

(vii) Reinstatement of two discharged employees.

(c) Indian Copper Corporation Workers' Union Moubhander is an unrecognised union which is attempting to re-open a comprehensive settlement covering wages and terms and conditions of service signed by the management with the recognised union viz. Moubhander Mazdoor Union as rcently as 25th August, 1973 valid upto 31st August, 1975.

मध्य प्रदेश का एयरोमैगनेटिक सर्वेक्षण

1286. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अलोह-धातु निक्षेपों का पता लगाने के लिए पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में एयरोमैगनेटिक सर्वेक्षण आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के अन्तर्गत बहुधातु निक्षेपों का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश में हवाई भू-चुम्बकीय सवक्षण शुरु करने का इस समय कोई कार्यक्रम नहीं है । तथापि अप्रैल, से जुलाई 1972 के दौरान चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय और स्पेक्ट्रममापी यंत्रों का प्रयोग करके मध्य प्रदेश के कुल 12182 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया गया । पांचवीं योजना के दौरान, आवश्यक होने पर, तल-अन्वेक्षण तथा विस्तृत खोज कार्य द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी ।

Coal price rise and strikes after Nationalisation of Coal Mines

1287. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of times strike was observed and the prices raised after the nationalisation of coal mines ; and

(b) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansa) : (a) and (b) There has been no complete strike in the coal mines after their nationalisation though there have been sporadic cases of strikes in individual mines. The reasons for these strikes were inter/intra Union rivalries and various labour grievances.

There has been no increase in the price of non-coking coal after the nationalisation of the coal mines in 1973, except for a marginal increase in the price of soft coke produced in Mugma and Salanpur coalfield for the sake of uniformity in prices. There have been two increases in the coking coal prices supplied to the steel plants and washeries since the nationalisation of coking coal mines in 1972.

The price increases were necessary to compensate for the increased cost of production due to a variety of factors.

Compensation to persons who came from Burma during 1963-65

1288. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the persons who came during 1963-65 from Burma due to nationalisation have been sanctioned compensation; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) According to the Notification issued by the Burmese Government on December 6, 1973, compensation will be paid in respect of national and foreign owned enterprises nationaised under the Business Nationalsation Law, 1963 and the Socialist Economic System Establishment Law, 1965.

(b) According to the Notification, compensation will be paid for buildings (which are being used by the Government), machinery, furniture, office fittings, vehicles, stores and other commodities nationalised. In respect of buildings which are not being used by the Government, legal ownership title will be returned to the owners. Similarly, cash and bank balances nationalised will be refunded to the owners after deduction of taxes, etc. Owners of business nationalised will have to apply in a prescribed form within 90 days of the issue of this Notification.

विदेश मंत्री का भूटान का दौरा

1290. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में उनकी भूटान यात्रा का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : विदेश मंत्री भूटान की राजकीय यात्रा पर गए थे और 4 से 6 फरवरी 1974 तक वहां ठहरे थे । इस यात्रा के दौरान मंत्री महोदय महामहिम नरेश से मिले । भूटान के विदेश मंत्री तथा अन्य विशिष्ट लोगों से भी बातचीत हुई । यह वातचीत अत्यन्त सौहार्दपूर्ण एवं आपसी समझबूझ के वातावरण में हुई, और इसमें समान हित के अनेक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ । इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विद्यमान गहरी एवं अटूट मैत्री को और बल मिला ।

सी बैड के बारे में संयुक्त राष्ट्र में होने वाली चर्चा में भारत का दृष्टिकोण

1291. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी बैड (Sea Bed) के बारे में संयुक्त राष्ट्र में होने वाली चर्चा में भारत ने क्या दृष्टीकोण अपनाया है ;

(ख) यदि इस दृष्टिकोण को कोई समर्थन मिला है, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले अन्य राष्ट्रों के नाम क्या हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र ने एक पूर्णाधिकार प्राप्त संमेलन आयोजित किया था । इस सम्मेलन का पहला अधिवेशन 3 दिसम्बर, से 14 दिसम्बर, 1973 तक न्यूयार्क में हुआ । इसका दूसरा अधिवेशन 20 जून, से 29 अगस्त, 1974 तक काराकस (बेनेजुएला) में होगा । इस सम्मेलन के लिए प्राथमिक कार्य संयुक्त राष्ट्र समुद्र तल समिति ने 1968 से 1973 तक किया था। इस समिति में भारत ने भाग लिया था और वह पूर्णधिकार प्राप्त सम्मेलन में भी हिस्सा लेगा ।

समुद्र तल के बारे में भारत ने यह सुझाव दिया की राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा तै की जानी चाहिए । राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र की सीमाएं एक जैसी हों और तट से इनकी दूरी अंकोमें निर्धारित की जाय जैसे 200 समुद्री (नाटिकल) मील । राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र

होगा जिसके साधन मानवजाति के लिए समान दाय के रूप में होंगे । ये साधन खोजे जाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण इनका दोहन करेगा --इस कार्य के लिए इस प्राधिकरण को पूर्ण एवं प्रभावी अधिकार प्राप्त होंगें । अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण की संरचना जनतांत्रिक ढ़ंग से होनी चाहिए । इसे या तो स्वयं इन साधनों का दोहन करने का अधिकार होना चाहिए या किन्हीं सक्षम व्यक्तियों या संगठनों के साथ संविदा करके या राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लाइसेन्स देकर दोहन कराने का अधिकार होगा ।

एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के विकासशील देशों से इन विचारों को सामान्य रूप से पूर्ण समर्थन मिला है ।

पूर्णाधिकार प्राप्त सम्मेलन समुद्र तल के अलावा समुद्री कानून से संबंधित अन्य मामलों पर भी विचार करेगा जिनमें मत्स्य पालन, नौवहन स्वतन्त्रता, समुद्री पर्यावरण परिरक्षण आदि शामिल होंगे ।

राज्यों में कृषि मजदूरों की मजूरी

1292. **श्री बी० वी० नायक :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्यवार महिला तथा पुरुष कृषि मजदूरों की अलग-अलग मजूरी क्या है ; और

(ख) पुरुष तथा महिलाओं की दैनिक मजूरी की खुले बाजार भाव तथा नियंत्रित भाव पर अलग अलग राज्यवार क्रय शक्ति क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कृषि श्रमिकों की मजूरियों, जैसी कि न्यूनतम मजूरी आदि अधिनियम, 1948, के अधीन अधिसूचित की गई है, के सम्बन्ध में, उपलब्ध सूचना भारतीय श्रम आंकड़े, 1973 नामक प्रकाशन की तालिका 4.11 में दी गई है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारी उद्योगों के लिए नियंत्रक कम्पनियां

1293. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग के अन्य क्षेत्रों के लिए स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड किस्म की नियंत्रक कंपनियां गठित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों पर स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की पद्धति लागू करने का कोई विचार नहीं है ।

Loss to N.C.D.C.

1294. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the National Coal Development Corporation suffered a loss to the tune of Rs. 2·43 crores during 1972-73 ;

(b) if so, the reasons therefor and the full details in this regard; and

(c) the measures being adopted to check recurrence of such a loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) According to the audited accounts, the National Coal Development Corporation suffered a loss of Rs. 2.24 crores during 1972-73.

(b) The main reasons for the loss are :—

(i) Non-utilisation of full capacity of the washeries for want of adequate off-take of coal by steel plants and transport facilities ;

(ii) Working of Dhori Group of mines transferred from the Bharat Coking Coal Ltd., to the National Coal Development Corporation during the year ; and

(iii) Accounting of the loss of Rs. 0·74 crores for the prior-period adjustments.

(c) The Organisation of the Coal Mines Authority Ltd., which includes National Coal Development Corporation as its subsidiary company, is being streamlined with a view to improve its functioning in all its spheres.

Jurisdiction of disputes in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

1295. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the industrial disputes relating to the employees of Khadi and Gramodyog Bhavan, New Delhi which is run by the Khadi and Village Industries Commission, will come under the jurisdiction of the Delhi Administration or the Central Labour Department for the purpose of arbitration;

(b) whether on account of controversy over the jurisdiction in regard to arbitration, the employees are being harassed; and

(c) whether Government will make a categorical statement in regard to the authority that has jurisdiction over the employees of Khadi Bhavan, New Delhi in the matter of arbitration?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) The Delhi Administration who were addressed in the matter, have reported as follows :—

> "At present there is no dispute of the workmen of the Khadi Gramodyog Bhavan pending in this office. With regard to the jurisdictional issue the Presiding Officer, Labour Court in an Industrial Dispute between the management of Khadi Gramodyog Bhavan, 24—Regal Building, New Delhi-1 and its workmen Shri Nand Kishore Jain, has held vide his Award dated 11th October, 1973 that the Bhavan for the purposes of Industrial Disputes Act comes under the Central Sphere and as such the Delhi Administration has no jurisdiction in making any reference for adjudication. However, there is no information available with this office in regard to any harassment being caused to the workers on account of controversy over the jurisdiction in regard to arbitration."

(c) The matter will be examined in consultation with the Delhi Administration etc.

चीनी उद्योग में वेतन ढांचे का पुनरीक्षण

1296. **श्री पीलू मोदी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग में वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) इस मामले पर 6 दिसम्बर 1973 को नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और मतैक्य यह था कि वर्तमान मजूरी ढ़ांचे को पुनरीक्षित करने के लिए एक वार्ता तंत्र गठित किया जाए ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात का लक्ष्य

1297. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिये इस्पात उत्पादन का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस में कितनी कमी हुई है तथा उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं । चतुर्थ योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि 1973-74 तक इस्पात पिंड की कुल क्षमता 120 लाख टन हो जायेगी और इस्पात पिण्ड का उत्पादन 108 लाख टन हो जाएगा । इसमें बोकारो इस्पात कारखाने के चालू होने से 25 लाख टन की उत्पादन क्षमता, इस्को का 10 लाख टन से 13 लाख टन तक विस्तार तथा भिलाई का 25 लाख टन से अधिक विस्तार करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली कुछ अतिरिक्त क्षमता भी शामिल थी परन्तु विभिन्न कारणों से ये क्षमताएं प्राप्त नहीं हो सकीं है, और 1973-74 के अन्त में प्रभावी क्षमता केवल 89 लाख टन इस्पात पिण्ड होगी । बोकारो का प्रथम कन्वटर 31 जनवरी 1974 से ही चालू किया गया है ।

वर्ष 1972-73 में पांचों मुख्य इस्पात कारखानों का कुल उत्पादन 61.29 लाख टन इस्पात पिण्ड था । जो गत दो वर्षों के उत्पादन की तुलना में काफी अच्छा है । इस आशा में कि यह बात 1973 में भी कायम रहेगी । इस वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य 7089 लाख टन पिण्ड निर्धारित किया गया था । यह लक्ष्य क्षमता के 80 प्रतिशत उपयोग पर आधारित था । तथापि अप्रैल, 1973 से जनवरी, 1974 के महीनों में वास्तविक उत्पादन केवल 48.17 लाख टन हुआ । इसलिए इस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति की संभावना नहीं है ।

(ख) चतुर्थ योजनावधि में उत्पादन में गिरावट के विभिन्न कारण है जो प्रत्येक कारखाने तथा प्रत्येक वर्ष के अलग अलग है । मोटे तौर पर मुख्य कारण ये है :— कोक ओवन बैटरी का संतोषजनक ढ़ंग से कार्य न करना, रख-रखाव का काम बकाया रह जाना, उपकरणों में खराबी तथा टूट फूट, अपेक्षित किस्म की तापसह ईटों की अपर्याप्त उपलब्धि, जुलाई 1971 में राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मेल्टिंग शाप की छत गिर जाना, इस्को में प्रतिस्थापन, मरम्मत तथा रख-रखाव कार्यक्रम पर्याप्त न होना, विशेषतया दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा इस्को में और कुछ हद तक राउरकेला इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना तथा बिजली की कमी और उसपर प्रतिबन्ध । चालू वित्त वर्ष में उत्पादन पर जिन कारणों से विशेषरूप से प्रभाव पड़ा है वे इस प्रकार है :—

(1) बिजली की अत्यधिक कटौती, बिजली में रुकावट (मुख्यतः अप्रैल से नवम्बर, 1973 की अवधि में) इससे भिलाई को छोड़कर सभी कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा है ।

(2) इस अवधि में पुनः मुख्यतः बिजली की कटौती तथा बिजली में रुकावट से कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि, जिससे झरिया के सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रभाव पडा और कोयला शोधनशालाओं तथा कोयला खनन में रुकावट आई, जिसके परिणाम स्वरुप सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा तथा

(3) इस अवधि में बीच-बीच में धीमी गति से काम करने तथा रेलवे में औद्योगिक अशान्ति, विशेषतया दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी रेलवे में, जिससे कोयले तथा दूसरे कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा और इस प्रकार कच्चे माल की न्यूनतम स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में अत्यधिक कटौती करनी आवश्यक हो गई ।

इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति

1298. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन परियोजनाओं को शुरु करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) पांचवीं योजना में किन बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं का कार्य चलता रहेगा/हाथ में लिया जाएगा उनके नाम नीचे दिये गए है ।

(1) भिलाई इस्पात कारखाने का 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करना ।

(2) बोकारो इस्पात कारखाने का लगातार आधार पर 47.5 लाख टन पिण्ड क्षमता तक विस्तार करना ।

(3) विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन में महत्वपूर्ण प्रगति लाना ।

(4) सर्पिल वेल्डेड पाइयों के निर्माण के लिए राउरकेला में सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(5) ठडी वेलित ग्रेन ओरिएन्टेड चादरों के उत्पादन के लिए राउरकेला में एक कारखाना लगाना ।

(6) भिलाई में एक अतिरिक्त तथा राउरकेला और दुर्गापुर में आधी आधी कोक ओवन बैटरी लगाना ।

(7) भिलाई में एक उष्मसह कारखाना स्थापित करना ।

इनके अतिरिक्त टिस्को का 40 लाख से 45 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करने के लिए तैयार की जा रही तकनीकी आर्थिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस प्रस्तावपर भी विचार किया जाएगा ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में दी गई चिकित्सा सुविधाओं के लक्ष्य की प्राप्ति

1299. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का लक्ष्य प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) चिकित्सा सुविधायें राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं, अतः लक्ष्य भी उनके द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, चेचक उन्मूलन कार्यक्रम और अन्य संचारी रोगो, आदि जैसे कुछ कार्यक्रमों को जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, सहायता देती है । केन्द्रीय सरकार बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था कर उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये सुविधायें भी देती हैं । कुल 415 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में से 331 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अद्यतन अन्तर्हित कर लिया गया है और सहायता के पैटर्न के अन्तर्गत उनके पास जितने कर्मचारी होने चाहियें, उतने हैं । केन्द्र, संचारी रोगो के नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के लिये भी सहायता दे रहा है और राज्य सरकार ने इस सहायता की सारी राशि को खर्च कर लिया है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए चिकित्सा योजना

1300. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) चिकित्सा सुविधायें राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं अतः लक्ष्य भी उनके द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ, यक्ष्मारतिज, रोहे, हैजा आदि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिये सहायता देती हैं ।

(ख) संचारी रोगों के क्षेत्र में प्रत्येक कार्यक्रम के बारे में लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और 1974-75 के दौरान इस कार्यक्रम के लिये 127.11 लाख रुपए की राशि देने का विचार है ।

योजना आयोग ने 1974-75 के लिये राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 140 लाख रुपए खर्च करने की सिफारिश की है ।

"युद्ध पूर्व रोके गये व्यक्तियों" की अदलाबदली के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता

1301. **श्री वी० मायावन** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "युद्ध पूर्व रोके गए व्यक्तियो" की अदला-बदली के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि अप्रैल, 1972 में पाकिस्तान इस बात पर सहमत हुआ था कि सभी युद्ध-पूर्व-भारतीय नजरबंदों को भारत में युद्ध-पूर्व पाकिस्तानी नजरबंदो से बदल लिया जायेगा किन्तु अभी तक पाकिस्तान ने इस सहमती को कार्यरूप नहीं दिया है । इस बीच, स्वीश मिशन, जो दोनों देशों के हितों को देखभाल करता है, भारत और पाकिस्तान स्थित युद्ध-पूर्व बंदियों की सही सही संख्या का पता लगा रहे हैं ।

टेल्को एण्ड टयुब कम्पनी जमशेदपूर के बर्खास्त किए गए कर्मचारी की पुनः बहाली

1303. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **श्रम** मंत्री 15 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 763 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने इस बीच जमशेदपुर बिहार के टेल्को एंड टयूब कंपनी के बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः बहाल करने के मामले को हल करने का अपना प्रयास पूरा कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण ह और उसको हल करने के लिये समय सीमा कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार लोकसभा में दिए गए केन्द्रीय मंत्रियों के इन आश्वासनों को पूरा करने के लिये क्या प्रयास कर रही है कि किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचनानुसार राज्य श्रम मंत्री के समक्ष हुए विचार विमर्श के दौरान प्रबन्धकों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए थे । प्रबन्धकों ने परामर्श के लिये कुछ समय मांगा है ।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को भूमि के स्वामित्वाधिकार दना

1304. श्री भोला मांझी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने शरणार्थियों को भूमि के स्वामित्वाधिकार देने की अनमति के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इससे कितने शरणार्थियों को लाभ होगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा पंचालित तथा अनुमोदित अनधिवासी बस्तियों में कृषि तथा अवासीय भूमियों के निःशुल्क अधिकार तथा हक प्रदान करने के बारे में अनुरोध किया था । प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकार कर लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियो में अधिकार तथा हकपूर्ण स्वामित्व पर होंगे और शहरी क्षेत्रों की बस्तियों में नाम मात्र के भूमि के किराए पर पट्टे के आधार पर होंगे ।

(ग) इससे लगभग 1,25,000 परिवारों को लाभ होने की आशा है ।

Setting up of Heavy Industry in backward areas in Madhya Pradesh

1305. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether the proposal to set up heavy industries in backward areas has been accepted and whether schemes have also been prepared;

(b) if so, the number and names of heavy industries about whose establishment in Madhya Pradesh, a decision has been taken or is likely to be taken indicating the backward areas where they will be set up; and

(c) whether the Adivasi backward area of Shahdol, Madhya Pradesh is included in backward areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) Proposals for establishment of heavy industries are considered by the Government keeping in view all relevant factors including the need for balanced regional development. Pending finalisation of the Fifth Five Year Plan schemes and preparation of the detailed project reports, no clear indication can be given at this stage about the number and names of heavy industries that can be located in backward areas during the Fifth Five Year Plan.

(c) Accordingly to the information available with us, Shahdol district in Madhya Pradesh has not been included in the list of industrially backward districts selected for concessional finance from the financial institutions or for grant of Central subsidy.

कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा सरकारी अस्पतालों के अहातों में ही प्राइवेट बहिरंग रोगी विभागों की स्थापना करना

1306. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ डाक्टरों ने, जिन्होंने जनवरी में हड़ताल की, सरकारी अस्पतालों के अहातों में ही समांतर प्राइवेट बहिरंग रोगी विभाग चलाने की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) बहिरंग रोगी विभागों में रोगियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनमें डाक्टरों द्वारा रोगियों को जांच करना, जिन रोगियों को विशेषज्ञों के परामर्श की आवश्यकता हो उन्हें ऐसी सुविधाएं देना, प्रयोगशाला सेवा एक्स-रे और जांच की व्यवस्था करना, नुस्खे लिखना, दवाइयां देना, जिन रोगियों का अस्पताल में ही इलाज करना आवश्यक हो उनको अस्पताल में भरती करने की सिफारिश करना, हड़ताली डाक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में ऐसे समानान्तर बहिरंग रोगी विभाग न तो खोले हैं और न ही वे खोल सकते हैं ।

जनवरी, के दूसरे सप्ताह में अस्पताल के अहाते में उन्होंने शामियाने लगाये थे और उसी सप्ताह में ही अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें हटवा दिया था ।

कनिष्ट डाक्टरों ने 4 फरवरी, 1974 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इर्विन अस्पताल में तथा 11 फरवरी, 1974 को बिलिंग्डन अस्पताल में तथा कथित समानान्तर बहिरंग रोगी विभाग शुरू किये थे । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अहाते में कनिष्ट डाक्टरों ने एक अस्थायी स्ट्रक्चर लगाया था जिसे 7 फरवरी, 1974 को हटा दिया गया । फिर भी, कनिष्ट डाक्टर इस संस्थान के बहिरंग रोगी विभाग के सामने कुछ कुर्सियों और मेज लगा लगा कर रोगियों को अपनी ओर आकृष्ट करते रहे । इर्विन अस्पताल में प्रति दिन प्रातःकाल कनातें और मजें लगा दी जाती रहीं, और उन्हें दोपहर को हटा लिया जाता रहा ।

23 फरवरी से कनिष्ट डाक्टरों ने अस्पताल के अहाते में कनातें और मेजें लगाना बन्द कर दिया है। विलिंग्डन अस्पताल में कनिष्ट डाक्टरों द्वारा मेज और कुर्सियां लायी जाती हैं और अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के कार्यकाल के बाद वे इन्हें वापस अपने होस्टल में ले जाते हैं।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ के अहातों में ऐसे कोई समानान्तर बहिरंग रोगी विभाग नहीं खोले गये हैं।

एशियाई देशों का समूह बनाने के लिए चीन का प्रस्ताव

1307. श्री राम सहाय पांडे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई देशो का एक समूह बनाने के लिये चीन के कथित प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में सरकार को कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में भारी/लघु इस्पात संयंत्र

1308. श्री राम सहाय पांडे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कोई और भारी अथवा लघु इस्पात संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में मध्य प्रदेश में एक नया सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता का 25 लाख टन पिंड से 40 लाख टन पिंड तक विस्तार किया जाना है और भिलाई विस्तार योजना को पांचवीं योजनावधि में प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

तथापि मध्य प्रदेश में इस्पात पिंड/बिलेट के उत्पादन के लिये विद्युत भट्टियां स्थापित करने के बारे में प्राइवेट पार्टियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

State-wise number of Unemployed Persons

1309. Shri Shankar Dayal Singh :
Shri R. N. Barman :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the total number of unemployed persons in the country at the end of 1973, statewise; and

(b) the efforts being made by Government to create new opportunities of employment during 1974 and the number of unemployed likely to be benefited as a result thereof?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Precise estimates of the number of the unemployed are not available. The available information which relates to the number of job-seekers on the live register of Employment Exchanges is given in the statement attached.

6—3 LSS(ND)/74

(b) Most of the special employment schemes launched during the last few years would continue in 1974 also. Further, the Fifth Five Year Plan which also has a large employment potential would also be launched during 1974. The broad objectives and strategies relating to employment in the Fifth Plan are: (i) creation of wage-paid employment through investments in programmes which are of labour intensive nature, (ii) promotion of self-employment in areas like agriculture, small-scale industries, commerce and trade, (iii) special efforts for employment of weaker sections of the society, (iv) raising the earnings of marginally employed persons, (v) strengthening the agricultural sector to enable it to absorb a large bulk of rural labour force within agriculture itself as also in allied activities like animal husbandry, poultry, etc., through adoption of such measures as effective redistribution of land, credit inputs, marketing, development of dry farming techniques and other input facilities, (vi) expansion and continuation of various special schemes like small farmers development agencies, Agencies for Marginal Farmers & Agricultural Labourers, Drought Prone Area Programme in rural, tribal and hill areas, (vii) more effective family planning drive, (viii) selective use of mechanisation in agriculture, (ix) reorientation of educational system to meet the demands of economic development, (x) extensive training scheme to up-grade the skills of unemployed people to make them employable and (xi) gearing up the administrative machinery at all levels for expeditious and effective implementation of various employment-oriented schemes.

STATEMENT

Number of jobseekers on the live register of Employment Exchanges as on 31-12-1973.

(in lakhs)

State/Union Territory	Number
1	2
States	
1. Andhra Pradesh	4·78
2. Assam	1·05
Bihar	11·41
4. Gujarat	2·39
5. Haryana	1·34
6. Himachal Pradesh	0·65
7. Jammu & Kashmir	0·30
8. Kerala	5·24
9. Madhya Pradesh	4·24
10. Maharashtra	6·99
11. Manipur	0·41
12. Meghalaya	0·07
13. Karnataka	3·11
14. Nagaland	*
15. Orissa	3·35
16. Punjab	2·05
17. Rajasthan	1·78
18. Tamilnadu	5·90
19. Tripura	0·42
20. Uttar Pradesh	8·42
21. West Bengal	15·66

State/Union Territory	Number
1	2
Union Territories	
1. Andaman & Nicobar Islands	*
2. Arunachal Pradesh	*
3. Chandigarh	0·25
4. Dadra & Nagar Haveli	*
5. Delhi	1·95
6. Goa, Daman & Diu	0·19
7. Lakshadweep	0·02
8. Mizoram	0·02
9. Pondicherry	0·19
ALL INDIA TOTAL	82·18

NOTE : 1. *No Employment Exchange is functioning in these States/Union Territories.

2. Exclude figures for University Employment Information & Guidance Bureaux except for two in Delhi (Delhi & Jamia Millia Universities).

3. All the job-seekers on the live register of Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

Complaints against Employees i n Indian Embassies Abroad

1310. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints during the last one year against any of the Indian Employees working in Indian Embassies abroad ; and

(b) if so, their number and the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have received complaints against 13 Indian employees, under the administrative control of the Ministry of External Affairs, working in Indian Embassies abroad. These complaints relate to poor public relations, financial/foreign exchange irregularities and amassing assets disproportionate to their known income.

Manufacture of Trucks and Cars

1311. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number of trucks and cars being manufactured by various factories in India indicating the up-to-date number of these vehicles being manufactured by each factory annually; and

(b) whether Indian trucks and cars are also exported and if so, the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) The information is given as under :

S. No.	Name of the manufacturer	Production in Nos.		
		1971-72	1972-73	1973-74 (upto Jan., 74)
1	2	3	4	5
(a) *Commercial Vehicles*				
1	M/s. Tata Engg. & Locomotive Co. Ltd.	25,079	21,778	18,442
2	M/s. Hindustan Motors Ltd.	1,214	1,835	1,935
3	M/s. Premier Automobiles Ltd.	3,883	3,828	3,376
4	M/s. Ashok Leyland Ltd.	4,807	4,923	5,122
5	M/s. Mahindra & Mahindra Ltd.	876	894	1,298
6	M/s. Standard Motor Products of India Ltd.	633	1,382	702
7	M/s. Bajaj Tempo Ltd.	3,175	3,734	4,318
	TOTAL	39,667	38,374	35,193
(b) *Passenger Cars*				
1	M/s. Hindustan Motors Ltd.	26,202	23,812	22,525
2	M/s. Premier Automobiles Ltd.	13,388	13,988	12,902
3	M/s. Standard Motors Products of India Ltd.	971	490	755
	TOTAL	40,561	38,290	36,182

(b) The number of commercial vehicles and passenger cars exported during the last 3 years is given below :—

	Commercial Vehicles including special purpose lorries, trucks and vans	Passenger Cars
1971-72	765	5
1972-73	917	14
1973-74 (upto August, 1973)	85	1

Vasectomy and Tubectomy Operations in the Country in 1973

1312. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons who have undergone vasectomy operations and the number of women who have undergone Tubectomy operations all over the country during 1973;

(b) whether the above figures are less or more as compared to those during the last three years ; and

(c) the slogans being used by Government for the propagation of family planning?

The Deputy Minister in the Ministry of health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) The number of persons who underwent vasectomy and tubectomy operations were 1,519,393* and 471,134* respectively during 1973.

(b) The number of vasectomy and tubectomy operations done during the years 1970 to 1973, which explain the position, are given below :

Years	Vasectomy operations	Tubectomy operations
1970	925,010	425,091
1971	1,419,807	551,213
1972	1,752,477*	535,585*
1973	1,519,393*	471,134*

*Provisional

(c) Some of the slogans which have been recently used in the national programme are attached.

STATEMENT

Slogans recently used in family planning publicity

1. Biwi Bachchon Ka Dular, Ghar Main Bahar
2. Taqat Taadad Main Nahin, Shakti Sankhya Main Nahin
3. Parpai Par Aaj Ka Kharch, Kal Ki Poonji
4. Patni Aur Bachche, Mard Ki Pahli Zimmedari
5. Swasth Patni, Sukhi Pariwar
6. Istri Ke Roop-Rang Ki Raksha Ke Liye Bachchon Ke Janam Main Antar Rakhiye
7. Bachche Honge Jitne Kam, Utni Hogi Shiksha Uttam
8. Kam Bachche, Har Ek Ka Hissa Ziada
9. Do-Ya Teen Sihatmand Bachche, Kai Kamjor Bachchon Se Achhe
10. Kam Santan, Sihat Ki Nishan
11. Desh Ka Udhar, Chhota Pariwar
12. Chhote Pariwar, Bihtar Rozgar Sabhi Ke Liye
13. Chhota Ho Pariwar, Barhe Mohabbat Pyar
14. Achhe Perh Antar Se, Achhe Bachche Antar Se
15. Bachche Ka Ganam Bina Chahe Nahin, Faisle Se
16. Man Bachchon Ki Sihat Ka Raaz, Bachchon Ke Janam Main Sahi Antar
17. Man Ki Sihat Ka Mantar, Bachchon Main Ho Kafi Antar
18. Do-Ya-Teen Bachche, Aap Bhi Sukhi, Veh Bhi Sukhi.

पांचवीं योजना में गांवों में अस्पतालों की स्थापना

1313. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के गांवों में अस्पताल बनाने के महत्व पर जोर दिया है;

(ख) देश के गांवों में कितने अस्पताल हैं और ग्रामीण अस्पतालों की अभी कितनी मांग है; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान सरकार गांवों में कितने अस्पताल बनायगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) से (ग) देश में गांवों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेंद्रों की स्थापना कर उपचारात्मक और निरोधक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधायें सुलभ कराई जाती है । 30 जन, 1973 की स्थिति के अनुसार देश में 5,256 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 31,050 उप केन्द्र थे । किसी अस्पताल में उत्तम नैदानिक सुविधायें और पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन अस्पतालों के साथ संबद्ध कर दिया जाये जहां रोगियों के इलाज के लिये भेजा हो । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1283 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें तीस तीस पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बना देने का विचार है । इस योजना का उद्देश्य लोगों को साधारण तथा आम आवश्यकता वाली चिकित्सा, सर्जरी, स्त्रीरोग । प्रसूति और संवेदनाहरण संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं तथा एक्सरे और प्रयोगशाला सुविधाएं सुलभ कराना है ।

पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर होने वाले व्यय में भारत का अंश

1314. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं को रखने के लिये भारत को व्यय करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 25 अक्तूबर, 1973 से 24 अप्रैल, 1974 तक की अवधि के लिये भारत का अंशदान 72,144 अमरीकी डालर आंका गया है ।

उद्योगों को कोयल की पर्याप्त सप्लाई

1315. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि किस सरकार ने उद्योगों को कोयले की नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए अब तक जो कार्रवाई की है उससे कोई सफलता नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) उद्योगों को कोयले की पूर्ति दो कारकों, अर्थात् उत्पादन और परिवहन पर निर्भर करती हैं। 1973 वर्ष के दौरान कोयले का उत्पादन 1972 की तुलना में 24.00 लाख टन अधिक रहा। तथापि हड़तालों और रेल सेवा में गतिरोध के कारण वर्ष के दौरान रेल द्वारा कोयले की ढुलाई कम हुई। दूसरे, इस्पात संयंत्रों, रेलवे, विद्युत घरों तथा अन्य उद्योगों जैसे अनिवार्य उपभोक्ताओं को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होने के कारण, घरेलू उपभोक्ताओं, ईंट-भट्टों तथा लघु उद्योगों की मांगों को भली भांति पूरा नहीं किया जा सका।

विश्व ऊर्जा संकट पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

1317. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व ऊर्जा संकट पर चर्चा के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव से संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपतकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बूमेदीन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समक्ष कच्चे माल एवं विकास से संबद्ध समस्याओं पर विचार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा था।

प्रक्रिया नियमों के अनुसार महासचिव ने सदस्य सरकारों की राय मांगी है। अधिकांश सदस्यों ने, जिसमें भारत सम्मिलित है, इसका उत्तर हां में दिया है और आशा की जाती है कि अप्रैल में विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा।

(ख) भारत सरकार इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करती है। यह आशा की जाती है कि इस विशेष अधिवेशन में विकासशील देशों की आर्थिक विकास के कार्य में आने वाली कठिनायों पर जिनमें हाल की और अधिक गंभीर कठिनाइयां भी सम्मिलित हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वाणिज्यिक एवं वित्तीय संबंधों में बेहतर संतुलन प्राप्त करने पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार-विमर्श किया जाएगा।

नियमित साधनों से लोहा और इस्पात की उपलब्धि

1318. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मधु दण्डवते :

क्या इस्पात **और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 एककों को, जिन्हें नियमित साधनों से लोहा और सामग्री प्राप्त करने का अधिकार था, हाल ही में लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के नाम, पते तथा आम विवरण क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप हैं ; और

(घ) इनमें प्रत्येक के विरुद्ध यदि दंडात्मक कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के उपबंधों के अधीन जिस कार्य के लिए इस्पात की मांग की गई हो अथवा

उसका आबंटन किया गया हो । उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग दण्डनीय अपराध है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन उसके लिए सजा रखी गई है । इस्पात का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गए है । इन कार्यालयों द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर दुरुपयोग के आरोप में कुछ इकाइयों को इस्पात सामग्री की सप्लाई निलम्बित कर दी गई है । इस प्रकार की सब इकाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी ।

विजाग में खड़े युद्धपोतों द्वारा राहत कार्य

1319. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीस के एक कैप्टन ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय युद्धपोतों ने 'सोनावती' को बचाने के कार्य में लापरवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विजाग में खड़ा कोई भी युद्धपोत 'सोनावती' को बचाने के कार्य के लिये मौके पर नहीं पहुंचा जबकि विजाग तथा घटनास्थल में केवल 155 मील की दूरी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने ऐसे समाचार देखें है जिनमें ग्रीस जहाज के एक कैप्टन ने कतिपय सामान्य आरोप लगाए है ।

(ख) विजाग में अनुरक्षण आधीन भारतीय नौ सैनिक पोत 'कागेरता' को तत्काल ही तैयार किया गया और वह एम पी सोनावती के जीवित व्यक्तियों को सहायता देने के लिए, दिसम्बर 1973 की रात को चल दिया । वह 11 दिसम्बर 1973 को देर तक खोज क्षेत्र में ही था ।

रोजगार विषयक विशेषज्ञ समिति के अंतरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1320. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री भगवती की अध्यक्षता में नियुक्त बेरोजगारी विषयक विशेषज्ञ समिति अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में देश में बढ़ रही बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की थीं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनमें से कौन कौन सी शिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, ;

(ग) स्वीकृत सिफारिशों में से कौन कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं ; और

(घ) कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और उन्हें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) समिति की अंतरिम रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों पर योजना आयोग द्वारा स्थापित अंतर्मंत्रालय कार्यकारी दल द्वारा विस्तार से विचार किया गया । समिति की सिफारिशों और कार्यकारी दल के विचारों पर अक्तूबर, 1972 में योजना आयोग द्वारा विचार किया गया । प्रस्तावों को मंत्रालयों के परामर्श से योजना कार्यक्रम, विशष कर 1973-74 के केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वार्षिक योजना, बनाने के लिए, योजना आयोग के कार्यक्रम प्रभाग के पास विचारार्थ भेज दिया गया । इसके शीघ्र ही बाद बेरोजगार सम्बन्धी समिति ने अपनी अंतिम रिपोट दे दी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाने संबंधी प्रारम्भिक कार्य के अनुरूप थी ।

प्रार्थना-पत्र की फीस के भुगतान से बेरोज़गार व्यक्तियों को छूट देने और बेरोज़गार उम्मीदवारों को यात्रा व्यय की अदायगी के सम्बन्ध में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने सम्बन्धी समिति की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर सरकार द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है। इस सिफारिश का अंत-मंत्रालय कार्यकारी दल ने भी समर्थन किया था।

Use of Legislation to Prevent Hazardous Colours in Foodstuffs

1321. Shri Chandra Bhalmani Tewari :

Shri E. V. Vikhe Patil :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether on the insistance of Indian Standards Institution the Health Ministry had finalised a bill to prevent the mixing of hazardous colours in food-stuffs about one and half years back ;

(b) whether the bill is awaiting its translated Hindi version which is not ready ; and

(c) if not, the reasons for delay in bringing forward this Bill ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की प्रिंटिंग एवं डाइकास्टिंग लाइन

1325. श्री फतेहसिंह राव गायकवाड : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की प्रिंटिंग एण्ड डाई कास्टिंग लाइन का उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में बहुत अधिक कम होने के कारण अभी भी वो समस्या बनी हुई है ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) हिस्से पुर्जों और ढलकी वस्तुओं की सप्लाई निश्चित प्राप्ति स्थान का पता लगाने में लगने वाले समय के कारण प्रारंभिक वर्षों में इन दो लाईनों में उत्पादन पूर्वानुमानतः कम हुआ है।

विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात कारखाने

1326. श्री फहतेसिंह राव गायकवाडः क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक पूंजी निवेश वोर्ड ने विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात कारखानों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के इस्पात मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूर कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रत्येक प्रायोजना की वार्षिक क्षमता अन्तत: लगभग 30 लाख टन पिण्ड होगी। अब स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि० विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों की तैयारी के लिए कार्यवाही करेगी। इस बीच इन प्रायोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि अर्जन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए काम चलता रहेगा।

पश्चिम कमांड के मुख्यालय को शिमला से चण्डीगढ़ ले जाना

1327. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कमांड के मुख्यालय को शिमला से चण्डीगढ़ ले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है और क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्वास निदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दी गई सहायता

1328. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास निदेशालय ने दिसम्बर, 1973 और जनवरी 1974 में कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार दिलवाने में सहायता की ;

(ख) दिसम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) 15 फरवरी, 1974 को और एक वर्ष पूर्व उसी तारीख को निदेशालय में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा दिसम्बर, 1973 और जनवरी 1974 में जिन भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी गई उनकी संख्या और दिसम्बर 1972 तथा जनवरी 1973 में उनके तदनुरूप आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

दिसम्बर 73—115	दिसम्बर 72—160
जनवरी 74—129	दिसम्बर 73—204

(ग) 15 फरवरी 1974 और 15 फरवरी 1973 को निदेशालय के पास रजिस्टर किए गए भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

15 फरवरी 74—31,806

15 फरवरी 73—20,560

भारत से कुष्ट रोग के उन्मूलन की योजना

1329. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में भारत से कुष्ट रोग के उन्मूलन के लिए कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी राशि व्यय किये जाने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी, हां ।

(ख) कुष्ठ के सभी सम्भाव्य रोगियों का पता लगा कर इलाज करने के लिए देश के तमाम उच्च स्थानिक मारी तथा मध्यम स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने का विचार

है । इस कार्यक्रम की कार्यनीति का आधार घर-घर जा कर खुद छान-बीन करके एक-एक रोगी का पता लगाना तथा विपुल मात्रा में सल्फोन ग्रुप की दवाओं की व्यवस्था कर एम्बूलेंस द्वारा घर-घर जा कर रोगियों का इलाज करना तथा रोगियों की परवी करते रहना है । शहरी क्षेत्रों में कुष्ठ रोग की समस्या को हल करना, ऐसे रोगियों को जो कुष्ठ से गम्भीर रूप से ग्रस्त हों अथवा जिनमें कुष्ठ का संक्रमण अत्यधिक हो उन्हें अस्थायी रूप से अस्पताल में रखना जिन रोगियों के शरीर के अंगों में विकृति आ गई हो उनकी शल्य चिकित्सा द्वारा पुनः ठीक करना, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर पर्यवेक्षक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और विशेष रूप से नियुक्त दल के माध्यम से रोग की वैज्ञानिक जांच करना जैसे महत्वपूर्ण अतिरिक्त काम उक्त कार्यक्रम के साथ मिला दिये गये हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से कुष्ठ रोग निरोधी विशेष औषधियां देकर रोगियों की अस्पताल में भरती कर तथा बाहरी रोगी के रूप में इलाज की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने की भी व्यवस्था उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है ।

इस पर लगभग 30.43 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । योजना आयोग अस्थायी तौर पर फिलहाल 10.52 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए सहमत हो गया है ।

सेना के लिए भाखड़ा प्रबन्ध मंडल का भवन

1330. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अधिकारियों ने भाखड़ा प्रबन्ध मंडल के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में भाखड़ा तथा गोलथई के चहुं ओर स्थित खाली पड़े भवनों का अधिग्रहण किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों ने भाखड़ा प्रबन्ध मंडल के साथ इस मामले पर कब बातचीत की थी ; और

(ग) विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उत्तराधिकारी सरकार होने के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार इन भवनों की पूरी तरह हकदार है, भाखड़ा प्रबन्ध मंडल की इस अनुरोध के बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । तथापि सेना कमांडरों के नांगल और भाखड़ा के दौरे के दौरान अक्तूबर 1973 में भवनों की सेना को पेशकश की गई थी ।

(ख) 6–10–1973 ।

(ग) भाखड़ा प्रबंध मंडल के अध्यक्ष को इन भवनों के केवल अस्थायी शिविरों के लिए सेना को स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं थी । क्योंकि यह आवास सेना के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया अतः इस मामले पर और आगे बातचीत नहीं की गई और अक्तूबर 1973 में इसे छोड़ दिया गया ।

खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों से परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने के लिए स्वदेशी जड़ी-बूटियां

1331. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों से परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने के लिये हमारी स्वदेशी जड़ी-बूटियों से अनुसंधान कार्य करने का कोई प्रयास किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : जी, हां । स्वदेशी जड़ी-बूटियों के खाने के परिणामस्वरूप होने वाले जनन-क्षमतारोधी प्रभावों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि

1333. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वृद्धि को देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) सेना के कार्मिकों की पेंशन के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों सक्रिय रूप से विचाराधीन है। 1-1-1973 से पूर्व जो व्यक्ति सेवा निवृत्त हो गए हैं उनके बारे में स्थिति यह है कि सिविल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राहत देने का प्रश्न विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है। उक्त निर्णय, जब कभी होगा तो वह भूतपूर्व सैनिकों को भी लागू होगा।

नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशियों को जमा कराने में चूक करने के मामलों में वृद्धि

1334. **श्री मधु लिमये :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशियों को जमा कराने में चूक के मामले बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या चूक के ये मामले निजी क्षेत्र तक ही सीमित हैं ;

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों ने भी चूक की है ;

(घ) क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या इस बारे में दण्ड को और कठोर बनाने के लिए विधान में कोई संशोधन किया जाना है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के चूक कर्त्ता नियोजकों के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है :—

(i) कर्मचारी भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जाता है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं।

(iii) उचित मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती हैं।

(iv) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14—ख के अन्तर्गत दंड हरजाने लगाए जाते हैं।

(v) चूककों, नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों, जिनमें ट्रेड युनियन शामिल हैं, के ध्यान में लाया जाता है ।

(ङ) दंडनीय उपबन्धों को और कठोर बनाने के लिए, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को संशोधित किया गया है ।

दिल्ली को साफ्ट कोक की सप्लाई

1335. **श्री मधु लिमये : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 के सर्दी के महीनों में वैगनों की कमी/कोयले के उत्पादन में गिरावट के कारण दिल्ली में कोयले की सप्लाई आधी कर दी गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो सर्दी के महीनों की वास्तविक मासिक आवश्यकताएं क्या हैं और वास्तविक सप्लाई क्या थी ;

(ग) क्या साफ्ट कोक का खुले बाजार का मूल्य दोगुना से अधिक हो गया था यदि नहीं, तो बाजार के वास्तविक भाव क्या थे ; और

(घ) क्या साफ्ट कोक का सरकारी मूल्य भी जनवरी, 1974 से दोगुना हो गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) रेलवे प्राधिकरियों ने कोयला खानों से दिल्ली संघ क्षेत्र को साफ्ट कोक की ढुलाई के लिए प्रतिमास 1500 डिब्बों का कोटा निश्चित कर रखा है । अक्तूबर, 1973—फरवरी, 1974 की अवधि में मासिक प्राप्ति इस प्रकार रही है :—

	डिब्बे
अक्तूबर, 1973	922
नवम्बर, 1973	1,310
दिसम्बर, 1973	960
जनवरी, 1974	1,317
फरवरी, 1974 (22 फरवरी, 1974 तक)	1,317

(ग) और (घ) दिल्ली संघ क्षेत्र में कोयले/कोक की प्राप्ति और वितरण का विनियमन दिल्ली कोल नियंत्रण आदेश, 1963 के अनुसार किया जाता है । कोयले/कोक का मूल्य दिल्ली विशिष्ट वस्तु (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1971 के अधीन दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है । दिल्ली प्रशासन द्वारा निश्चित किये गये साफ्ट कोक के खुदरा मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

मूल्य प्रति क्विंटल	
15-1-74 से पूर्व	15-1-74 से
रुपये 17.50	रुपये 17.80

उसी तारीख से, सड़क के रास्ते दिल्ली को लाये गये साफ्ट कोक का मूल्य 34 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया था ।

रेल द्वारा लाया गया कोयला केवल घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित किया जाता है ।

मूल्य में वृद्यि की अनुमति रेल भाड़े, अधिभार, एल० डी० सी० सी० प्रभारों, रेलवे साइडिंग पर उतारने चढ़ाने के खर्च तथा खुदरा व्यापारियों की आढ़त में वृद्धि के कारण दी गई थी ।

पाकिस्तान द्वारा अरब देशों के मिराज विमान चालकों को प्रशिक्षण

1336. **श्री मधु लिमये :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांसीसी समाचार पत्र 'ल-औरोरे' में फरांस द्वारा पाकिस्तान को अरब देशों के 'मिराज' विमान चालकों को विमान चलाने में प्रशिक्षण देने सम्बधी अनुरोध के बारे में प्रकाशित हुआ समाचार देखा है ;

(ख) क्या पाकिस्तान के साथ समझौते के लिये बात-चीत करने के विचार से एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मंडल हाल ही में पाकिस्तान गया था ;

(ग) क्या उस देश में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि हो जाने से पाकिस्तान की वायु क्षमता में वृद्धि नहीं हो जायगी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) ऐसा पता चला है कि एक फरांसिसी प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया है ।

(ग) ऐसा ही होने की संभावना है ।

(घ) हमारी रक्षा तत्परता से योजना बनाते समय ऐसे सौदों के प्रभाव ध्यान में रखा जाता है ।

ऐल्यूमिनियम के उत्पादन में कमी

1337. **श्री मधु लिमये :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐल्यूमिनियम के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी कमी रह गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) 1974 के दौरान ऐल्यूमिनियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) जी, हां । 1973–74 के दौरान अल्यूमिनियम उत्पादन के 200,000 टन प्रारंभिक अनुमानों के विपरीत उक्त अवधि में लगभग 150,000 टन उत्पादन होने की आशा है ।

चालू वर्ष में अल्यूमिनियम उद्योग पर विभिन्न राज्य-बिजली बोर्डों द्वारा लागू की गई भारी बिजली कटौतियों का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

अल्यूमिनियम उद्योग में प्रद्रावण क्षमता का और अधिक उपयोग करने के लिए बिजली की मात्रा बढ़ाने की संभावना पर सरकार विचार कर रही है ।

न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श

1338. **श्री मधु लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री ने आपसी हितों के संबंध में भारत के प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था ;

(ख) क्या आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है ;

(ग) क्या विशेष रूप से हिन्द महासागर और प्रशान्त क्षेत्र तथा सामान्य रूप से भारत और न्यूजीलैंड को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श के माध्यम से उस देश के साथ सामीप्य प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत और न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार के आकार में वृद्धि होने का अनुभव किया । दोनों प्रधान मंत्री व्यापार एवं आर्थिक मिशनों के विनिमय की वांछनीयता पर सहमत हुए । उन्होंने यह माना कि न्यूजीलैंड का निर्यात आयात निगम और भारत के ऐसे ही संगठन दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं । इस पर भी सहमति हुई कि कागज उत्पादन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच संयुक्त उद्यम की सम्भावना का और पता लगाना चाहिए ।

(ग) और (घ) दोनों प्रधान मंत्रियों ने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के सिद्धांत के समर्थन की पुनः पुष्टि की ; यह क्षेत्र बड़े देशों की स्पर्धा, तनाव और सैन्य-विस्तार से मुक्त रहना चाहिए । बातचीत से पता लगा कि कई विचारों में निकट समानता है, जैसे कि एशिया के सभी देशों में निकट सहयोग; सुरक्षा परिषद प्रस्ताव संख्या 242 की व्यवस्थाओं के अनुरूप मध्य-पूर्व में न्यायोचित और स्थायी शांति की प्राप्ति ; परमाणु अस्त्र परीक्षणों का विरोध और जातिगत भेदभाव की नीतियों का विरोध ।

शोर-शराबा कम करने के लिए विधान

1339. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोर-शराबा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शोर-शराबा कम करने के लिए कोई विधेयक लाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) शोर स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है ।

(ख) इस सम्बन्ध में विधेयक लाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

Expenditure on Family Planning during Fourth Five Year Plan

1340. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on family planning during the Fourth Five Year Plan and the expenditure out of it incurred on administration ;

(b) whether targets envisaged in this regard have not been achieved ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to take some new positive and concrete steps to check the rate of growth of population?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) The estimated expenditure on Family Planning Programme during the Fourth Five Year Plan is likely to be about Rs. 280.03 crores. Out of this, the expenditure on administration at various levels is estimated as follows :

(i) Central level	Rs. 1.51 crores
(ii) State Headquarters including State Family Planning Bureaux.	Rs. 3.94 crores
(iii) District Family Planning Bureaux	Rs. 20.73 crores

(b) The target and achievement of total acceptors of Family Planning methods yearwise during the Fourth Five Year Plan are as follows :

(Figures in Million)

	Target	Achievement
1969-70	5.35	3.40
1970-71	8.30	3.77
1971-72	6.74	5.03
1972-73	10.90	5.76
1973-74	7.24	3.32 (Up to December '73)

(c) Reasons are mainly as follows :

(i) Slow progress in building up of infra-structure in some of the States ;

(ii) Non-availability of trained medical and para-medical personnel required for the programme ;

(iii) Low degree of literacy and inadequate levels of socio-economic development of population in some areas.

(d) Yes.

Production of Finished Steel

1341. **Shri M.C. Daga :**
Shri B. S. Chowhan :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the requirement and production of finished steel in the country at present and the quantity of steel to be imported this year ; and

(b) whether the country will become self-sufficient in steel and if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) For 1973-74, the demand estimated at present is 6.6 million tonnes and domestic availability 5.6 million tonnes. Imports during the current year are estimated at 1 million tonnes. A near self-sufficiency position in steel can be anticipated by the close of the Fifth Five Year Plan, though some categories of steel may still have to be imported and some types of steel will also be exported.

Support to India's Foreign Policy

1342. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether as a result of visits by Mr. Brezhnev, Marshal Tito and Mrs. Bandaranaike to India recently, the foreign policy of India has gathered further support and

(b) if so, the nature of the reaction it had in Asia ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The exchange of views during the visits of these dignitaries had brought out the close identity of views on all important international issues discussed.

(b) The reactions of countries in the Asian region have been favourable and positive. Indias's stand with regard to greater co-operation and inter-dependence between the countries of the region, as well as our view that the Indian Ocean should be a zone of peace, have received widespread support.

Incentive to Workers to Boost Production

1343. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether material incentive to workers is necessary to boost production in the country and

(b) if so, whether Government propose to enact a new legislation for this purpose?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) & (b) Apart from the statutory provisions for the payment of bonus under the payment of Bonus Act, 1965, other systems of incentive payments based on production, attendance etc. are in vouge, in addition to payments on piece rates. At present there is no proposal to enact any new legislation of the purpose.

ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1344. **श्री समर मुखर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सों लैबोरेट्रीज के कर्मचारियों ने 19 दिसम्बर, 1973 से पूरे भारत में प्रदर्शन किए थे ;

(ख) उनकी मुख्य मांगे क्या थीं ;

(ग) क्या उन्होंने अपने आप को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी माने जाने की मांग की है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई विस्तृत सूचना नहीं है ।

7—3 LSS(ND)/74

(ग) और (घ) चिकित्सा सम्बन्धी प्रतिनिधि (ग्लैक्सो लैबौरेटरीज के प्रतिनिधियों सहित), जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय चिकित्सा प्रतिनिधि ऐसोसिएशन महासंघ करता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत "कर्मकार" शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत अपने शामिल किए जाने के लिए मांग करते रहे हैं। व्यापक औद्योगिक संबंध कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय इस मांग को ध्यान में रखा जाएगा।

पश्चिम बंगाल में श्रमिकों में असन्तोष

1345. श्री राम कंवर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संयंत्रों के श्रमिकों में गंभीर असन्तोष फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे असन्तोष के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है और यदि उद्योगों के सुचारू रूप से चलाने तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों के एक वर्ग द्वारा 14 जनवरी, 1974 से की गई हड़ताल, राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के हस्तक्षेप पर 15 फरवरी, 1974 से समाप्त कर दी गई। औद्योगिक संबंध तंत्र, कार्य-रोधों को कम करने के लिए, वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, आवश्यकतानुसार, मध्यस्थता, संराधन, न्यायनिर्णयन या विवाचन के के माध्यम से अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।

ब्रिटेन के संसदीय गृह अवर सचिव के साथ हुए विचार-विमर्श

1347. श्री डी० डी० देसाई : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की समस्याओं के बारे में ब्रिटेन के संसदीय गृह अवर सचिव, मिस्टर डेविड लेन के साथ विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो उस विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या इस विचार विमर्श के दौरान ब्रिटीश पारपत्रधारी उगांडा के भारतीयों की समस्या के बारे में भी बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी अन्य माध्यम से इस मामले को उठाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। ब्रिटेन के संसदीय गृह अवर सचिव, श्री डेविड लेन के साथ विचार-विमर्श हुआ था, जिन्होंने 12 से 16 जनवरी, 1974 तक भारत की यात्रा की थी। इस बातचीत में ये मामले लिये गए थे—युनाइटेड किंगडम में आप्रवासन से संबंधित समस्याएं, ब्रिटेन में अवैध प्रवेश की समस्या, भारत से जाने वाले आकस्मिक यात्रियों की परेशानियां दूर करना, प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करने में होने वाला अनावश्यक विलम्ब तथा विभक्त परिवारों की समस्या और ब्रिटिश पासपोर्टधारी उगान्डा के भारतीयों की समस्या। सरकार को सूचित किया गया था कि इन सभी मामलों पर ब्रिटिश प्राधिकारी सहानुभूति से विचार करेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के नये निक्षेप

1348. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये कोयले के नये निक्षेपों का पता लगाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या पांचवीं योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये है और ऊर्जा संकट दूर करने के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लक्ष्यों में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की जानी है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने भारत में कोयला खानों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में सहायता देने के लिये पौलैण्ड सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य किन देशों से सहायता की मांग की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने निम्नलिखित क्षेत्रों में नए कोयला निक्षेपों का पता लगाने के लिए क्षेत्रगत समन्वेषण कार्यक्रम अपनाया है :—

(1) बिहार की राजमहल पहाड़िया ।

(2) अरुणाचल प्रदेश के नामचक नामफुंक कोयला क्षेत्र ।

(3) प० बंगाल में राजमहल का पूर्वी भाग ।

(4) मध्य प्रदेश का पाथेरखेड़ा कोयला क्षेत्र (सेक्टर 2 व 3) ।

(5) सिंगरौली कोयला क्षेत्र का पश्चिमी भाग ।

(6) मध्य प्रदेश में लखनपुर कोयला क्षेत्र तथा कोरबा कोयला क्षेत्र अछूते स्थान ।

नए निक्षेपों का पता लगाने के लिए कुल मिलाकर 15 ड्रिलों को काम पर लगाया गया है तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोयला खान प्राधिकरण की चालू कोयलाखानों में और उनके आस-पास अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए भी खोज कार्य किया जा रहा है ।

(ख) इस्पात संयंत्रों, रेलवे तथा प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1978–79 तक कोयले का उत्पादन लक्ष्य अस्थायी तौर पर 1350 लाख टन रखा गया है । कोयले के उत्पादन लक्ष्य के बारे में वर्तमान तेल-संकट के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा इस समय पुनः विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने झरिया कोयला क्षेत्र की खानों के आयोजन, पुनर्गठन और पुनर्निर्माण तथा केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान की स्थापना में सहायता प्राप्त करने के लिए पोलैण्ड की ओवरसीज माइन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (कोपेक्स) के साथ एक समझौता किया है ।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र की दो 'ओपनकास्ट' खानों के निर्माण के लिए सोवियत रूस का सहयोग लिया जा रहा है । सोवियत सरकार रानीगंज कोयला क्षेत्र की एक भूमिगत खान तथा कोरबा कोयला क्षेत्र की एक 'ओपनकास्ट' खान के विकास में भी सहयोग देगी ।

समझौते के लिए आई० ए० सी० के कर्मचारियों की अपील

1349. श्री सी० जनार्दनन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों ने सरकार से समझौता कराने की अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) एयर कारपोरेशन एम्प्लाइज यूनियन, नई दिल्ली ने इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के प्रबन्धकों को, एक नई पारी पद्धति आरंभ करने के उनके निर्णय के विरुद्ध, हड़ताल का नोटिस दिया इस मामले को उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली द्वारा संराधन में लिया गया था, जो असफल रहा। तथापि, एयर कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन, ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। इण्डियन कमर्शियल पाइल्टस एसोसियेशन, कलकत्ता ने प्रबन्धकों द्वारा घोषित तालाबन्दी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएँ दायर की और 4 फरवरी, 1974 को मुख्य श्रमायुक्त (के०) को संराधन के लिए अनुरोध किया। मामले को संराधन में नहीं लिया गया था क्योंकि यह न्यायाधीन था। इस बीच, एक और इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों और दूसरी और इंडियन कमर्शियल पाइलट्स ऐसोसिएशन में 21 फरवरी, 1974 को एक समझौता हुआ, जिसके अनुसरण में प्रबन्धकों ने समझौते के अन्तर्गत आने वाले लाईन पाईलटों के सम्बन्ध में तालाबन्दी समाप्त कर दी है।

इस समझौते के अधीन, इण्डियन कमर्शियल पाइलाट्स ऐसोसिएशन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई दो रिट् याचिकाओं को वापस ले लेना और सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना स्वीकार कर लिया है। एयर कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट् याचिका अभी अनिर्णीत पड़ी है।

Concentration of Pak Army on Khemkaran Border

1351. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of **Defence** be pleased to state;

(a) whether Pakistan has started concentration of its army on Khemkaran border; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

Training to Pakistan Army by Chinese Experts

1352. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:
(a) whether Government of India have received reports that Chinese experts are training the Pakistani army ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Government have no authentic information yet in this regard.

(b) Does not arise.

दिल्ली में कान-नाक-गला विशेषज्ञ सम्मेलन

1353. **डा० सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 22 जनवरी, 1974 को कान-नाक-गला विशेषज्ञों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) किन किन विषयों पर चर्चा हुई तथा सम्मेलन में कौन से संकल्प पारित हुए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि इस सम्मेलन के चर्चा के विषय आख-नाक-गले के विभिन्न रोगों से संबंधित अनेक प्रकार के वैज्ञानिक लेख थे। इस सम्मेल्लन में यदि कोई संकल्प पारित हुआ हो तो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। जब कभी भी इन संकल्पों की प्रतिलिपियां प्राप्त होंगी, उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस्पात संयंत्रों को पानी की सप्लाई हेतु गोदावरी मार्ग बदलने की योजना

1354. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी का मार्ग बदलने की योजना का कार्य प्रारम्भ करने के लिये ऋण की मांग की है, जिससे कि विशाखापत्तनम के प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिये जल सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) गोदावरी का मार्ग बदलने की योजना जिसका डिजाइन विशाखापत्तनम के प्रस्तावित इस्पात कारखाने की पानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना है इस्पात प्रायोजना का ही एक भाग है। इस योजना का काम तभी शुरू किया जा सकता है जब विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के आधार पर इस बात का पता चल जाएगा कि कितने पानी की आवश्यकता होगी और किस प्रकार के पानी की आवश्यकता होगी तथा ये कार्य कितने चरणों में पूरा किया जाएगा, आदि आदि। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की तैयारी के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० शीघ्र ही कार्रवाई करेगी।

Fall in Production in Factories in Public Sector

1355. **Shri B. S. Chowhan :**
Shri C. K. Chandrapan :

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the names of the factories in Public Sector where production is likely to fall during the current year ;

(b) the names of the factories where the production will be according to the target; and

(c) the factories where the production is likely to be more than the targets fixed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) Production in the current year in the case of all the public sector units under this Ministry will be higher than that achieved in the last financial year.

(b) Production will be achieved as targetted by the Mining and Allied Machinery Corporation Ltd., Triveni Structurals Ltd., Tungabhandra Steel, Gresham and Craven and the Machine Tools Corporation of India Ltd.

(c) Production is likely to exceed targets in the case of Bharat Heavy Electricals Ltd. Jessop & Co. Ltd., and Richardson and Cruddas Ltd.

Production of Khetri Copper Project

1356. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Copper Project at Khetri, Rajasthan has started production ; and

(b) if so, the annual production target thereof and the production at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) The production of copper metal has not yet started at Khetri Copper Project. Metal production is likely to commence in the second quarter of 1974-75.

Manufacture of Passenger Bus Chassis by Ashok Leyland and Telco

1357. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether 38 and 1576 Passenger Bus Chassis were manufactured by Ashok Leyland and Tata Engineering Locomotive Company respectively between 1st September, 1972 and 30th September, 1973 ;

(b) if so, the number of the passenger chassis supplied to different States during the said period ; and

(c) whether all the Chassis were supplied on the basis of priority or registration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir. The production during the period mentioned was 3256 bus chassis by Ashok Leyland and 6351 by Tata Engineering & Locomotive Company.

(b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) Supplies to State Transport Undertakings and Government Departments were made on priority and those to private parties on the basis of registration.

Smallpox in the Country

1358. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether 40 per cent of the total cases of small pox in the World last year were in Bihar State alone ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the State-wise number of small pox cases in the country during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) No

(b) Does not arise.

(c) A statement showing the requisite information is attached. [*Placed in Library See No. L.T.* 6261/74.]

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी महिलाओं के साथ विवाह

1359. **श्री एम० ए० पुरती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कौन से भारतीय दूतावासों के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों ने विदेशी महिलाओं के साथ विवाह किया है और उनमें से कितनी महिलाओं ने भारतीय नागरिकता अर्जित की है; और

(ख) इस संबंध में हमारी सरकार की नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय राजदूतावासों में काम करने वाले किसी भी भारतीय अधिकारी तथा अन्य कार्मिक ने पिछले तीन वर्षों में विदेशी महिला से विवाह नहीं किया ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा विदेशी राष्ट्रिकों से विवाह करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति, जिसे जुलाई 1960 में भूतपूर्व विदेश मंत्री द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ था निम्नानुसार है :—

भारतीय विदेश सेवा के 1965 के तथा उसके बाद के बैचों को विदेशियों से विवाह करने की अनुमति नहीं क्योंकि जिस समय वे प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे उस समय स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसे विवाहों को किसी भी दशा में स्वीकृति नहीं दी जाएगी । भारतीय विदेश सेवा (ख) के सभी वर्गों पर भी यही प्रतिबंध लागू होते हैं ।

जहां तक 1965 से पहले सेवा में आने वाले भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का प्रश्न है हमारी सरकार कि नीति है की सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रिकों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाय तथा उन परिस्थितियों का भी पता लगाया जाय जिनमें भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ने ऐसा सम्बन्ध स्वीकार किया है । ऐसा करने के बाद हर मामले के गुणावगुण के आधार पर तथा नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाय :—

(1) विदेशी की राष्ट्रिकता

(2) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी की परिपक्वता

(3) विदेशी राष्ट्रिक के पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट, और

(4) विवाह की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने को विदेशी राष्ट्रिक की तत्परता

लघु उद्योग क्षेत्र में कच्चे लोहे की कमी

1360. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे की कमी के कारण कुछ फैक्टरियों एवं इंजीनियरिंग कारखानों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कारखाने कौन से है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) यह कहना ठीक न होगा कि कच्चे लोहे की कमी के कारण ढलाई कारखाने और इंजीनियरी इकाइयों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी, अप्रैल 1973 से लेकर कच्चे लोहे की सप्लाई में कुछ कमी हो गई है और कच्चा लोहा इस्तेमाल करने वाले सभी क्षेत्रों में कमी का कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

(ग) कच्चे लोहे की कमी को देखते हुए उपलब्ध कच्चे लोहे के साम्यिक वितरण की प्रणाली बनाई गई है। इसका साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए कच्चे लोहे के आवंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने हेतु एक समिति भी बनाई गई है जिसका अध्यक्ष लोहा और इस्पात नियंत्रक है। जब तक घरेलू बाजार में इसकी प्रदाय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक पुराने वायदों पर कच्चे लोहे का निर्यात आस्थगित करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे है। ढलाई कारखानों के लिए कच्चे लोहे के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के लिए काफी क्षमता विद्यमान है लेकिन इस समय कोयले, बिजली तथा इस्पात कारखानों को तथा इस्पात कारखानों से माल ले जाने के लिए रेल के डिब्बों की कमी के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। सम्बन्धित अभिकरणों के सक्रिय सहयोग से एक रेल परिवहन समन्वय लक्ष भी खोला गया है।

पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण लोगों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का लक्ष्य

1361. श्री वीरभद्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण लोगों को दी जाने वाली चिकित्सा विधाओं के लक्ष्य को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बाते क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में परिवार नियोजन, पोषण और बच्चों में रोग की रोकथाम के साथ साथ जनता को स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है :—

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करना।

(2) 10,000 की आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र खोलना।

(3) कर्मचारियों के मकानों के निर्माण से सम्बन्धित अधूरे कार्य को पूरा करना और तत्विषयक कमियों को दूर करना।

(4) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपये तथा प्रत्येक उपकेन्द्र के लिए प्रति वर्ष 2,000 रुपये की बढ़ी हुई दर पर औषधियों की व्यवस्था करना; और

(5) 30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक केन्द्र का दर्जा बढ़ाना। इन अस्पतालों में निरोधक तथा चिकित्सा के कार्यक्रमों के अलावा कार्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति, स्त्री रोग, संवेदनाहर, आपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष, प्रयोगशाला और एक्सरे जांच तथा एम्बुलेंस जैसी आम तौर पर दी जाने वाली विशेषज्ञ सेवाएं दी जाएगी।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार केवल राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के संचालन में मदद और सलाह देगी। इन योजनाओं का ब्योरा और इलाज की सुविधाओं के लक्ष्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अलजियर्स में गुट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक

1362. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

श्री श्रीकिशन अग्रवाल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की मार्च 1974 में अलजीयर्स में होने वाली बैठक में सम्मिलित होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में सरकार क्या व्यापक रूप अपनायेगी; और

(ग) अलजीयर्स में होने वाली उक्त बैठक की कार्यसूची के विषय क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) जी हां। सरकार ने मार्च 1974 में अल्जीयर्स में होने वाली गुटनिरपेक्ष देशों की समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

(क) और (ख) बैठक की प्रस्तावित सूची में मध्य पूर्व प्रश्न तथा गुट-निरपेक्ष देशों की हाल की अल्जीयर्स शिखर वार्ता में लिए गए निर्णयों के अन्तर्गत विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की समस्याएं भी शामिल है।

सरकार ने इस विचार पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है कि चतुर्थ शिखर सम्मेलन के ठिक बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की समन्वय समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जाय। प्रस्तावित बैठक से अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के बीच और घनिष्ठ सहयोग के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विचार करने का मौका मिलेगा। आशा है कि इन विचार-विमर्शों से गुट-निरपेक्ष देशों के बीच परस्पर परामर्श तथा समन्वित कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा।

इस्पात उद्योग में संकट

1363. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के इस्पात उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संकट किस प्रकार का है; और

(ग) उक्त संकट का सामना करने तथा उसे दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय लक्ष्य की तुलना में सामान्यतः वर्तमान वित्त वर्ष में और विशेषतः लगभग पिछले तीन महीनों में मुख्य इस्पात कारखानों के परिचालन में गम्भीर रुकावट के कारण इस्पात के उत्पादन में हुई कमी से है। मुख्य इस्पात कारखानों के उत्पादन पर विशेषरूप से जिन कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वे इस प्रकार है :—(1) बिजली में भारी कटौती और बिजली की सप्लाई में रुकावट आने के कारण विशेष रूप से अप्रैल से नवम्बर, 1973 की अवधि में भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों

में बड़ी मात्रा में इस्पात के उत्पादन में कमी हुई; (2) इस अवधि में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि ने, जो बिजली की कटौती और बिजली सप्लाई में रुकावट आने के कारण ही थी, समस्त झरिया कोयला क्षेत्र पर प्रभाव डाला और इसके कारण कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों के परिचालन में कमी करनी पड़ी; और (3) बीच-बीच में धीमी गति से काम करने और रेलवे में, विशेषरूप से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी रेलवे में श्रमिक अशान्ति के कारण कोयले तथा दूसरे कच्चे माल तथा तैयार इस्पात की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा और कच्चे माल की न्यूनतम आवक को देखते हुए उत्पादन में भारी कटौती करनी आवश्यक हो गई ।

मिश्रित इस्पात के उत्पादकों, पुनर्वेलन इकाइयों, तार बनाने वाली इकाइयों और टंडी बेलित स्टिप इकाइयों पर भी बिजली की कटौती/रुकावट का न्यूनाधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा । इन इकाइयों को इस वर्ष जनवरी से फर्नेस आयल की सप्लाई में की गई कमी के कारण भी ऐसी इकाइयों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ।

(ग) लगभग नवम्बर, 1973 के मध्य से बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है । रेलवे कर्मचारियों का आन्दोलन भी समाप्त हो गया है । इस्पात कारखानों को कोयले की नियमित सप्लाई तथा कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखा जा रहा है । स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा इसकी समीक्षा करने के लिए कलकत्ता में एक विशेष रेल ढुलाई समन्वय कक्ष की स्थापना की गई है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के विभिन्न कार्य करने वाले (बहु-उद्देशीय) श्रमिकों के लिए गठित की गयी समिति की सिफारिशें

1364. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के विभिन्न कार्य करने वाले बहुउद्देशीय श्रमिकों के मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उक्त सिफारिशों में से एक या एक से अधिक सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां

(ख) सिफारिशों का सक्षिप्त विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6262/74**।]

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अप्रैल 1974 से आरंभ करने का प्रस्ताव है ।
2. समिति की रिपोर्ट सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई है और उनकी टिप्पणी मांगी गई है ।
3. 5 से 7 अप्रैल, 1974 तक होने वाली केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन परिषद् की संयुक्त बैठक में भी समिति की विभिन्न सिफारिशों पर विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है ।
4. अन्य बातों के साथ साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार पेनल गठित किया गया है जोकि बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के लिए कार्य पुस्तिका (मैनुअल) तैयार करेगा ।

पांचवीं योजना के अन्त में ट्रैक्टरों की अनुमानित आवश्यकता

1365. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक देश में ट्रैक्टरों की अनुमानित आवश्यकता के बारे में कृषि मंत्रालय और उनके मंत्रालय के बीच बहुत अधिक मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना अवधि के दौरान देश में ट्रैक्टरों की मांग का सही अनुमान क्या है ; और

(ग) ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार पांचवीं योजना अवधि के अंत तक ट्रैक्टरों की संभावित मांग प्रति वर्ष 79,000 होगी।

(ग) टैक्टरों का निर्माण करने के लिये पर्याप्त क्षमता स्वीकृत की गई है और आशा है कि संभावित मांग देशी उत्पादन द्वारा पूरी हो जायेगी।

Deaths due to Taking Spurious Drugs

1366. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to: he conclusions of the survey conducted by Consumers Council of India that 50 per cent of the patients in India die of spurious drugs ;

(b) whether the Council has referred in its report to the incident in which 50 children died after taking spurious medicines in Moga (Punjab) ;

(c) whether the Council also demanded that a High Powered Committee should be set up to investigate the matter ; and

(d) if so, the decision of the Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes. The basis of the statement made by the Council is being ascertained and further particulars are being called for.

(b) Yes. However, according to the report of the State Police, sixteen children died at Moga due to administration by a Vaid of strychnine poison, a drug used to kill rats. This is said to be the conclusion of medical experts who analysed the stomach wash of some of the victims.

(c) The Council has demanded appointment of a Commission of Enquiry to study the problems of adulteration.

(d) Following high level discussions under the Chairmanship of the Minister and "Informal Group" has been set up in the Ministry to study problems of adulteration of food and drugs with special reference to Delhi. Representatives from Central Citizens' Council, Consumer Council of India and the All India Women's Conference also participated in the discussions.

इस्पात वितरण पद्धति

1367. डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात वितरण की एक नयी पद्धति लागू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नयी पद्धति क्या है तथा अभी तक लागू पद्धति से वह किस प्रकार अच्छी है ; और

(ग) नयी पद्धति को किस तिथि से लागू किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) वर्तमान वितरण व्यवस्था सन्तोषजनक ढंग से चल रही है। फिर भी, वितरण प्रणाली की समय समय पर समीक्षा की जाती है और इसमें यथावश्यक परिवर्तन कर दिये जाते हैं। इस्पात वितरण प्रणाली पर विभागीय अध्ययन दल की सिफारिशों का एक विवरण, संलग्न है। इन सिफारिशों को सरकार ने हाल में स्वीकार किया है तथा इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

इस्पात की वितरण प्रणाली के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें जो सरकार ने स्वीकार कर ली है और जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है

क्रम संख्या	सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण
1	मांग पत्र में से कुछ अनावश्यक खण्डों को निकाल कर उसे युक्ति संगत तथा संगणक-उन्मुख बनाना।
2	संगणक द्वारा बनाये गये संबन्धित आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक मांग पत्र के बारे में उत्पादन निश्चित करना।
3	त्रैमासिक आपूर्ति हेतू बयाने की छूट की सीमा।
4	इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों द्वारा दिये गये आर्डरों के मामले में बयाने की अदायगी से छूट।
5	मांग पत्रों के आयोजन के लिए दिए गये समय को 2 सप्ताह से घटाकर एक सप्ताह करना तथा सेल आर्डर जारी करने के समय को 41 दिन से घटाकर 21 दिन करना।
6	प्राथमिकता आधार पर भेजे गये मांग पत्र सीधे संयुक्त संयंत्र समिति के पास भेजे जाएंगे और उनकी प्रतिलिपि प्रायोजक प्राधिकारी को भेजी जाएगी।
7	मुख्य उत्पादक लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा निश्चित किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सहित उद्योगों को आबंटन करेंगे।
8	मेचिंग रिजर्व के लिए अलग से रखी गई मात्रा केवल ऐसी मदों के लिए रखी जाएगी जिनका उत्पादन नियमित रूप से नहीं होता है और जिनकी प्रदाय स्थिति सामान्यतः कठिन है।

9 स्टाकयार्ड से माल का वितरण करने के लिए प्राथमिक श्रेणियों की संख्या को 7 से घटा कर 3 करना।

10 पंजीकृत मांग के प्रत्येक ग्रुप के लिए माल का विशेष प्रतिगत अलग रखना।

11 क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा स्टाकयार्डो को रिलीज आर्डर देना।

12 स्टाकयार्ड साईडिंग पर रेलव के डिब्बों की व्यवस्था का फैसला स्थानीय रेलवे प्राधिकारियों तथा स्टाकायर्डो के बीच आपसी बातचीत से किया जाए।

13 रेलवे स्टाकयार्ड साइडिंगों पर उचित दर्जे के अधिकारी रखेगी जो कम माल होने की आशंका की स्थिति में डिब्बों के माल को दोबारा तौलने के बारे में फैसला करेंगे।

14 रेलवे को स्टाकयार्डों से माल बाहर ले जाने विशेषतया अधिक लम्बाई का माल बाहर ले जाने के बारे में स्टाकयार्डों की प्रार्थना की शीघ्रता से पूरा करना चाहिए।

15 माध्यम अभिकरणों अर्थात लघु उद्योग निगमों की मार्फत वितरण का आधार काफी बड़ा बनाया जा सकता है।

16 निगमों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाये और अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता को मजबूत बनाये।

17 मांग पत्र भेजने तथा लघु उद्योग नियमों के बहुत से डिब्बों की मार्फत हुए माल का अच्छी प्रकार तथा सामयिक वितरण की आदर्श व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

18 लघु उद्योगों को भेजा जाने वाला माल जो आजकल स्टाकयार्डो की मार्फत भेजा जाता है उदाहरणार्थ दोषयुक्त चादरें/प्लेटें तथा चादरों की कतरने लघु उद्योग निगमों को सीधा भेजी जाए।

19 निगमों के कार्यकरण की सतत समीक्षा के उद्देश्य से विकास आयुक्त, लघु उद्योग की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति बनाने का सुझाव दिया गया है।

20 संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्दिष्ट अनुमोदित बेलन तथा प्रेषण कार्यक्रमों के अनुसार मुख्य उत्पादकों के कार्यकरण की संयुक्त संयंत्र समिति तथा लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन की मार्फत मूल्यांकन करने का काम अधिक प्रभावी ढंग से किया जाए। मूल्यांकन अधिकारी समय-समय पर कारखानों का दौरा करें तथा कारखानों के आर्डर विभागों के साथ निकट सम्पर्क रखें। इससे विशेष लाभ होगा।

21 यद्यपि कानूनी व्यवस्था पर्याप्त है तथापि यह आवश्यक है कि इस्पात के दुरुपयोग के मामलों का भली प्रकार पता लगाया जाए। उनकी अच्छी तरह जांच की जाए और न्यायालयों में उनकी अच्छी तरह पैरवी की जाए।

22 राज्यों के उद्योग निदेशकों महा-निदेशक, आपूर्ति और निपटान तथा अन्य प्राधिकारियों को चाहिए कि वे अपने भ्रष्टाचार निरोध विभाग बनायें ताकि उनके संघटक माल का दुरुपयोग न करें।

23 प्रायोजक प्राधिकारियों को चाहिए कि वह जिन ग्राहकों की मांग आगे भेजते हैं उनके स्टाक का समय-समय पर जायजा लें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पास आवश्यकता से बहुत अधिक माल न हो जिससे देश में कृत्रिम कमी उत्पन्न न होने पाएं।

24 प्रायोजक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रकों के साथ गहरा सम्पर्क स्थापित करें (क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रकों को भी ऐसा करना चाहिए) ताकि जानकारी का आदान-प्रदान, निरीक्षण कार्य तथा अनुवर्ती कार्यवाही समन्वित ढंग से की जा सके।

25 उत्पादकों के पास व्यापारियों के पुराने पड़े हुए आर्डरों के बदले में नये आर्डर देने का एक और अवसर दिया जाए। इस संदर्भ में संयुक्त संयंत्र समिति व्यापारियों द्वारा नये आर्डर देने की 2 वर्ष की अवधि से छूट देने की संभावना पर विचार करे।

26 बी० आई० सी० के माल के वितरण के आधार को बड़ा बनाने के उद्देश्य से ऐसे जिलों से जिनका प्रतिनिधित्व नही है व्यापारी लेने के लिए एक और कोशिशें की जाए।

सिक्किम में निर्वाचन

1368. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम में प्रस्तावित विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : सिक्किम असेम्बली के चुनाओं के लिए 15 अप्रल, 1974 को मतदान होगा। 19 अप्रैल, 1974 को चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।

अहमदाबाद के एक अस्पताल में मिलावटी ग्लूकोस सलाईन के प्रयोग से मृत्यु

1369. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जनवरी, 1974 को अहमदाबाद के एक अस्पताल में मिलावटी ग्लूकोस सलाइन से एक छात्र की मृत्य हो गई ; और

(ख) क्या अस्पताल में मिलावटी ग्लूकोस सलाइन उपलब्ध होने के कारणों की जांच करने के लिये आदेश दिय गय हैं और उस जांच के क्या परिणाम निकले है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी या की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) सेठ वादीलाल साराभाई अस्पताल, अहमदाबाद में इंजेक्शन लगाने के फलस्वरूप 11 जनवरी, 1974 को एक छात्र की मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है और इस जांच के पूरा हो जाने पर राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

Fake Entries made of Vasectomy Operations

1370. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether fake entries in respect of Vasectory operations were made at the Family Planning Camps set up during 1972-73 ; and

(b) if so, their district-wise number in U.P. and the reasons why this number is much larger in Gorakhpur district, and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) Some complaints were received in this regard.

(b) The State Government has been requested to furnish the required information and their report is awaited.

Inquiry Commission to Enquire in to Adulteration of Allopathic, Yunani, Ayurvedic and Homoeopathic Drugs

1371. Shri Shrikrishna Agrawal :
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Indian Consumers Council has urged the Government to appoint an Enquiry Commission to enquire into adulteration of Allopathic, Yunani, Ayurvedic and Homoeopathic drugs ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether the Council has presented certain facts in regard to adulteration of drugs; and

(d) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) In the Survey Report circulated by the Consumer Council of India one of the demands made is that the Government appoint a Commission of Enquiry to study the problems of adulteration in drugs and to suggest remedial measures.

(b) Following high level discussion under the chairmanship of the Minister, an "Informal Group" has been set up in the Ministry to study problems of adulteration of food and drugs with special reference to Delhi. Representatives from Central Citizen's Council Consumer Council of India and the All India Women 's Conference also participated in the discussions.

(c) and (d) In the survey Report, the Consumer Council has made certain statements about adulteration of drugs. The basis of the statements made by the Council is being ascertained and further particulars are being called for .

राज्यों द्वारा औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम को लागू करना

1372. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम को सभी राज्यों में समान रूप से और सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नकली औषधियों के निर्माण और बिना लाइसेंस के बिक्री और निर्माण तथा इसी प्रकार के अन्य असामाजिक तरीके अस्तित्व में आ गये हैं ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो उक्त अधिनियम को सख्ती से लागू नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) इस प्रकार के असामाजिक तरीकों को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और/अथवा भविष्य में करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) और (ख) महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल (कुछ हद तक) में जहां कारगर औषधि-नियंत्रण संगठन है, वह अन्य राज्यों में इस बारे में सुधार करने की बहुत गुंजाइश है।

एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

घटिया किस्म की तथा नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए केन्द्रीय औष नियंत्रण संगठन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है। इन कदमों के परिणामस्वरूप मा की दवाइयों की सप्लाई भी सुनिश्चित हो जाएंगी।

1. बिना लाइसेंस के औषधि निर्माताओं को समाप्त करने के लिए जो आम तौर पर नकली बनाते और बेचते हैं, लाइसेंसशुदा औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची तैयार कर है और उसे अद्यतन बना दिया गया है। इस सूची को राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों तथा औषधि नि और व्यापारियों के संघों को भेज दिया गया है।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और मिलावटी बनाने तथा बेचने तथा बिना लाइसेन्स के दवाइयां बनाने और बेचने की सजा की अवधि 3 वर्ष से 10 वर्ष तक कर दी गई है। उसमें ऐसा भी उपबन्ध कर दिया गया है जिसके अधीन ऐसी औ बनाने में प्रयुक्त उपकरण और दूसरा सामान तथा उन्हें लाने ले जाने के साधनों को छीना जा सकत

3. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने अपने यहां मिलावटी दवाइयां के खिलाफ अभि तेजी से चलाने के लिये पुलिस अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखें।

4. जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को नकली दवाइयों की सूचना मिलती जब कभी ऐसा समझा जाता है कि इस काम में कोई अन्तर-राज्य गिरोह काम कर रहा है, उस समय राज्यों को सचेत करने तथा राज्य पुलिस की मदद से इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह के लिये विशेष सावधानियां बरती जाती हैं।

5. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने औषध निरीक्षण कार्यालयों में वृद्धि क दवाइयों की जांच करने की सुविधाएं भी बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक नमूने लिये जा सकें और जांच जल्दी जल्दी मिल सके।

6. केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गा बाद में केन्द्रीय औषध संगठन के मण्डल कार्यालय खोल दिये गये हैं। मण्डल अधिकारियों का एक काम यह है कि वे मिलावटी औषधियों के लाने ले जाने, खासकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जा रही हों, की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तर-राज्य बाजार में बिकने वाली औषधि हालत में मानकों के अनुसार हों। उनके इस काम में केन्द्रीय औषध निरीक्षक जो राज्य औषध निरी के निकट सम्पर्क में काम करते है, उनकी मदद करते है। मण्डल कार्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय निरीक्षक चारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

7. औषध निर्माताओं और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशनों की सह और उनका सहयोग लिया गया है ताकि निर्माण और बिक्री के तरीके अधिक से अधिक सही हों। न दवाइयों के विरुद्ध अभियान में उनका सहयोग लिया जा रहा है।

8. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठकों के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और सरक विश्लेषकों के लिये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियंत्रण उपायो कठोरता से लागू करने में मदद देंगे।

9. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषध परामर्श दात्री समिति की बैठकें मण्डल राज्य औ नियंत्रकों की बैठकें करके तथा मंडल अधिकारियों और राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों के बीच वि विमर्श की व्यवस्था करके पत्र व्यवहार के अलावा निरन्तर सम्पर्क तथा बातचीत जारी रखते सूचना के इस निरन्तर विनिमय से औषधियों के गुणों पर नियंत्रण रखने के उपायों में तालमेल रखने अ उन्हें तेज करने में बडी मदद मिलती है।

10. राज्यों कों अपने यहां एक ऐसा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड गठित करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है जिसमें औषधि निर्माताओं, व्यापारियों, चिकित्सा व्यवसाय और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हों जो राज्य सरकारों को यह सलाह देंगे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिये क्या उपाय किए जाएं।

11. पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यो में संयुक्त खाद्य और औषधि प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गई है।

12. स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र दिया है जिसमें उनका ध्यान प्रचलित नकली दवाइयों की ओर आकृष्ट कर इस बुराई को खत्म करने में क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसका भी उल्लेख है। औषधि निरीक्षकों और विश्लेषकों के प्रशिक्षण में केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा क्या सहायता दी जा सकती है, इस पर भी बल दिया गया है।

13. उच्च स्तर पर हुई चर्चा के परिणामस्वरूप दिल्ली के विशेष सन्दर्भ में खाद्य पदार्थो और औषधियों में मिलावट की समस्या का अध्ययन करने के लिए मंत्री जी की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में एक "अनौपचारिक समिति" गठित कर ली गई है। केन्द्रीय नागरिक परिषद, भारतीय उपभोक्ता परिषद और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने भी उक्त चर्चा में भाग लिया था।

अधिकारियों के उपयोग के लिए मिनी बसें

1373. **श्री के० मालन्ना** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्जा संकट को देखते हुए बीच के दर्जे के अधिकारियों के उपयोग के लिये मिनी बसें चलाने का है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि पेट्रोल के स्थान पर डीजल का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में डीजल इंजीनों का निर्माण नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार नगर क्षेत्रों में सरकारी परिवहन के पूरक के रूप में मिनी बसों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न कर रही हैं।

(ख) और (ग) इस बात का पता लगाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है कि क्या विद्यमान कारों में से किसी एक में पेट्रोल इंजन के स्थान पर कोई दूसरा उपयुक्त इंजन लगाया जा सकता है।

राजस्थान में केरल की नर्सिंग छात्राओं को केन्द्रीय सरकार की सहायता

1374. **श्री सी० जनार्दनन** :
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य की सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केरल की लगभग एक हजार नर्सिंग छात्राओं को, जो राजस्थान में प्रशिक्षण पा रही है, छात्रवृत्ति बन्द होने से पैदा हुई भुखमरी की स्थिति दूर करने के लिये तुरन्त राहत के उपाय करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह समस्या हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

8—3 LSS(ND)/74

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) जी हां, केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से दिनांक 9 जनवरी, 1974 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया है कि केरल के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार राजस्थान राज्य में प्रशिक्षण पा रही केरल की कुछ नर्स प्रशिक्षणार्थियो को देय छात्रवृत्ति बन्द हो जाने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में राज्यस्थान सरकार से परामर्श किया गया है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके राज्य सरकार ने इंडियन रेड क्रास सोसाइटी को, जोकि सहायक नर्स धात्रियों के प्रशिक्षण के लिए 17 केन्द्र चला रही है, पहले ही सहायता अनुदान के भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का यंत्रीकरण

1375. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के यंत्रीकरण के संबंध में सरकार की कोई महत्वाकांक्षी योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और इस प्रयोजन से कितना धन मंजूर किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1978–79 तक कोयले के वर्तमान 790 लाख टन वार्षिक उत्पादन के विपरीत 1350 लाख टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उपर्युक्त उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान खानों का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा नई खानें चालू की जाएगीं। इस कार्य के लिए पांचवीं योजना के दौरान मशीनरी और उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की आशा है। उपकरणों की किस्त और आकार प्रत्येक खान की भूभौतिकीय स्थिति तथा अपनायी जाने वाली खनन तकनीक, विशेषतया भले ही या तो खुली खुदाई द्वारा या भूमि गत तरीकों से कोयला निकाला जाए, पर निर्भर होगा।

विशेषज्ञ डाक्टरों को सवारी भत्ते का भुगतान

1376. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंटों ने पेट्रोल के मूल्य में वर्तमान वृद्धि को देखते हुये विशेषज्ञ डाक्टरों की सवारी भत्ता मंजूर किये जाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ग) क्या राज्य में तथा केन्द्र द्वारा न चलाये जा रहे अस्पतालो में विशेषज्ञ डाक्टरों को भी वह भत्ता दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) वरिष्ठ चिकित्स अधिकारियों को सवारी भत्ता देने का एक प्रस्ताव सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक से आया है।

(ख) इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जिन कि चिकित्सा अधिकारियों को अस्पताल में अपने आपाती रोगियों को देखने के लिए आना होता है, उन्हें सवारी भत्ता दिया जाए।

(ग) इस मामले पर विचार करना राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों का काम होगा।

बर्मा में राष्ट्रीयकृत भारतीय प्रतिष्ठानों को मुआवजा

1377. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकारने भारतीयों सहित विदेशी राष्ट्रिकों के लिये, उनके प्रतिष्ठानों जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीयकृत किया गया है, के मुआवजे के लिये दावे दायर करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है ;

(ख) बर्मा सरकार किन-किन मदों के लिये मुआवजा अदा करने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ग) बर्मा में रहने वाले कितने भारतीय इस अधिसूचना के अन्तर्गत आते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) 6 दिसम्बर, 1973 को बर्मा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीयकृत उद्यमों के मालिकों को यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 90 के अन्दर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रकार, आवेदन देने की अंतिम तारीख 5 मार्च, 1974 होगी।

(ख) अधिसूचना के अनुसार भवनों (जो सरकार के इस्तेमाल में हों), मशीनों, फर्नीचर, कार्यालयी साज-सामान, मोटार-गाडियों, भंडारों तथा राष्ट्रीयकृत अन्य वस्तुओं का मुआवजा दिया जाएगा। जिन भवनों का सरकार उपयोग नहीं कर रही है उनके कानूनी स्वामित्व-अधिकार उनके मालिकों को लौटा दिये जाएंगे। इसी तरह, जो नकदी और बैंक-राशि राष्ट्रीयकृत की गई है वह कर आदि काटकर स्वामियों को लौटा दी जाएगी। 10,000 क्यात तक की राशि के मुआवजे की अदायगी एक-मुश्त की जाएगी। 10,000 क्यात से अधिकके मुआवजे में से 10,000 क्यात की राशि पहली किश्त में दी जाएगी और शेष राशि सरकारी सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में दी जाएगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

(ग) यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से सभी के लिए है जिसमें भारतीय अन्य विदेशी और बर्मा के राष्ट्रिक आते हैं। परन्तु बर्मा में इससे प्रभावित भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है।

Agreement for Compensation of property of Persons to be repatriated from Sri Lanka

1378. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the main features of the Agreement arrived at for grant of compensation for movable and immovable property in Sir Lanka of 75,000 persons of Indi origin proprosed to be repatriated to India?

The Minister of State in The Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The same condition will apply to 75,000 persons to be repatriated to India under the Agreement arrived at between the two Prime Ministers of India and Sir Lanka on the 27 January 1974 as under the 1964 Indo-Sri Lanka Agreement. The relevant part of the Agreement in this matter reads as follow :

> "Subject to the Exchange Control Regulations for the time being in force which will not be discriminatory against the persons to be repatriated to India, the Government of Sri Lanka agrees to permit these persons to repatriat, at the time of their final depa rture for India, all their assets including their Provident Fund and gratuity amounts. The Government of Sri Lanka agrees that the maximum amount of assets which any family shall be permitted to repatriate shall not be reduced to less than Rs.4,000.

The upper limit of the value of assets that can be taken out of the country is governed by the exchange Control Regulations of Sri Lanka where currently the upperlimit is Sri Lanka Rs.75,000; cases above this amount are dealt with on individual merits by the Lanka authorities concerned.

Chinese Occupation of Paracel Islands

1379. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether China has recently occupied the Paracel Islands ;

(b) whether these islands are situated on the sea route between India and Pacific Ocean ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) We have seen reoprts to this effect.

(b) & (c) The Islands can be said to be near the sea route, but our ships do not call on these Islands and as such our shipping services are not likely to be affected.

बर्मा द्वारा वर्ष 1965 और 1967 के दौरान राष्ट्रीयकृत किए गए प्रतिष्ठानों की क्षतिपूर्ति

1380. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार वर्ष 1965 और 1967 के दौरान राष्ट्रीयकृत किये गये उपक्रमों को क्षति पूर्ति देने को सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय नागरिकों को यह क्षतिपूर्ति मिलेगी; और

(ग) इस में अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) 6 दिसम्बर, 1973 को बर्मा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, व्यापार राष्ट्रीयकरण कानून, 1963 और समाजवादी आर्थिक व्यवस्था प्रतिस्थापन कानून, 1965 के अधीन राष्ट्रीयकृत राष्ट्रीय एवं विदेशी स्वामित्व वाले उद्यमों को मुआवजा दिया जाएगा।

(ख) और (ग) मुआवजा प्राप्त करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या एवं उन्हें प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात नहीं है।

बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज तथा अन्य संगठनों में कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 और उपदान अदायगी अधिनियम, 1973 का कार्यान्वयन

1381. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि एवं पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी पेंशन निधि योजना को बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन, इंडियन टी एसोसियेशन और इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता में कार्यान्वित कर दिया गया है और क्या बकाया सहित दोनों अंशदानों के पैसे सांविधिक निधि के पास जमा कर दिए गए हैं ;

(ख) क्या उपदान अदायगी अधिनियम, 1973 बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंण्डस्ट्री, इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन, इंडियन टी एसोसियेशन और इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन में लागू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। वह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, अन्यों के साथ साथ, राज्य दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के तात्पर्य के अन्तर्गत ऐसी दुकानों और ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं। इसलिए, बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री और प्रश्न में निर्दिष्ट अन्य एसोसिएशनों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की प्रयोज्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वे राज्य दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के अर्थ के अन्तर्गत प्रतिष्ठान हैं और क्या उनमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं ?

(ग) ज़हां तक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 का सम्बन्ध है, प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों को गैसों की सप्लाई

1382. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री विजयनगर, विशाखापत्तनम तथा सलेम इस्पात संयंत्रों के लिए गस संयंत्र लगाने के बारे में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2614 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विजयनगर, विशाखापत्तनम तथा सलेम के प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित आक्सीजन सहित विभिन्न गैसों की सप्लाई को इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के विभिन्न एककों से प्राप्त करने के लिये विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अन्य साधन क्या हैं और इन तीनों इस्पात संयंत्रों लिये देशीय संसाधनो से "केपटिव" संयंत्रों की स्थापना करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) देशीय क्षमता का यथासम्भव अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा। तथापि इस मामले में निर्णय इन तीनों प्रायोजनाओं के लिए विस्तुत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

रक्षा उद्देश्यों के लिए सप्लाई किए जाने वाले इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के उत्पाद

1383. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा** मंत्री 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उद्देश्यों के लिय बक्तरबन्द टैंकों सहित उपकरणों और हथियारों के लिये अपेक्षित विभिन्न कलपुर्जों की सप्लाई इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा की जाती है ; और

(ख) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के कौन कौन से ऐसे विभिन्न एकक हैं जिनसे थल, जल तथा वायु सेनाओं एवं रक्षा उत्पादन उपक्रमों को रक्षा उद्देश्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सप्लाई की जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) मेसस इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड रक्षा सेनाओं के लिये कम्परस्ड गैसें, सप्लाई करते हैं और गैस सिलैन्डरों की मरम्मत जांच करते हैं। हमारी सूचना के अनुसार, फर्म की भारत में 28 ब्रांचें हैं। फर्म की उपयुक्त ब्रांचों द्वारा सप्लाई की जाती है और मरम्मत कार्य किया जाता हैं।

सामरिक महत्व के उद्योग के रुप में इंडियन आक्सीजन

1384. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **रक्षा** मंत्री सामरिक महत्व के उद्योग के रूप में इण्डियन आक्सीजन के सम्बन्ध में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2650 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किसी उद्योग को सामरिक महत्व का उद्योग मानने के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है ; और

(ख) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को, सिवाय इस बात के, कि रक्षा-उत्पादक उत्पादन उपक्रमों को आक्सीजन सप्लाई करने के केवल वही साधन नहीं है अन्य सभी बातों तथा गणदोषों के आधार पर सामरिक महत्व के उद्योग के रूप में समझा जाता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस प्रयोजन के लिए विधिवत कोई भूमिदर्श सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए गए हैं परन्तु, रक्षा प्रयोजन के लिए, मोटे तौर पर, सामरिक महत्व का वहीं उद्योग समझा जाएगा—

यदि वह संकटकालिन रक्षा आवश्यकता का एक मात्र स्त्रोत है ; अथवा यह रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुछ स्त्रोतों में से एक ऐसा स्त्रोत है कि ऐसे केवल ही उद्योग से पूर्तियों में रुकावट से भी आयात में रक्षा तत्परता पर प्रतिकूल पड़ सकता है ।

(ख) उपर्युक्त मानदण्ड के प्रकाश में विचार करने से, मेसर्स इण्डियन आक्सीजन रक्षा प्रयोजनों के लिए कोई सामरिक महत्व का उद्योग नहीं बनता है ।

कानपुर में एवरो के उत्पादन में वृद्धि

1385. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एवरो 748 विमान के उत्पादन में वृद्धि हो गयी है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ; और

(ख) वर्ष 1973 के दौरान कितने एवरो विमानों का उत्पादन किया गया और वर्ष 1972 में उनके उत्पादन से उसकी क्या तुलना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन् । यह मुख्यत: कतिपय तकनीकी समस्याओं के कारण है जो एवरो-748 के उत्पादन के दौरान सामने आई जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है । इन्हीं कारणों से कोई विमान अभी तक इस वर्ष ग्राहकों को नही दिया गया है ।

(ख) 1973–74 के दौरान अभी तक सात विमान बनाए गए हैं परन्तु कोई भी विमान वितरित नहीं किया गया है, जबकि 1972–73 के दौरान, नौ विमान बनाए गए थे जिनमें से आठ वितरित नहीं किए गए है।

भारतीय डाक्टरों का अमरीका चले जाना

1386. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अमरीका में 3,000 से अधिक भारतीय डाक्टर काम कर रहे है ;

(ख) क्या इसका कारण उनके लिए वहां बेहतर सुविधाएं और वेतन होना है ;

(ग) क्या इसके बावजूद केन्द्रीय सरकार ने डाक्टरों की सेवाओं के सुधार हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है जिससे उनमें असन्तोष व्याप्त है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार प्रशिक्षण डाक्टरों के विदेश जाने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) नेशनल साइंस फाउण्डेशन द्वारा प्रकाशित "साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और फिजिशियन्स फ्रोम एब्रोड" के नवीनतम संस्करण के अनुसार अमरीका में 1970 में भारतीय डाक्टरों की संख्या 1354 थी । नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) भारतीय डाक्टर अमरीका में काम करना क्यों पसंद करते हैं इसके अनेक कारण है । उनमें से कुछ तो उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश जाते है और कुछ वहा इस आशा से जाते हैं कि वह अनुसंधान की सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी और कुछ अमरीका में काम करना इसलिए भी पसंद करते हैं कि उस देश में सामान्यत: वेतन अधिक मिलता है ।

(ग) भारत सरकार ने, देश के वित्तीय साधनों के अनुरूप डाक्टरों की सेवा शर्तों ओर अनुसंधान सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं ।

(घ) भारतीयों के विदेश जाने पर कानूनी तौर पर रोक लगाने की अनुमति नहीं है, किन्तु प्रशिक्षित डाक्टरों को विदेश जाने की अनुमति देने के प्रश्न पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

हड़तालों और तालाबंदियों के कारण औद्योगिक उत्पादनों में कमी

1387. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में हड़तालों एवं तालाबंदियों के कारण देश के औद्योगिक उत्पादनों में बहुत कमी हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने उससे सम्बद्ध सभी बातों पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार कौन से दीर्घकालीन उपाय अपनाना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सुरक्षा कर्मचारियों का टेलीविजन टेक्नालाजी में प्रशिक्षण

1388. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार सुरक्षा कर्मचारियों को टेलीविजन टैक्नोलौजी में प्रशिक्षण देने का है जिससे वे बाद में टेलीविजन एजेंसियां ले सकें ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) टेलीविजन के अलावा इलेक्ट्रानिक की किन और शाखाओं में सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का विचार है ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई व्यवसाय कर सकें ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) दिल्ली में टेलीविजन टैक्नोलौजी का एक पाठ्यक्रम प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ किया गया है। यह योजना सेना के कार्मिकों के लिए स्वनियोजन की योजना है और आशा है कि यह उन्हें टेलीविजन एजेन्सीयां स्थापित करने, टेलीविजन की मरम्मत करने और रख-रखाव यूनिटें आदि स्थापित करने में सहायता करेगी। पाठ्क्रम की अवधि पांच सप्ताह की है और इसकी क्षमता 20 है। प्रशिक्षण उन जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंकों और नौ सेना तथा वायु सेना में उनके समकक्ष तक ही सीमित है जो इलैक्ट्रानिक्स की पृष्ठ भूमि रखते हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों का भविष्य में और आयोजन करने से पूर्व प्रायोगिक पाठ्यक्रम के परिणाम का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा।

(ग) अभी तक कोई नहीं।

रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को सप्लाई की गयी रम का स्तर

1389. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं को सप्लाई की जा रही तथा बेची जा रही रम बहुधा गन्ने से बनायी हुयी नहीं होती है तथा घटिया किस्म की होती है ;

(ख) क्या मामले की जांच की गयी है या की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं या यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) रक्षा सेवाओं की सप्लाई तथा बेची जाने वाली रम गन्ने से बनाई जाती है और यह घटिया किस्म की नहीं होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार है, इसका सप्लाई करने से पूर्व प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।

ग्रामों में परिवार नियोजन

1390. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के मामले में ग्रामों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है और ग्रामों में परिवार नियोजन के मामले में सरकार का विचार क्या आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) ग्रामों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत पहले ही लाया जा चुका है।

भारत सरकार के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार प्रत्येक 10,000 की ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक एक उप-केन्द्र होना चाहिए जोकि एक सहायक नर्स धात्री के अधीन होता है। परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक, सहायक नर्सधात्री का पुरुष प्रतिरूप होता है। प्रत्येक 20,000 ग्रामीण जनसंख्या

के लिए एक परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक होना चाहिए । उप-केन्द्रों की स्थापना तथा स्टाफ-स्थिति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

	अपेक्षित	स्थापित
उप केन्द्र	43,886	33,048
स्टाफ स्थिति	**अपेक्षित**	**कार्यरत**
(क) सहायक नर्सधात्री	33,048	30,777
(ख) परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक	20,257	13,493

बड़ोदा के प्रचालन अनुसन्धान दल ने भारत में परिवार नियोजन विषयक व्यवहारों का एक सर्वेक्षण किया था । दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि करीब 75 प्रतिशत लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी है ।

ठेका-मजदूरों को कम अदायगी और रोजगार कार्यालयों की मार्फत उनकी भर्ती

1392. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ठेकेदार दनिक श्रमिकों को कम मजूरी देते हैं और उनसे अधिक राशि के दस्तखत करा लेते हैं और सरकार को मजूरी के भुगतान का इससे भिन्न हिसाब दिखाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस आशय के आदेश जारी करने का प्रस्ताव है कि फैक्टरियों, मिलों में किए जाने वाले किसी भी किस्म के काम के लिए श्रमिकों की भर्ती रोजगार दफ्तरों के माध्यम से की जाए ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

माइनिंग अॅन्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्यों की जांच

1393. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्यों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें कुछ अनियमितताओं का पता लगा है ; और

(ग) कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा गठित सरकारी उद्यम कार्यवाही समिति ने सितम्बर, 1972 में माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्यकरण की जांच की है ।

(ख) कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। फिर भी, समिति ने अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से कंपनी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक अभ्युपाय लागू किए जा रहे हैं जैसे वस्तु सूची नियंत्रण की सुधरी हुई पद्धति परियोजना प्रगति प्रकोष्ठ का पुनर्गठन प्रबन्ध सूचना तथा नियंत्रण पद्धतियां लागू करना, जांच कास्टिग सिस्टम, रात्रिकालीन पाली कार्य का विस्तार और व्यवस्थित निवारक रखरखाव कार्यक्रम तैयार करना आदि।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के कार्यों की जांच

1394. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में त्रिवणी स्ट्रक्चरल्स के कार्यों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें कुछ अनियमितताओं का पता लगा है ; और

(ग) कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यकरण की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यवाही समिति गठित की गई थी और समिति ने त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड के कार्यकरण की जांच कर ली है।

(ख) कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं, किन्तु अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से समिति ने कंपनी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड में इस समय जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी अनेकता पर रोक लगाने के लिए इसके उत्पाद-मिश्र को युक्तिपूर्ण बनाया जा रहा है और जाटल तथा उच्च स्तर के कार्य करने के लिए जिनसे अधिक आय होती है, इसे पुनः उन्नतशील भी बनाया जा रहा है। 1000 मी० टन का प्रेशर वेसल निर्माण कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं, इससे त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड को अधिक ताप का स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन का विकास करने का अवसर मिलेगा। इस्पात की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में गम्भीर रुकावट आई है और यदि आवश्यक हुआ तो इस्पात का आयात करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कंपनी उत्पादन कार्यक्रम बनाये रख सके।

पहले से उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप उत्पादन के 1972–73 में लगभग 2.65 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973–74 में लगभग 4.75 करोड़ रुपए और 1974–75 में लगभग 6 करोड़ होने की आशा है।

Third Pay Commission's Recommendations regarding various wings of Armed Forces

1395. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state the steps taken in the context of the recommendations of the Third Pay Commission for the benefit of the various wings of the armed forces workers of the ordnance factories and the retired defence personnel together with the benefits given to each category ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : The revised pay-scales for mosts of the categories of civilian workers of the ordance factories, based on the recommendations of the Third Pay Commission, have been notified in the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules, 1973. The revised pay-scales to be sanctioned for the remaining categories will

be published shortly. Government orders on the recommendations of the Pay Commission relating to dearness allowance, date of increment, date of retirement, children education allowance, etc. have also been issued. Decisions on the remaining recommendations of the Commission are expected to be taken shortly.

The recommendations of the Commission relating to the pay and allowances and retirement benefits of the Armed Forces personnel are still under consideration.

Procedures for Purchasing Material for Defence Purposes

1396. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the value of goods purchased annually for defence purposes for the troops during the last three years from (1) abroad (2) big industries in the country and (3) small scale industries ; and

(b) the Government policy, its basis and guidelines thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) A similar question was raised in this House on 6-12-73 (No. 3693) in reply to which it was stated that the information asked for was being collected and would be placed on the Table of the House. The information has to be collected from a number of agencies and is still being compiled.

Regarding part (a)(1) of the question , the position has been further examined and it will not be in public interest to disclose information on purchases made from abroad for Defence purposes.

Memorandum from Chemist and Pharmacist Employees Association

1397. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether he has received a memorandum from the Chemist and Pharmacist Employees' Association in which attention has been drawn to complaints like refusal of maternity leave with pay to lady employees etc. ; and

(b) the demands contained in the memorandum and Government's reaction thereto and the action being taken on them ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) The All India Chemical and Pharmaceutical Employees' Federation has represented that the female employees in the Chemical and Pharmaceutical Industry, who are in receipt of wages exceeding Rs. 500/- per month and are working in establishments covered under the Employees' State Insurance Act, 1948, are not getting maternity benefits either under the Employees' State Insurance Act, 1948 or the Maternity Benefit Act, 1961. The Federation wants the Maternity benefit Act to be amended, so as to extend the benefits under the said Act to the female employees mentioned above. The matter is being examined.

Prohibition of use of Silver Leaves

1398. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether States and the Union Territories have been advised that the use silver leaves should be prohibited under the Prevention of Food Adulteration Act ;

(b) the number of silver-leave manufacturers who will be rendered unemployeed State-wise in this cottage industry ; and

(c) the outlines of the scheme for their resettlement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) The question regarding the use of silver leaves or other decoratives on confectionary articles was considered in consultation with the Central Committee for Food Standards and the State/Union Territories Governments were advised to prohibit the use of silver leaves or other decoratives on confectionary articles. On further consideration of the matter the State/Union Territories Governments were advised not to take action for prohibiting the use of silver leaves or other decoratives.

(b) & (c) Do not arise.

पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में परिवार नियोजन सहायता के लिए निर्धारित लक्ष्य

1399. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण और नगरीय क्षत्रों में परिवार नियोजन संबंधी सहायता के लक्ष्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) राज्यों को वार्षिक वित्तीय सहायता का हिसाब ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग नहीं लगाया जाता अपितु इसका निर्णय सम्बन्धित राज्य द्वारा समग्र रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के आधार पर किया जाता है।

1974–75 के लिए राज्यों को धन के आबंटन की सूचना संसद द्वारा उक्त वर्ष का बजट पारित करने के पश्चात दी जाएगी।

चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करना

1400. **श्री बीरभद्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं संबंधी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य इस प्रकार थे :—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू में शेष सारे 508 सामुदायिक विकास खण्डों में कम से कम एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना (2) मलेरिया अनुरक्षण चरण वाले क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और कर्मचारियों को नियुक्त कर उन्हें क्रमबद्ध रूप से सुदृढ़ करना जिससे वे अधिक लोगों को सुविधाएं सुलभ कर सकें और स्वास्थ्य संबंधी उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें।

वित्तीय साधनों की कमी के कारण प्रथम लक्ष्य को पूर्णत: प्राप्त नहीं किया जा सका। 30 जून, 1973 की स्थिति के अनुसार देश में 5224 खण्डों में इस समय 5256 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 31,050 उप-केन्द्र चल रहे हैं। अब भी 141 खण्ड ऐसे हैं, यहां जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने हैं।

दूसरे लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश को परिवार नियोजन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग

1401. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लिए सहायतार्थ रखी गई राशि का पूरा उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता का उपयोग हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) राज्यों को वार्षिक वित्तीय सहायता का हिसाब ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग नहीं लगाया जाता अपितु इसका निर्णय सम्बन्धित राज्य द्वारा समग्र रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के आधार पर किया जाता है। चौथी योजना के लिए कुल बजट आवंटन 285.76 करोड़ रुपये था। इस आबंटन के करीब 99 प्रतिशत का उपयोग हो जाने की आशा है।

(ख) हिमाचल प्रदेश ने चौथी योजना के पहले चार वर्षों में 106.60 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन 18.88 लाख रुपये है।

दिनांक 20 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5591 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO USQ NO. 5591 DATED 20-12-73

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया था कि :—

"यह प्रस्ताव सार्वजनिक विनियोग बोर्ड (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) के विचाराधिन है"

परन्तु सही स्थिति यह है कि :—

"यह प्रस्ताव स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के विचाराधिन है"।

विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

मैसूर में पेलेटाइजेशन के बारे में श्री के० मालन्ना के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5591 का उत्तर 20 दिसम्बर, 1973 को दिया गया था। चूंकि शीतकालीन अधिवेशन में लोक-सभा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस्पात और खान मंत्रालय की यह अन्तिम तारीख थी, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को ठीक करने के बारे में विवरण उस अधिवेशन में सभापटल पर नहीं रखा जा सका।

बजट प्रस्तुत किये जाने के लिये सभा की बैठक के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

ANNOUNCEMENT BY SPEAKER RE : SITTING OF THE HOUSE FOR PRESENTATION OF THE BUDGET

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को जानकारी देना चाहता हूँ कि सभा 4.30 म० प० बजे आधे घंटे के लिये स्थगित रहेगी और 5 बजे बजट पेश किया जाएगा ।

श्री समर गुह (कंटाई) : पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक समस्या उठाई गई है । स्वयं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की सप्लाई में असफल रहा है । महोदय ! उस विषय पर एक अल्पकालिक चर्चा किये जाने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : उसे कार्यमंत्रणा समिति में रखा जाएगा । इस समस्या को उठाने के लिए आपको बजट पर चर्चा के दौरान अवसर मिल सकता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"महाराष्ट्र को केन्द्र द्वारा अपर्याप्त मात्रा में खाद्य सहायता दिये जाने के कारण बम्बई में हुए खाद्य आन्दोलन का समाचार"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय मैं **कृषि** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> **"महाराष्ट्र को** केन्द्र द्वारा अपर्याप्त मात्रा में खाद्य सहायता दिये जाने के कारण बम्बई में हुये खाद्य आन्दोलन का समाचार ।"

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दिन अली अहमद) : 1972–73 में महाराष्ट्र में चल रही व्यापक सूखे की स्थिति की दृष्टि में और खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और कमी वाले अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र को केन्द्रीय भण्डार से यथा सम्भव अधिकतम मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करने की ओर विशेष ध्यान दिया था । राज्य को सहायता करने के लिए केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों की सप्लाई में काफी वृद्धि कर दी गई है, वर्ष 1973 के दौरान महाराष्ट्र को 22.76 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे जबकि 1972 में 13.12 लाख मीटरी टन और 1971 में 8.42 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे । खरीफ फसल की बाजार में आमद से खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार हुआ और स्टाक की उपलब्धता तथा अन्य तथ्यों को ध्यान रखकर केन्द्रीय पूल से सप्लाई को तदनुसार समायोजित किया गया ।

उत्पादन में वृद्धि होने से खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है । राज्य में अब तक चावल की अधिप्राप्ति संतोषजनक हुई है । 21 फरवरी, 1974 तक चावल की प्रगामी अधिप्राप्ति 137 हजार मीटरी टन हुई थी जबकि पिछले मोसम की उसी अवधि के दौरान 62 हजार मीटरी टन की प्रगामी अधिप्राप्ति हुई थी । राज्य ने 111 हजार मीटरी टन मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति भी की है जब कि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 15,000 मीटरी टन की अधिप्राप्ति हुई थी । कमी वाले राज्यों के उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जनवरी, 1974 से मोटे अनाजों के अंतर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है ताकि राज्य सरकारों के नामित एजेंटों द्वारा राज्यों के बाहर मोटे अनाजों की खरीद और संचलन किये जा सकें । राज्य सरकार के नामित एजेंटों ने अधिशेष राज्यों से बाजरा की जो पर्याप्त मात्रा खरीदी है उसे महाराष्ट्र को भेजा जा रहा है ।

हालांकि स्थिति अभी भी कठिन बनी हुई है फिर भी राज्य सरकार के सहयोग और केन्द्रीय सरकार की सहायता से हमें पूर्ण विश्वास है कि स्थिति का सामना करना सम्भव होगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): महाराष्ट्र और विशेषकर बम्बई में गृहणियों, किसानों और श्रमिकों ने अपर्याप्त खाद्य सप्लाई के विरोध में व्यापक आन्दोलन किया है । दिनांक 26 नवम्बर को महिलाओं ने विशाल प्रदर्शन किया तथा यह मांग की कि वहां के नागरिकों को न्यूनतम 12 किलोग्राम राशन दिया जाए। दिनांक 2 जनवरी को महाराष्ट्र बन्द मनाया गया तथा रेलगाड़ियां तक बन्द हो गयीं । 23 जनवरी को महिलाओं ने महिला प्रदर्शन कारियों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार के विरोध में सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया । दिनांक 24 फरवरी को पूरी बम्बई में ताली बजाकर प्रदर्शन किया गया जिसमें लाखों व्यक्तियों ने भाग लिया । प्रदर्शन कारियों को आशा थी कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और उन्हें अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी किन्तु सहायता के बजाय उनपर गोली चलाई गई जिससे सात प्रदर्शनकारी मारे गये। 25 फरवरी को एक अत्यंत विशाल प्रदर्शन किया गया जिसमें बम्बई के नारियों के अतिरिक्त महाराष्ट्रकी ग्रामीण जनता के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । सभी सड़कें बन्द हो गई तथा विधान-सभा को पूरी तरह से घेर लिया गया ।

क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि महाराष्ट्र में गत वर्ष की सूखा की स्थिति से गम्भीर स्थिति है तथा वहां पर लगभग 30 प्रतिशत पशुधन की हानि हुई है जिनका कारण चारो और पीने के पानी की भारी कमी है ।

उसके अतिरिक्त सुखा के बाद वहां वर्षा भी अन्तधिक हुई जिससे खरीफ की फसल नष्ट हो गई । वहां पर टिट्डी ने भी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया । सामान्य स्थिति में भी भारत सरकार महाराष्ट्र को लगभग 12 लाख टन खाद्यान्न सप्लाई करती है । महाराष्ट्र में गत वर्ष लगभग 50–62 लाख टन खाद्यान्न की कमी रही किन्तु सरकार ने केवल 24 लाख टन खाद्यान्न अलाट किया । अतः सरकार ने बहाराष्ट्र की मांग की अपेक्षा में बहुत कम खाद्यान्न अलाट किया । केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर-अक्तुबर 1973 में खाद्यान्न की सप्लाई में 2.5 लाख टन के 1.7 लाख टन की कटौती की है ।

यह सौभाग्य की बात है कि खाद्यान्न के एक राज्य से दूसरे में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है । हम इस निर्णय की सराहना करते हैं तथा मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि उस निर्णय के परिणामस्वरुप महाराष्ट्र को कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा ।

कल ही के समाचारपत्रों में एक चिंताजनक समाचार प्रकाशित हुआ है कि हरियाना से महाराष्ट्र को भेजी गयी गेहूँ की बोरीयों पर "सीड्स पायजंड ट्ररिड" शब्द लिखे हुये हैं । इससे समाज के कमजोर वर्गों को गेहूँ का कोटा नहीं मिल सकेगा ।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा योजना आयोग को भेजे गये ज्ञापन की ओर सरकार ने कोई ध्यान दिया है? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि बम्बई मध्य में उपचुनाव होने के तुरंत बाद जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार हार गया, सरकार ने वहां राशन सात किलो से घटाकर 6 किलो क्यों कर दिया जब कि उपचुनाव के पूर्व राशन में वृद्धि की गई थी ? इस पर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी रोष व्यक्त किया और वहाँ की महिलाओं ने भी इस कदम के विरुद्ध प्रदर्शन किया था । बम्बई के अतिरिक्त महाराष्ट्र के अन्य बहुत से क्षेत्रों में राशन में केवल 2–3 किलो ही खाद्यान्न उपलब्ध होता है । क्या सरकार इस विषमता को दूर करेगी तथा महाराष्ट्र के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करेगी ।

महाराष्ट्र की भूखी जनता पर गोलियां चलाई जा रही है । यह सच है कि कभी जनता अपने रोष को गलत ढंग से व्यक्त करती है किन्तु सरकार को उसके असंतोष को समझाने का प्रयास करना चाहिये।

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को खाद्यान्न की सप्लाई के बारे में सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। वर्ष 1971 में हमने 8.4 लाख टन, 1972 में 13.12 लाख टन और 1973 में 22.76 लाख टन खाद्यान्न सप्लाई किया। अत: माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि महाराष्ट्र को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की सप्लाई में कभी गड़बड़ी नहीं की गई। जहां तक गत तीन महीनों में खाद्यान्न की सप्लाई का सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार है :

जनवरी .	1,31,000 टन
फरवरी	1,30,000 टन
मार्च	1,50,000 टन

अत: यह कहना सच नहीं है कि हमने चुनावों के बाद नियतक में कोई कटौती की है।

जहाँ तक उत्पादन का सम्बन्ध है मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 50.5 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है जबकि गत वर्ष 23.45 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। इसका प्रमाण यह है कि गत वर्ष 62,000 टन चावल की वसूली हुई थी और इस वर्ष फरवरी 1974 तक उन्होंने 1.37 लाख टन चावल वसूल कर लिया है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने 1,11,000 टन मोटे अनाज की वसूली बाकी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में इस वर्ष पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है तथा केन्द्रीय पूल से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न से वहां की जनता को अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा। केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य कमी वाले राज्यों को भी खाद्यान्न सप्लाई करना पड़ता है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति सामान्य है। वक्तव्य के अंत में कहा गया है कि राज्य सरकार के सहयोग से स्थितिपर काबू पाया जा सकता है। किन्तु समाचारपत्रों से ज्ञात होता है ट्रेड यूनियनें पुर्णत: बन्द रखने की योजना बना रही है और वहां स्थिति बहुत खराब है।

दिनांक 16 फरवरी के इकानामिक टाइम्स के अनुसार रेल यात्री 10 किलोग्राम खाद्यान्न तक अपने सामान के साथ बाहर ले ले आते हैं। इस प्रकार लोग खाद्यान्न खरीदने के लिये नगर से बाहर जाते हैं जहा राशनिंग नहीं है और वे इसी प्रकार के खाद्यान्न पर निर्भर हैं। समाचारपत्र के अनुसार इन क्षेत्रों में गेहूँ और चावल के मूल्य निर्धारित मूल्य से तीन गुने हैं। अत: सरकार जनता को खाद्यान्न सप्लाई कराने में विफल रही है तथा उनको दोषपूर्ण नीति के कारण जनता जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों पर निर्भर हो गई है। जहां तक उत्पादन और वसूली का प्रश्न है सरकार उत्पादन के अनुपात में खाद्यान्न की वसूली नहीं कर पाई। सरकारी घोषणा के अनुसार जनवरी, 1972 के अन्त तक 1.72 लाख टन धान, 44,000 टन ज्वार और 54,000 टन बाजरे की वसूली की गई, जब राज्य सरकार वसूली कार्य नहीं करती तथा केन्द्रीय सरकार जनता को खाद्यान्न की सप्लाई का भार स्वीकार नहीं करती तो लोक वितरण प्रणाली कैसे चल सकती है तथा जनता को किस प्रकार खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है? स्वाभाविक है कि इस स्थिति में जनता अन्दोलन करेगी।

इतना ही नहीं राशन की दुकानों पर मिलने वाले खाद्यान्न में मिलावट होती है जिसे खाकर लोग मरते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यवतमाल में अपमिश्रण के मामले में जांच किये जाने की घोषणा की है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार राशन की दुकानों से जनता को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करेगी? राज्य सरकार ने प्रतिमास 2 लाख टन खाद्यान्न की मांग की है। क्या सरकार उस मांग को पूरा करेगी?

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : वसूली के बारे में मैं आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूँ। पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थिति अच्छी है। खरीफ की फसल में गेहूँ के उत्पादन के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं। जैसा

कि मैंने संकेत दिया है लगभग 50 लाख टन का उत्पादन हुआ है तथा रबी की फसलपर लगभग 20 लाख टन उत्पादन होने की सम्भावना है।

जहाँ तक वितरण का सवाल है यह राज्य सरकार का विषय है। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार बम्बई, नागपुर और पूना में $7\frac{1}{2}$ किलोग्राम प्रति वयस्क के हिसाब से राशन दिया जाता है। शेष भागों में राशन की माता 7 किलोग्राम है। फरवरी के महीने में खाद्यान्न के संकट के समाचार से महाराष्ट्र को 20,000 टन खाद्यान्न की अतिरिक्त सप्लाई की गई जिससे राज्य सरकार जनता की मांग पूरा कर सके।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : प्रश्न यह नहीं है कि कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया है। प्रश्न यह है कि राज्य में कितना खाद्यान्न वितरीत किया गया है। महाराष्ट्र की निम्नतम आवश्यकता $2\frac{1}{2}$ लाख टन खाद्यान्न प्रतिमास है। और जब तक इतनी माता में उसे खाद्यान्न सप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ स्थिति खराब रहेगी।

जहाँ तक राज्य में खाद्यान्न के स्टाक का सम्बन्ध है, जैसा कि मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है, राज्य के पास स्टाक होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने वसूली कार्य पर एकाधिकार कर लिया है। इस स्थिति में राज्य सरकार केन्द्र से अपेक्षा रखती है कि वह खाद्यान्न सप्लाई करे।

खाद्यान्न की दृष्टि से महाराष्ट्र कमीवाला राज्य है। किन्तु महाराष्ट्र में चीनी और कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है तथा इनका निर्यात भी होता है। अत: यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व है कि वह उन राज्यों से महाराष्ट्रों को खाद्यान्न सप्लाई कराये जहाँ खाद्यान्न अधिक पैदा होता है।

एक बात अत्यंत चिंताजनक है कि खाद्यान्न की सप्लाई में केवल चुनावों के समय ही वृद्धि की जाती है। ऐसी स्थिति में तो जनता चाहेगी कि महाराष्ट्र में सदा कोई न कोई चुनाव होता ही रहे।

खरीफ और रबी की फसल के लिये 1972-73 में द्रुत कार्यक्रम पर 175 करोड़ रुपये खर्च किये गये तथा 11.0 करोड़ टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान लगाया गया किन्तु बाद में इन आंकड़ों में कमी कर दी गई। मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हूं कि आज वास्तव में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है। क्या सरकार लोक वितरण प्रणाली से मुद्रास्फीति को कम करना चाहती है अथवा गरीब जनता की सहायता करना चाहती है? क्या सरकार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा किये गये इस वचन का निर्वाह करना चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति 8 किलोग्राम के हिसाब से राशन दिया जाए? क्या सरकार का विचार जनता की 12 किलोग्राम राशन की मांग को पूरा करने का है?

इसके अतिरिक्त क्या सरकार राज्यों को वितरण के लिये सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्न की पहले पूरी सप्लाई कराएगी, जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्न के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है तथा खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। अत: क्या सरकार अपनी खाद्य नीतिपर पुन: विचार करेगी?

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : मुझे ज्ञात नहीं है कि माननीय सदस्य उत्पादन में वृद्धि आदि के आंकड़े कहाँ के लाये हैं। गत वर्ष आरम्भ किये गये कार्यक्रम का उद्देश्य सूखा के कारण उत्पादन में कमी को रोकना था। यदि यह कार्यक्रम आरम्भ न किया गया होता तो 960 लाख टन खाद्यान्न से बहुत कम खाद्यान्न का उत्पादन होता। इस कार्यक्रम का इस वर्ष के उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा हमें आशा है कि खरीफ की फसल में 670 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकेगा।

जहाँ तक रबी का सम्बन्ध है आशा है लगभग 480 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा। समय पर वर्षा न होने के कारण इन लक्ष्यों में कुछ मामूली कमी हो सकती है। अन्य स्थानों पर 7-8 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने 1973 में उन्हें लगभग 23

[श्री फखरुद्दिन अली अहमद]

लाख टन खाद्यान्न दिया, इतना खाद्यान्न पहले उन्हें कभी नहीं दिया गया है। इस वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस बारे में स्थिति कहीं अच्छी है। अब जो कुछ हम महाराष्ट्र सरकार को दे रहे हैं, उससे उसे खाद्यान्न का प्रबन्ध करने में समर्थ हो जाना चाहिये। हमने मोटे अनाज के सम्बन्ध में अन्तर-क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के बारे में भी ढील दे दी है। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार अन्य राज्यों से बाजरा तथा अन्य मोटे अनाज को वसूल करने में समर्थ हुआ है और वह इमसे उन क्षेत्रों में राहत देने में समर्थ हो जायेगी।

जो कुछ भी सम्भव है, वह महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम यथासम्भव महाराष्ट्र सरकार की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : आज कल सभी वस्तुओं, विशेषकर जन उपयोग की वस्तुओं के मूल्य चिन्ताजनक रूप से बढ़ गये हैं जिससे मध्यम आय तथा निम्न आय से संबंधित सभी लोगों के परिवारों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है और उनके लिये जीवन-यापन करना बहुत ही कठिन हो गया है। सब से बढ़कर यह बात है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य अत्यधिक बढ़ गये हैं। इन परिस्थितियों के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को लगातार कई वर्षों से गम्भीर सूखे का भी सामना करना पड़ रहा है। मुझे कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला था। मैंने देखा कि चोर बाजार में काफी अधिक मूल्य पर काफी मात्रा में खाद्यपदार्थ उपलब्ध हैं। वहां लोगों ने मुझे बताया कि राशन कार्ड बनवाने में उन्हें अधिकारियों को काफी धन देना पड़ता है, अन्यथा इसे प्राप्त करने में कई महीने लग जाते हैं। उन लोगों ने अपना सामान, अपने पशु और बर्तन भी बेच दिये। गरीब किसानों ने अपनी भूमि को भी बेच दिया और अच्छी वर्षा होने के बावजूद भी कृषि पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से सब से अधिक लाभ जमाखोरों, चोर बाजारी करने वालों और मुनाफाखोरों को ही हुआ है। इस प्रकार लोगों को लूटा जा रहा है। सरकार खाद्यपदार्थों के सम्बन्ध में राज्य को अपर्याप्त सहायता देती रही है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में पुरानी बातों को ही दोहराया है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय ग्राम्य क्षेत्रों में ही सांविधिक राशन व्यवस्था को लागू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये तैयार है और क्या यह सरकार राज्य सरकार को धन देने का प्रयास कर रही है जिससे वह लोगों को पशु तथा अन्य सामान की क्षति के लिये मुआवजा दे सके जो उन्हें गत वर्ष सूखे के दौरान बेचना पड़ा था। क्या सरकार गरीब किसानों द्वारा इस प्रकार की भूमि की बिक्री को अवैध घोषित कर देगी तथा उन्हें उनकी भूमि की वापिसी के आदेश दे देगी।

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जहाँ तक पीडित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो कुछ भी राहत इन क्षेत्रों के लिये चाहिये, वह महाराष्ट्र सरकार ग्राम्य जनता को दे रही है। हमने न केवल महाराष्ट्र के लिये नियतन को ही बढ़ा दिया है, अपितु अन्तर क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को भी हटा दिया है। मेरे विचार में इस प्रतिबन्ध में ढील देने से तथा 15,000 से 20,000 अतिरिक्त खाद्यान्न, तथा मोटे अनाज का प्रस्तावित प्रबन्ध कर देने से इसके यथाशीघ्र महाराष्ट्र पहुंच जाने की सम्भावना है और इससे काफी हद तक महाराष्ट्र के लोगों को राहत मिलेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों के आन्दोलन के बारे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी हुयी है। मुझे ज्ञात है कि आप ने इस की अनुमति नहीं दी है। यह एक सारे भारत की समस्या है जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। आप ने मुझे न तो नियम 377 के अन्तर्गत और न ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में इस मामले को उठाने की अनुमति दी है। मैं आप से यह निवेदन करता हूँ कि आप वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मेरी अनुमति के बिना उठकर नहीं बोलना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं पहले ही इस बारे में आप को लिख चुका हूँ । मैं आप से केवल यह प्रार्थना करता हूँ कि आप वित्त मंत्री अथवा श्रम मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देने के लिये कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में विचार करूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 1411 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति (मतदाताओं का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1973, जो अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 671 दिनांक 30 जून, 1973 में प्रकाशित हुए थे, का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(दो) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18(19)/73 जुड़ल में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (कार्यकारी बोर्ड के सामयिक सभापति, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18(29)/73 जुडल में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18(15)/73–जुड़ल में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974, जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 13 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 18/33/73–जुडल में प्रकाशित हुए थे ।

(2) (एक) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (सहायक कमान्डेन्ट) भर्ती (निरसन) नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 504 (ड.) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (आपात कमीशन प्राप्त) तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 1405 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० ज1406 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973, में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1407 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 21 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 22 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 28(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 32 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 33 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 142 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 6240/74]

खान (संशोधन) नियम, 1973 तथा मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1974

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत खान (संशोधन) नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 18 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6243/74]

(दो) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1423 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6244/74]**

पार पत्र अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 15 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 530 (ङ) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6245/74]**

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1974 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 102 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6246/74]**

नौ सैना अधिनियम 1957 के अधीन अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नौ सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौ सेना औपचारिकता सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (पांचवां संशोधन) विनियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 244 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 5837/73]**

(2) नौ सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौ सेना छुट्टी (चौथा संशोधन) विनियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 382 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 6247/74]**

आश्वासनों, बचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण रखता हूं :—

चौथी लोकसभा

(एक)	विवरण संख्या 33	पांचवा सत्र, 1968
(दो)	विवरण संख्या 33	आठवां सत्र, 1969
(तीन)	विवरण संख्या 33	नवां सत्र 1969
(चार)	विवरण संख्या 35	दसवां सत्र, 1970
(पांच)	विवरण संख्या 23	ग्यारहवां सत्र, 1970
(छः)	विवरण संख्या 25	बारहवां सत्र, 1970

पांचवी लोकसभा

(सात)	विवरण संख्या 13	पहला सत्र, 1971
(आठ)	विवरण संख्या 27	दूसरा सत्र, 1971
(नौ)	विवरण संख्या 18	तीसरा सत्र, 1971
(दस)	विवरण संख्या 18	चौथा सत्र, 1972
(ग्यारह)	विवरण संख्या 12	पांचवां सत्र, 1972
(बारह)	विवरण संख्या 10	छठा सत्र, 1972
(तेरह)	विवरण संख्या 11	सातवां सत्र, 1973
(चौदह)	विवरण संख्या 5	आठवां सत्र, 1973
(पन्द्रह)	विवरण संख्या 2	नवां सत्र, 1973

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये एल० टी० संख्या-6248/74]

कोयला खान, कुटुम्ब पेंशन, (संशोधन) योजना 1974 तथा कोयला खान श्रम कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) नियम आदि

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्री बालगोविंद वर्मा की ओर से मैं सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम, अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1974 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 52 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कोयला खान श्रम कल्याण निधि, अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कोयला खान श्रम कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1353 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) (एक) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16की उपधारा (4) के अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1273 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणोंका एक विवरण । [**ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 6249/74**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिती
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

36 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 36 वां, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

16 वां प्रतिवेदन

श्री० ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का 16 वां प्रतिवदन प्रस्तुत करता हूं ।

मधुबनी को जानेवाली और वहां से आने वाली सभी यात्रीयों गाडीयों को रद्द किये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE REPORTED CANCELLATION OF PASSENGER TRAINS FROM AND TO MADHUBANI

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : जैसा कि मेरे सहयोगी श्री मोहम्मद शफी कुरेशी इस सदन में 15-11-73 और 25-2-74 को पहले ही बता चुके हैं, रेलों के पास कोयले का स्टाक कम रह गया था। रेलों और अनेक उद्योगों के काम आने आला स्टीम कोयला सभी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में, कुल उपलब्ध सप्लाई में से रेलों को अपने हिस्से का स्टीम कोयला नहीं मिल रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की न्यूनतम अनिवार्य मांगो को भी पूरा करना है। उद्योगों को उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला उपलब्ध कराने के लिए रेलों को अपनी खपत घटानी पड़ी। एक योजनाबद्ध रूपमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के उद्देश्य से रेलों ने अपनी विभागीय और शंटिग सेवाओं में कटौती की है और कम यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली थोड़ी दूरी की कुछ सवारी गाड़ियों को अस्थायी रूपसे रद्द भी किया है।

[श्री० एल० एन० मिश्र]

सवारी-मधुबनी-जयनगर खण्ड पर अनुसूची के अनुसार 6 जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती हैं। कोयले की कमी के कारण नवम्बर, 1973 में एक जोड़ी गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं। 22-2-74 को कुल मिलाकर पूर्वोत्तर रेलव में कोयले के भण्डार की स्थिति न्यूनतम हो गयी, अर्थात केवल 0.7 दिन का कोयला रह गया और इस खण्ड की इन गाड़ियों को कोयला सप्लाई करने वाले समस्तीपुर और दरभंगा शेडों में क्रमश: 0.4 और 0.1 दिन का भण्डार था। दरभंगा शेड में कोयले का भण्डार इतना कम रह जाने के कारण रेलों को 23-2-74 से बाकी 5 जोड़ी गाड़ियों को भी रद्द करने पर विवश होना पड़ा। 23-2-1974 की शाम को समस्तीपूर में कोयले का एक रेक आ जाने से कोयले की स्थिति सुधर गयी और 24-2-74 की शाम का समस्तापुर से एक गाड़ी सं० 327 चला दी गयी। समस्तीपूर वाले रैक में से अपेक्षित हिस्से में कोयले का यानान्तरण हो जाने और उसके दरभंगा पहुंच जाने पर 25-2-74 का तीन गाड़ियों का फिर से चालू कर दिया गया। 27-2-74 को एक जोड़ी गाड़ी अर्थात् 41/42 जानकी एक्सप्रेस को भी चालू कर दिया गया।

संयोगवश ही ये गाड़ियां रद्द की गयी थीं और चुनाव से इनका कोई संबंध नहीं था।

स्टीम कोयले की उपलब्धता में सुधार होने और शेडों में रेलों के पास भाप कोयले का अपेक्षित भण्डार हो जाने पर रद्द की गयीं गाड़ियों को चरणबद्ध रुप में फिर से चालू कर दिया जायेगा।

कार्य यंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

37 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या): मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 37 वे प्रतिवेदन से, जो 27 फरवरी, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 37 वे प्रतिवदन से, जो 27 फरवरी, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामले के बारे में
RE. MATTER UNDER RULE 377

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये यहां नहीं है। मैं ने उनको गुजरात विधान सभा के कुछ विधायकों द्वारा त्याग पत्र देने के बारे में एक प्रश्न को उठाने की अनुमति दी थी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे बताया गया है कि वहां के मुख्य मंत्री पहले ही त्यागपत्र दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उनके त्यागपत्र देने का प्रश्न नहीं है।

कुछ समय पूर्व मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष ने यह कहा था कि वह त्यागपत्रों से संबंधित कुछ मामलों के बारे में मुझ से परामर्श करना चाहते है। बाद में उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि वह मुझ से परामर्श करने के लिये दिल्ली आ रहे हैं। इस के बाद कांग्रेस संगठन के सचिव श्री मनुभाई पटेल मुझे मिले। वह गत लोकसभा के सदस्य रहे हैं तथा मेरे एक पुराने मित्र है। किन्तु अभी त्याग पत्र के इस मामले के संबंध में गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष ने न तो मुझे टेलीफोन किया और न ही वे मुझे मिले हैं। मैं उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यदि वह मुझे मिले होते, तो मैंने उन्हें ठीक ढंग से परामर्श दिया होता। किन्तु सामान्य रुप से मुझे यह बात पसंद नहीं है कि समाचारपत्रों में यह ऐसी बातें कहीं जाय कि वे मुझसे अनुदेश प्राप्त करना चाहते है। मैं ऐसे मामलों के बारे में न तो कोई अनुदेश जारी करूंगा और न ही कोई परामर्श दूंगा। इस संबंध में नियम बहुत ही स्पष्ट हैं कि यह राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष का ही अधिकार क्षेत्र है। यह अच्छी बात है की वह मुझे नहीं मिले हैं। अन्यथा यदि उन्होंने मुझसे मिलने के पश्चात् कोई ऐसी कार्यवाही की होती जो आप को पसन्द न आती, तो आप इस बारे में मेरा नाम भी जोड़ देते। मैं अध्यक्षों को यह सलाह दूंगा कि जहां ऐसे मामलों के सम्बन्ध में नियम स्पष्ट हो, तो मुझे उस में अन्तर्ग्रस्त नहीं किया जाना चाहिये। हम सभी अध्यक्ष वर्ष में एक बार मिलते हैं और उन समस्याओं के बारे में चर्चा करते है जिनके बारे में हमें कुछ स्पष्टीकरण तथा व्याख्या प्राप्त करनी होती है। अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, प्रधानमंत्री उत्तर देने के लिये कितना समय देंगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : प्रधान मंत्री कल उत्तर देंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुयी।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० के० दास चौधरी द्वारा 25 फरवरी, 1974 को पेश किये गये तथा श्री अमृत नाहटा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनोंपर चर्चा जारी रखी जाये :—

"राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंनें 18 फरवरी, 1974 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं'।"

श्री धामनकर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री धामनकर (भिवंडी) : इस सभा में कल बोलते समय मैंने माननीय तथा आदरणीय नेता श्री मोरारजी देसाई का हवाला दिया था। और मेरे मित्र श्री धोटे ने उस समय यह कहा था कि श्री मोरारजी देसाई ने ऐसा नहीं कहा था। मेरे पास रिकार्ड है। श्री देसाई द्वारा दिया गया वक्तव्य आपत्तिजनक अप्रिय, गलत और असत्य था। मैं यह जानता हूं कि ऐसी अनेक घटनायें घटी हैं जिनमें बेकसूर लोग, महिलायें तथा बच्चे मारे गये। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि गुजरात सरकार कार्यकुशलता से काम नहीं कर रही है उन्होंने बम्बई में गोली चलाये जाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें 105 या 109 व्यक्ति मारे गये और फिर भी शान्ति रही। यह तो श्मशान भूमि की शान्ति थी।

श्री मोरारजी देसाई ने यह भी कहा है कि गुजरात सरकार प्रशासन कार्यकुशलता से नहीं चला सकती और कार्यकुशलता से लोगों को नहीं मार सकती। इस से यह तो पूर्ण रूप से मानव जीवन तथा मानव मूल्य का अपमान किया गया है। श्री मोरारजी ने केवल अपितु महाराष्ट्र के लोगों का ही नहीं, अपितु गुजरात के लोगों को भी नाराज़ कर दिया है।

केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा देश के कुछ अन्य भागों में मेरे कुछ सदस्य का मित्र शिव सेना के मोर्चे के बाद बम्बई में दक्षिण के गैर-मराठी भाषी लोगों को मारने पीटने के कारण दुखी तथा उत्तेजीत होना ठीक ही है। मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र विधान सभा में एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप यह आश्वासन दिया है कि इन सभी अत्याचारों को सहन नहीं किया जायेगा और इन्हें सख्ती से कुचल दिया जायेगा। किन्तु हम संसद् सदस्य यह अनुभव करते हैं कि दक्षिण तथा महाराष्ट्र के संसद् सदस्यों को एक साथ मिल बैठ कर निर्मुक्त भाव से चर्चा करनी चाहिये और ऐसा अनुकूल एवं स्वस्थ वातवारण उत्पन्न करना चाहिये, ताकि बम्बई और महाराष्ट्र के अन्य भागों में अल्पसंख्यक लोग मराठी-भाषी लोगों के साथ अपने आपको सुरक्षित महसूस करे। एक सुझाव यह भी दिया गया है कि संसद् सदस्यों का एक दल बम्बई भेजा जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये। मेरे विचार में इससे स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।

श्री के० बालकृष्णन (अम्बलपुजा) : अनाज की कमी तथा राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में अनेक शिकायतें की गयी हैं। हमें इन समस्याओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। लोगों को राशन की दुकानों पर अनाज नहीं मिलता लेकिन खुले बाजार में बहुत ऊँचे दामों पर मिल जाता है। ऐसी स्थिति में भी सरकार कहती है कि देश में बहुत अनाज है। अनाज होते हुए भी लोग भूखे रहे तो आप उनसे क्या आशा रखते हैं ? लोग रोटी मांगते हैं तो उनपर गोलियां और लाठियां चलायी जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप उनसे क्या आशा रख सकते हैं।

केरल में हर स्थान पर राशन व्यवस्था है। अब हमें पहले के बराबर अनाज नहीं मिलता वहां अनाज का खुला व्यापार नहीं है। राशन की दुकान से यदि अनाज न मिले तो लोगों को भूखा मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है।

शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या भी बहुत है। यह सरकार महाराष्ट्र तथा दक्षिणी राज्यों के लोगों के साथ खाद्यान्न के मामले में भी अमानवीय व्यवहार कर रही है। क्या हमें ऐसी स्थिति में इस कारण चुप रहना चाहिये कि यह विश्वव्यापी संकट का एक भाग है

हमसे क्या आशा रखी जा सकती है ? हमारे पास न तो काम है, न मजदूरी, न आजादी और न ही अनाज है। कहा गया है कि अनाज, इंधन सीमेंट आदि हर चीजों की कमी है। यदि वास्तव में किसी चीज की कमी है तो वह नेतृत्व की। आप नेतृत्व कहीं से आयात नहीं कर सकते।

यह एक अव्यवस्था की विषम स्थिति है। यदि कोई उपाय न किया गया तो स्थिति और बिगड़ जायेगी।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : Our country is passing through the times of crisis. These crisis are to some extent self-created and our friends from the other side also played a great role in bringing about this situation.

We had to fight problems like draught. Our Prime Minister has already cautioned the countrymen about the difficult times ahead. I should say that the opposition parties instead of contributing towards solving these problems, are fomenting than by provoking the people

The President's Address covers almost all the problems and vide para 4 of this Address import and export has been dealt with in detail. The Government has fixed the price of Rs. 157 per quintal for the purchase of jute in Bihar and too is not being paid by the Jute corporation to the producers, as a result of which economy of the farmers has been sheltered. You will be surprised to know that only 4-5 jute purchasing centres have been opened in my area with a population of 42 lacs. Atleast five centres should be opened in each block stringent measures should be taken with a view to ensure profitable prices to the farmers.

Reference of central sector has also been made in the Address but the members of Harijan and Muslim community have not been given adequate representation in the class III and IV services of this sector. Government should pay necessary attention towards this

There can be no two opinions about the necessity of increased agricultural production which is possible only when electricity, fertilizers, water and seeds are supplied to the farmers.

The Government should do away with imperialist tendencies of British in its dealing with the masses.

Those indulging in hoarding and adulteration of food should be dealt with severely by making necessary changes in the law, if necessary. The Government should not hesitate in taking most stringent measures in the public interest.

North Bihar including district Purnia is the most backward area of the country. The Kosi canal, in my state, has not yielded expected results to the people. Something should be done with a view to ensure more utility of the Canal to the people of this area cooperative institutions should be strengthened with a view to benefit the people. Those who preach and practise groupism and feeling of national disintegration should be dealt with severely. Corruption and bribery is a common feature of the society today. Death penalty should be awarded to check corruption.

My area is a hoarder area which has became a hot bed of smuggling. Oil and Cement are smuggled to the neighbouring countries. I would request the CIB to pay necessary attention towards this because state authorities are not paying any attention to check the same.

श्री फतेसिंहराव गायकवाड (बड़ौदा) : गुजरात में व्याप्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तथा बड़ौदा की दंगाग्रस्त स्थिति की जानकारी सभी देशवासियों को है। इस बात को भी सभी जानते हैं कि इन दंगों का कारण मूल्यवृद्धि तथा खाद्यान्न का अभाव है। लेकिन केन्द्रीय सरकार इस बात से इन्कार करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुजरात की स्थिति का वर्णन केवल कुछ ही पंक्तियों में किया गया है। इसमें मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति संवेदना संदेश का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है।

आखिर इन दंगों के कारण क्या हैं? जब लोग भूखे मर रहे थे तो केन्द्र ने अनाज सप्लायी करने से इन्कार क्यों किया ?

[श्री फतसिंहराव गायकवाड]

कुछ लोगों ने गुजरात के बारे में भ्रष्टाचार के मामलों को सिद्ध करने के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है । 25 लाख रुपए की राशि का जिक्र किया गया है । गुजरात के नेता कहते हैं कि राशि दिल्ली भेजी गयी और दिल्ली के नेता कहते हैं कि राशि यहां नहीं पहुंची । क्या केन्द्रीय सरकार इन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं करायेगी ताकि लोगों का संदेह दूर हो जाये ?

बड़ौदा में पुलिस ने एम० एस० कैम्पस के अन्दर दाखिल होकर विद्यार्थियों की निर्दयता से पिटायी की जिस बात की गवाही वहां के उपकुलपति भी दे सकते हैं । लोग न्यायिक जांच का आश्वासन चाहते हैं ताकि पुलिस की ज्यादतियों के आरोप सिद्ध हो सके ।

अंत में विधान सभा को भंग किये जाने संबंधी मांग पर आता हूं । गुजरात की विषम स्थिति तथा सत्तारूढ़ दल द्वारा वहां की स्थिति के बारे में की गयी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि विधान सभा को तुरन्त भंग किया जायेगा तथा लोगों को नये प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री बीरेन एंगती (दीफू) : अनेक माननीय सदस्यों ने खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के संबंध में चर्चा की है । उन्होंने यह भी कहा है कि हड़तालें तथा बंद भी इन्हीं कारणों से हो रहे हैं । इन बन्दों और हड़तालों से समस्याएं हल नहीं होंगी ।

पिछले तीन वर्षों में हमने कई राज्यों में सूखे तथा बाढ़ के प्रकोपों को देखा है । इसका कृषि उत्पादन पर विपरित प्रभाव पड़ा है । उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी राजनयीक दलों को सहयोग देना चाहिये । जमाखोरी, कालाबाजार और मुनाफाखोरी के कारण देश में अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया है । सरकार ऐसे कदाचार करने वालों को उचित रूप से दंडित करें ।

स्वयं राष्ट्रपति ने पिछड़े क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने के लिये कहा है । पर्वतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अभी भी पिछड़े हुए हैं ।

मिकिर और एन० सी० पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने अपनी पहली योजना बनाने के प्रथम अवसर का लाभ उठाते हुए एक ठोस और व्यापक योजना सरकार के समक्ष रखी है । उसे पूर्णरूपेण स्वीकार करना चाहिये । सरकार को इन पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में पूरी रुची लेनी चाहिये । पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई पद्धति बदलने के लिये सुझाव दिया था । वहां की सिंचाई पद्धति मैदानी क्षेत्र की तरह नहीं है । पांचवीं योजना के लिये हमने पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रबड़, काफी बागान आदि की खेती का सुझाव दिया है । इसके लिये राज्य सरकार धन के लिये केन्द्र पर निर्भर करती है इसके लिए केन्द्र को आर्थिक सहायता देनी चाहिये ।

पिछले दो तीन वर्षों से देश के कई भागों में हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति किये गये अत्याचारों की घटनायें घटी हैं । इन पर रोक लगायी जानी चाहिये ।

अमरीका और ब्रिटेन हिन्द महासागर में डियेगो गार्शिया में संयुक्त नौ-सेना अड्डा स्थापित करने को सहमत हो गये हैं । यह चिन्ता का विषय है । हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखना चाहिए ।

संकट-ग्रस्त उद्योगोंका प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ताकि श्रमिकों के रोजगार पर कुप्रभाव न पड़े ।

श्री वरके जार्ज (कोट्टायम): मेरा संबंध केरल की एक पार्टी से है जिसने कांग्रेस से इस आशा से गठबन्धन किया था कि देश की प्रगति होगी। हमारे क्षेत्र के लोग आज पूछते हैं कि "आपने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधान मंत्री क्यों बनाया। हमें क्या मिल रहा है? आज हजारों केरलवासियों को महाराष्ट्र और बम्बई से निकाला जा रहा है। उनका बाजारों में घूमना कठिन हो गया है। हमारे राज्य में अनाज की कमी है। इस वर्ष हमारी धान की पूरी फसल नष्ट हो गई है। अतएव हमारे राज्य को पूर्णता केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ रहा है। राज्य के मंत्री गण इधर आते हैं तो प्रधान मंत्री को उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिलती। लोगों को 6 औंस राशन मिल रहा है।

पहले केरल के पढ़ेलिखे लोगों को बम्बई और कलकत्ता में रोजगार मिल जाता था परन्तु अब नहीं मिल पा रहा है। हम लोग गुजरात के लोगों जैसा कार्य वाही नहीं कर सकते खेद है राष्ट्रपति के अभिभाषण में केरल के निराश लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

राज्य द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से हम अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु भी हमें अनाज दे सकते हैं। परन्तु दक्षिण क्षेत्र के समाप्त हो जाने से ऐसा संभव नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस समय न केवल हमारे पर अपितु समग्र विश्व पर काले बादल छाये हुए हैं। आश्चर्य है कि श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ तथा श्री मोरारजी देसाई ने गुजरात की हाल की घटनाओं का समर्थन किया है। जब भी देश पर अस्थायी कठिनाइयां आती रही है ये लोग जनतांत्रिक ढांचे के विफल होने की बात करते रहे हैं। अपने इस प्रकार की कार्यवाहियों द्वारा ये लोग देश की उपलब्धियों को कम महत्व देना चाहते हैं। 1971 के निर्वाचन से यह सिद्ध हो गया था कि देश की जनता का प्रजातंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में दृढ़ विश्वास है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि देशवासियों के सहयोग से बंगला देश का निर्माण हुआ। वर्तमान कठिनाइयां बंगलादेश के निर्माण के समय संघर्ष से उत्पन्न हुई हैं। गुजरात आदि की तात्कालिक घटनाओं से विचलित होने का कोई कारण नहीं है।

आज वर्तमान संकटों का कारण 1971 के बाद अपनाई गई नीतियों को बताया जाता है, जोकि सत्य से बहुत दूर है।

भूमि सुधारों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये। उनके लिये, यदि आवश्यक हो तो, संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये।

आडम्बरपूर्ण जीवन एवं व्यर्थ के काम को समाप्त करना चाहिये। भारतीयों को 5 स्टार वाले होटलों में रहने और उनमें पार्टियां देने से वर्जित किया जाना चाहिये।

भूमि सुधारों के साथ साथ नगरीय आय और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों की आय की भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। दोनों क्षेत्रों में न्याय किया जाना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि किसी भी भारतीय को प्रति मास 3000 से 5000 रुपए से अधिक व्यय नहीं करने देना चाहिये। बेहतर हो यदि आय की सीमा 2000 रुपया निर्धारित कर दी जाये। हमने देश में न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का जो संकल्प किया है उस पर दृढ़ रहना चाहिये।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में विद्यमान बहुत से संकटों का उल्लेख किया गया है परन्तु उनके समाधान का कोई सुझाव नहीं दिया गया है । इसका कारण अनाज और आवश्यक वस्तुओं की कमी है जिसका प्रभाव आम जनता पर बहुत बुरा पड़ा है । नीतियों पर अधिक विवाद नहीं है , कठिनाई केवल उनकी क्रियान्विति की है । इसी के कारण लोग हमें दोष देते हैं । कुछ बातें मूलभत रूप से गलत हैं ।

हमें विचारपूर्वक आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये । मैं कह नहीं सकता कि ऐसी स्थिति में संसदीय प्रजातंत्र कैसे बचेगी । संसद् तथा विधान सभाओं के 80 प्रतिशत सदस्य कृषक हैं परन्तु आज वे संपन्न हो गये हैं तथा कृषकों के कार्य को उठाने में संकोच करते हैं । अनाज की कमी नहीं है, कठिनाई केवल समान वितरण की है । फैक्ट्रियों में श्रमिक कार्य नहीं करते । उन्हे अपने वेतनों की ही चिन्ता है , उत्पादन की नहीं । मुझे खेद है कि श्री जय प्रकाश नारायण ने गुजारात में छात्रों एवं शिक्षकों को आन्दोलन करने को कहा । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था ।

राष्ट्रपति ने तेलंगना और आन्ध्र प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि समस्या का हल हो गया है । इस बारे में मेरा कथन इतना ही है कि आन्ध्र प्रदेश में अनुदान अधिक देना चाहिए, उससे ही रोजगार की समस्या हल हो जाएगी । प्रधान मंत्री इन पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान दें ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The President has presented clear picture of the country. He has started his Address with the economic crisis and the difficulties of the common man. I feel that it is because of the present leadership that we have been able to survive these acute difficulties. If the Administrations also adopt the same attitude as has been adopted by the opposition, the democracy would have collapsed. Some forces in the country are bent upon destroying the country.

Today, the problem before us is that of improving production and that of distinction. The poor people are very much affcted. The business community is exploiting this situation. The industrialists believe that the lesser they produce the more are the chances of making profit. So the poor people have to face the abnormal rise in prices.

Ours is an agricultural country and unless we enhance our production we would not have anything for distribution . We have not given as much importance to agriculture in our plans as it was required.

The crisis that our country is facing is a world-wide phenomenon,

During the past 12 months our country has achieved tremendous progress in international sphere. The recognition of Bangla Desh by Pakistan and their coming closer to each other are the fruits of our foreign policy.

The youth of the country live in the villages and they are engaged in increasing production. The educated youth of the country are marching in the wrong direction.

The various services should present that strikers hamper the welfare of the common people. These people should discharge their duties well.

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : अभिभाषण के विरोध में बहुतसी बातें कही गयी हैं। देखने की बात यह है कि क्या अभिभाषण में देश की स्थिति का सही मूल्यांकन किया गया है ।

अभिभाषण में वास्तविक स्थिति का उल्लेख कर दिया गया है। यह सही है कि स्थिति विषम ही रही है। वास्तविकता को छिपाने की चेष्टा नहीं की गई है।

हम कठिनाइयों और अभावों के समय से गुजर रहे हैं। इन कठिनाइयों के मूलभूत समाधान की ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

इन कठिनाइयों के लिये मुद्रा-स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसका कारण उत्पादनमें कमी है। सदन के बाहर योजना कार्य को कुछ समय रोकने की मांग हो रही है। कुछ लोग तो योजना के पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में हैं। इसका अर्थ है पूंजी निवेश में कमी करना अथवा निवेश व्यवस्था को पुर्णतया समाप्त करना।

यदि ऐसा होता है, तो निस्संदेह वर्तमान मूल्यों पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु कल क्या होगा? कल हमें खाद्यान्नों की बहुत ही अधिक कमी का सामना करना पड़ जायेगा। अतः, मुद्रास्थिति की समस्या पूंजी-निवेश स्थगित करने या इसे रोकने से हल नहीं होगी। हम कल्पकालीन समस्याओं से निपटने के लिये वार्षिक योजनाओं का सहारा लेते हैं। हमारा विचार इसका उपयोग कृषि, सिंचाई और बिजली, महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये करने का भी है। हमें अपनी सम्पूर्ण कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था को नया रूप देना होगा, क्योंकि इसका संबंध खाद्य उत्पादन के प्रश्न से है। यद्यपि देश ने खाद्य पदार्थों, खाद्यान्नों, नकदी फसलों आदि के उत्पादन में वृद्धि की दिशा में काफी प्रगति की है फिर भी कृषि क्षेत्र के विकास में असन्तुलन पैदा हो गया है। इस असन्तुलन को ठीक किया जाता है जो केवल प्रौद्योगिकी और निवेश के माध्यम से और छोटे किसानों तथा भूमिहिन श्रमिकों को उनके लिये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर के किया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पग होगा जो पांचवीं योजना के दौरान उठाया जाएगा। मैं यह मानता हूं कि हम मध्यम और मुख्य सिंचाई योजनाओं के मामले में उचित पूंजी निवेश और क्षमता का उचित उपयोग नहीं कर पाये हैं।

आप यह जानकर खुश होंगे कि पांचवीं योजना में पहले किये गये निवेश के उपयोग से और कुछ और निवेश करके लगभग 2210 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जायेगी। यह एक बहुत बड़ा काम होगा और मुझे विश्वास है कि इसे पूरा कर लिया जायेगा।

जब तक हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ाते और उत्पादन के मार्ग से बाधाओं को नहीं हटा देते, तब तक हम प्रगति नहीं कर पायेंगे और देश की आर्थिक स्वतंत्रता को गिरवी रखने के दोषी होंगे। अतः हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वर्तमान श्रमिक या औद्योगिक सम्बन्धों को तथा रूप देने की आवश्यकता है। यदि इन्हें तथा रूप देने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें और तरह से विचार करना होगा। हमें कानूनों की त्रुटियों तथा कमियों को सुधारना चाहिये, ताकि औद्योगिक संबंधों में बाधा न पड़े। हमें मुख्य रूप से उत्पादन के क्षेत्र में कमियों को दूर करने के मामले की ओर ध्यान देना चाहिये।

जब सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है, तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं यह नहीं कहता कि ये नीतियां हर प्रकार से पूर्ण हैं। किसी भी नीति में सुधार किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा है कि हमारी प्रधान मंत्री दूरदर्शी नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने दूरदर्शिता का प्रमाण तो 1969 और 1971 के संकट काल में ही दे दिया था। बंगला देश के संकेत के समय भी उन्होंने दूरदर्शिता साहस एवं दृढ़ संकल्प से उसका सामना किया था। मुझे विश्वास है कि वह उसी दूरदर्शिता उत्साह से देश में लोकतंत्रीय ढांचे के विरोधी वर्तमान संकटों का सामना भी करेंगी।

[श्री डी० पी० धर]

आखिरकार गुजरात की समस्या क्या है । यह समस्या अभावों से पैदा हुयी है सट्टे बाज, जमाखोर और धनी किसान अपने भंडारों को बनाये रखने के लिए सांठ-गाठ कर रहे हैं । जब तक हम इन तत्वों की सांठ गांठ तोड़ने में समर्थ नही होते, तब तक हमें इन दिनों कमियों का सामना करना पड़ेगा जबकि देश में काफी माल उपलब्ध होगा ।

विरोधी पक्ष के सदस्य जहां एक ओर लोगों को यह कहते हैं कि कमियों के लिये सरकार जिम्मेदार है और सरकार को उन्हें सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करनी चाहिये, वहां दूसरी ओर वे ग्रामों में जा कर कहते हैं कि सरकार को खाद्यान्नों के लिये अधिक वसूली मूल्य देना चाहिये ।

जब तक हम इस देशमें उपलब्ध फालतू वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक हम वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप नहीं दे पायेंगे । जब तक हमारी अच्छी और बड़े पैमाने पर वितरण व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम कमजोर और प्रभावित लोगों को भुखमरी से नहीं बचा सकेंगे ।

गुजरात की समस्या क्या है । यह गुजरात में छात्रों तथा युवकों की महान दुखद घटना के रूप में घटी है । भारत के युवक बहादुर युवक है । इसके साथ वे देशभक्त भी हैं । किन्तु आज गुजरात में युवकों के आन्दोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है । यह आन्दोलन किन उद्देश्यों को लेकर शुरु किया गया है । इसके द्वारा आज जो उद्देश्य रखा गया है वह यह है कि वर्तमान सरकार की पद्धति, जिसे विकसित करने में कई वर्ष लगें है , से लोगों का विश्वास उठा दिया जाये ....

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री डी० पी० धर : मैं प्रो० मावलंकर का बड़ा आदर करता हूं । किन्तु मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वह उन परिणामों पर विचार करें जो राज्य में इस समय व्याप्त स्थिति से पैदा होंगे । आज वहां सार्वजनिक सम्पत्ति पर आक्रमण किया जा रहा है और निर्वाचित सदस्यों को डरा धमका कर उनसे त्याग पत्र दिलाये जा रहे है **(व्यवधान)**

इस शानदार आन्दोलन को चलाने वाले लोग कौन हैं । मैं उनके क्रोध को समझ सकता हूं । मैं समझता हूं कि उन्हें अनावश्यक रूप से उकसाया गया है । मैं जानता हूं कि मैं युवावर्ग में परिवर्तन का आकांक्षी है और उनके विद्रोह करने के अधिकार को भी समझता हूं ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि चाहे आर्थिक स्थिति कितनी ही गम्भीर क्यों न हो, किन्तु समग्र रूप में अर्थव्यवस्था और देश की क्षमतायें काफीं समर्थ है जो इस कठिनाई से देश को निकाल ले जायेंगी । किन्तु मैं उन खतरों से विश्चित हूं जो देश के राजनीतिक वातावरण से पैदा हो रहे हैं ।

मैं सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों से, जो समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, अपील करता हूं कि वे इन खतरों को समझें और उन पर विचार करें । इससे किसी विशेष राजनीतिक दल को नहीं, अपितु सारे देश को हानि होगी। यही मेरी आशंका है जिसके बारे में मैं इस सभा के साथियों को अवगत कराना चाहता हूं ।

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस देश में त्रुटियां अवश्य है जिनको हमें दूर करना है । मेरे विश्वास में देश में खाद्यान्न के वितरण में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य है जिसके फलस्वरूप निर्धन लोगों को कठिनाई झेलनी पड़ रही है । देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है । अमीर व्यक्ति किसी भी मूल्य पर वस्तु को प्राप्त कर सकता है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है कि सरकार को पर्याप्त खाद्यान्न मिल रहा है और वह इसका वितरण करेगी । केवल उन शब्दों से ही लोगों की सन्तुष्टी नहीं होगी । निर्धन लोगों को रोटी, मकान और कपड़ा इन तीन मूल वस्तुओं की आवश्यकता है ।

श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए ।

[SHRI NAVAL KISHORE SINHA *in the Chair*]

यदि हमने उन्हें ये तीन अत्यावश्यक वस्तूयें दे दीं, तो निर्धन लोगों में शान्ति और संतोष की भावना पदा होगी ।

खाद्य समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है जिसके लिये न तो छात्रों और न ही किसी दल को आन्दोलन करना चाहिये, क्योंकि हम सब इसी देश के वासी हैं और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य आवश्यकतायें पूरी हो ।

हम यह चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस समस्या को हल किया जाना चाहिये । मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के भिन्न भागों में शान्ति का वातावरण स्थापित हो जायेगा और केन्द्र को इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये, ताकि देश भर के लोग सन्तुष्ट हो जायें । सरकार को जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है । मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता से ध्यान देगी और जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वालों को रोकेगी और गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करेगी । एसा करने से निर्धन लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे । यदि ऐसा किया जाता हैं तो शीघ्र ही देश में साधारण स्थिति पैदा होगी ।

श्री के० राम कृष्ण रेड्डी (नलगौंडा) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । गत कुछ वर्षों से आन्ध्र प्रदेश के दोनों भागों में तीव्र तनाव की स्थिति पायी जाती है । केन्द्रीय सरकार ने छः सूत्री फार्म्यूला बनाया है । लोगों के सभी वर्ग इस फार्म्यूला पर ठीक तरह से अमल कर रहे हैं । किन्तु पिछड़े हुये क्षेत्रों में, विशेषकर तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये इस फार्म्यूले को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाना है ।

राष्ट्रपति ने कृपा करके अपने अभिभाषण में हैदराबाद और पांडीचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में उल्लेख किया । तेलंगाना की ओर विशष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के मामले में पिछड़े क्षेत्र को विशेष रियायतें प्रदान की जानी चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में गत वर्ष की उपलब्धियों तथा उन समस्याओं के बारे में जिनका सामना देश कर रहा है, बताया गया है । किन्तु इस में उन समस्याओं के तुरन्त हल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

गत दशक में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है, हालांकि खाद्यान्नों के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । इस वृद्धि का मुख्य कारण गैर

10—3 LSS(ND)/74

[श्री के० राम कृष्ण रेड्डी]

योजना व्यय में वृद्धि, जमाखोरी, चोर बाजारी और काला धन हैं। इस संबंध में हमें प्रधान मंत्री द्वारा समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के मामले में समर्थन करना चाहिये। इन चोर बाजारी तथा जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध की गयी प्रत्येक कार्यवाही का दैनिक समाचार पत्रों में उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही तथा नामों सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये। उन्हें कड़ा दण्ड देना चाहिये।

यह हमारे लिये शर्म की बात है कि हम कृत्रिम अभावों को दूर करने के लिये चावल अथवा गेहूं का आयात कर रहे हैं। हमारे वर्तमान अर्थ-शास्त्री सरकार को उचित समय पर उचित परामर्श नहीं देते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना को कृषि, सिंचाई, विद्युत और परिवार नियोजन के मामलों में विशेष तौर से नया रूप दिया जाना चाहिये। जो भी अनुसंधान कार्य अब तक हुआ है, उसका अधिकाधिक प्रचार किया जाना चाहिये और जिला फसल योजना को उपयुक्त भूमि के अनुसार बनाया जाना चाहिये।

भूमिगत जल का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिये। बांधों की जल संचय क्षमता को बढ़ाकर उसका उपयोग बढ़ाया जाना चाहिये। कमांड क्षेत्र विकास परियोजनाएं तैयार की जानी चाहियें और उसके अन्तर्गत आये क्षेत्रों का पूरी तरह विकास किया जाना चाहिये।

कृषि के विकास और उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कृषकों को प्रोत्साहन दिया जाय। कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करते समय खाद, कीटनाशी औषधियों और कृषि संबंधी औजारों जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। कृषि की लागत को कम करने के लिये कृषकों द्वारा छोटे ट्रैक्टर, विद्युतचालित हल, तेल इंजिन, बिजली की मोटरों जैसी प्रयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से केवल 6 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त हो रहा है, जब कि कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय 50 प्रतिशत है। अतः राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषकों को कम से कम 20 प्रतिशत ऋण दिया जाना चाहिये। इन बैंकों को अपनी शाखायें केवल ग्राम्य क्षेत्रों में ही खोलनी चाहिये। ऋण सुविधा प्रदान करने के बारे में 12 मील की दूरी की शर्त तब तक हटा दी जानी चाहिये जब तक ग्राम्य क्षेत्रों में और शाखायें नहीं खोल दी जातीं।

हिन्द महासागर के सम्बन्ध में, हमें बरतानिया और अमरीका पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिये जोर डालना चाहिये कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखा जाये।

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा की हालत बहुत ही खराब है, जबकि हैदराबाद मद्रास, बम्बई आदि नगरों में परिवहन सेवायें अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित हैं। दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) : मैं अपने दल की ओर से राष्ट्रपति के अभि-भाषण के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की विदेश नीति और उसकी भारी सफलता की बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है। ऐसा मालूम होता है कि मानो देश के 56 करोड़

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

लोगों की दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान राष्ट्रपति अपनी सरकार की विदेश नीति में ढूंढ रहे हों। राष्ट्रपति ने विदेश नीति पर बहुत अधिक जोर देकर यह भावना पैदा कर दी है कि सरकार का अपनी आन्तरिक नीतियों में विश्वास नहीं रहा।

1973-74 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन में केवल 3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। यह निश्चय ही भविष्य के लिये बड़ी खतरनाक बात है। इससे सरकार की आर्थिक नीतियों की असफलता स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। योजनाओं की असफलता के कारण देश की योजनाबद्ध आर्थिक प्रगति में बाधा पड़ी है। यदि सरकार तथा सत्तारूढ़ दल ने पूरी शक्ति से योजना कार्यक्रमों एवं अन्य आर्थिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करती, तो निश्चय ही हमारे देश तथा हमारे लोगों को इतने कष्टों का सामना न करना पड़ता।

हाल ही में इस सभा में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में हैरान करने वाली बातों का पता लगता है। गत वर्ष यह अनुमान लगाया गया था कि खाद्यान्नों का उत्पादन 1060 लाख टन तक होगा। यदि 1974-75 में भी यह उत्पादन बनाये रखना है, तो इसके लिये हमें उस उर्वरक के अतिरिक्त जो देश में उपलब्ध है, 10 लाख टन और उर्वरक का उत्पादन करना होगा। उर्वरकों का आयात करना आसान नहीं हैं, क्योंकि इसका मूल्य शत प्रतिशत बढ़ गया है। अपने देश में नये कारखानों की स्थापना करके भी एक वर्ष के भीतर 10 लाख टन उर्वरक का उत्पादन करना सम्भव नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह नहीं बताया गया है कि इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार कौन-कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। क्या सरकार की विदेश नीति का इतना विस्तृत रूप से उल्लेख करने की अपेक्षा यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी ?

हाल ही में हमने तेल की सप्लाई के लिये विलम्ब से भुगतान के आधार पर ईरान के साथ एक समझौता किया है। हम इस समझौते का स्वागत करते हैं। क्योंकि हम आयात किये जाने वाले तेल का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी मैत्री पूर्ण विदेश नीति होते हुये भी ईरान ने भारत को तेल के मामले में कोई रियायत नहीं दी। यदि हम इन बढ़े हुये मूल्यों पर तेल खरीदेंगे, तो हमारे कारखानों में बनने वाले उत्पादों का मूल्य भी बहुत अधिक बढ़ जायेगा। हमारी जनता इस स्थिति में नहीं है कि वे इतने अधिक मूल्यों पर वस्तुएं खरीद सके। सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या उसके पास कोई ऐसा ठोस प्रस्ताव है जिससे इस स्थिति में सुधार किया जा सके।

मैं पी० एल० 480 निधी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अमरीका के साथ किये गये समझौते का स्वागत करता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिये उत्सुक है, जिसका प्रमाण राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिलता है। परन्तु अमरीका भारत से बिल्कुल पास डियेगो गार्शिया में सनिक अड्डा बनाने के लिये कृतसंकल्प है। क्या यह सरकार की विदेश नीति की सफलता कही जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इतना कुछ कहा है ?

यद्यपि गत वर्ष हमारा निर्यात 21 प्रतिशत बढ़ा है, तथापि हमारे विदेशी मुद्रा रिजर्व में 70 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा आयात 43 प्रतिशत बढ़ गया है। इस अभिभाषण में ऐसा कोई आभास नहीं मिलता है कि सरकार आयात को पर्याप्त रूप से कम करने और निर्यात में काफी वृद्धि करने के लिये क्या पग उठाना चाहती है, ताकि बिगड़ते हुयी आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिये विदेशी मुद्रा का काफी भंडार बनाया जा सके।

[श्री जे० माता गौडर]

कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि हमारी जनसंख्या बढ़ी है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह नहीं बताया है कि इस कमी को कैसे पूरा किया जायेगा। सरकारी निष्क्रियता का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि बहुत अच्छी फसल वाले वर्ष में भी हमें बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा है।

अन्त में मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो राष्ट्रपति को उचित वितरण के बारे में कही है। मेरे केरल के मित्रों ने कहा है कि खाद्यान्नों के बारे में केरल में गम्भीर स्थिति व्याप्त है। तमिल नाडु खाद्यान्नों के मामले में काफी समृद्ध है। उसके पास फालतू अनाज है और तमिल नाडु की राज्य सरकार केरल के लोगों की सहायता करना चाहती है। किन्तु केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप कर के आदेश दिया कि उसकी अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार केरल में भूखों मर रहे लोगों को बचाना नहीं चाहती है। उसे तो अपनी शक्ति का उपयोग करने की अधिक चिन्ता है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आर्थिक कार्यक्रम तैयार करे। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसकी अपने प्राधिकार के उपयोग करने की अनुचित इच्छा के कारण खाद्यान्नों के वितरण में बाधा न पड़े।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : I support the Motion of Thanks on the President's Address. But I want to draw your attention towards the sufferings of the poor people. The condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is very pitiable. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe people have got no land, houses and other basic necessities of life. The labour class people and small farmers are also facing difficulties. The Government should take necessary steps to remove the difficulties of these people.

There is a shortage of essential commodities in the whole of country. This has made the life of the poor and backward people miserable. I think that only the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, and the Congress Government can remove the difficulties of the people. Special efforts should be made to tackle the problems of the people. The Government should try their best to remove the difficulties of the people.

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर वादविवाद समाप्त हो गया है। प्रधान मंत्री कल इस वादविवाद का उत्तर देंगी।

तत्पश्चात लोक सभा पांच बजे मध्याह्न पश्चात तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the clock.

लोकसभा 5 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य बजट, 1974-75

GENERAL BUDGET, 1974-75

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : महोदय,

मैं आपकी अनुमति से 1973-74 के संशोधित अनुमान और 1974-75 के लिए बजट अनुमान पेश करता हूं ।

2. यह संघ सरकार का नियमित, चौथा बजट है, जिसे सदन के सामने पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है । प्रत्येक केन्द्रीय बजट का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि द्रुत विकास, स्थायित्व, अधिक से अधिक सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता लाने की आवश्यकताओं के बीच उचित समन्वय लाया जाय । लम्बी अवधि में ये उद्देश्य एक दूसरे के पोषक होते ह । छोटी सी अवधि में इन उद्देश्यों में समन्वय लाना, चाहे परिस्थितियां अनुकूल भी हों, कोई सरल काम नहीं होता । पिछले तीन सालों में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं, असल में वह अनेक प्रकार से, सामान्य भी नहीं रहीं । इन तीन सालों में हर साल हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो एक से एक भारी थीं । हमने उन चुनौतियों का अपनी पूरी ताकत से सामना करने की कोशिश की । हालांकि मैं स्वीकार करता हूं कि कुछेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों के कारण जिन पर हमारा वश नहीं था ऐसी असाधारण भारी मजबूरियां आयीं कि हम जितनी प्रगति की आशा करते थे उतनी नहीं कर सके ।

3. मैं यह बात साफ साफ कहना चाहूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में अर्थ व्यवस्था को और भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा । तब इस बात की आजमाइश होगी कि हमारी अर्थ व्यवस्था कितनी पुरजोर है और उसमें हालात के अनुसार अपने को ढालने की कितनी सामर्थ्य है । कच्चे तेल व कुछ दूसरी चीजों की कीमतों के बहुत तेजी से चढ़ जाने से व्यापार की स्थिति हमारे एकदम उल्टी हो गयी है और इससे हमारा काम असामान्य रूप से कठिन हो गया है । लेकिन हाल की घटनाओं पर विचार करते समय इतिहास के लम्बे दौरे का ध्यान रखना चाहिए । दुनियां में कहीं पर भी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव हुए बिना, आसानी से नहीं हुए । इसलिए मुझे इस सबसे घबड़ा उठने या अपने बुनियादी लक्ष्यों व उद्देश्य के बारे में शंका कर बैठने की कोई वजह नहीं दिखायी पड़ती । हमारे सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य आज भी उतने ही साथक हैं जितने कि वे पहले थे । हम अपने लक्ष्य हासिल करने में उतने ही कृत संकल्प हैं जितने पहले थे । हम गरीबी, अज्ञानता व बीमारियों के खिलाफ हथियार इसलिए नहीं डाल सकते कि यह लड़ाई आशा से अधिक भारी पड़ रही है, हालांकि हो सकती है कि परिस्थिति के अनुरूप हमें अपने साधन बदलने पड़ेगा ।

अर्थ-व्यवस्था

4. जैसा कि सदन को मालूम है, सरकार कीमतों की तेजी के भारी बोझ के बारे में बहुत चिंतित रही है । यह बोझ पिछले दो वर्षों से हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़ रहा है । इस बोझ को दूर करने के लिए जो उपाय किये गये वह सम्मानित सदस्यों को मालूम हैं । मुझे इस बात का बहुत दुख है है कि इन उपायों के बावजूद कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है । सदन को भली भांति भाँति ज्ञात है कि लगातार दो वर्षों, 1971-72 व 1972-73 में खेती के उत्पादन में सन्तोषजनक परिणाम न मिलने के कारण कीमतों पर असर पड़ना अवश्यंभावी था । 1972-73 में खती की पैदावार के तेजी से 9.5 प्रतिशत गिर जाने से मांग और पूर्ति के बीच सन्तुलन का उलट पुलट हो जाना स्वाभाविक था । विदेशों से हमने भारी मात्रा में जो अनाज मंगाया उससे भी देश में कीमतों का बढ़ना नहीं रुक सका जिसका कारण यह रहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें और ज्यादा बढ़ गयीं थी ।

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

1973 में औसत से अधिक खरीफ की पैदावार होने पर भी कीमतें नीचे न उतर सकीं क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में कीमतों में वृद्धि करने वाली कुछ दूसरी शक्तियां सक्रिय रहीं।

5. ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय आय में 1973-74 में निश्चय ही उल्लेखनीय वृद्धि होगी इससे पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय आय की असन्तोषजनक स्थिति के सुधारने में सहायता मिलेगी। फिर भी यह हम सभी के लिए विशेष चिन्ता की बात है कि चौथी आयोजना में हमारे सारे विकास की दर आयोजना के लक्ष्य से काफी कम थी। यह भी हमारे लिए विशेष चिन्ता की बात है कि औद्योगिक उत्पादन में जो प्रगति 1972 में दिखायी दी वह 1973 में बनी न रह सकी। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1973 में औद्योगिक उत्पादन की दर में मुश्किल से कोई प्रगति हुई होगी। हमारी आर्थिक नीति का प्रधान उद्देश्य यह होगा कि 1974 में औद्योगिक कार्यकलाप में फिर से तेजी लायी जाय। विकास की अभीष्ट दर की प्राप्ति एक चुनौती है जिसका सामना हमें पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में करना है।

6. जैसा कि सदन को पता है कि देश में सप्लाई को पूरा करने के लिए विदेशों से 1973-74 में सरकार ने खाद्यान्न व वनस्पति तेल पर्याप्त मात्रा में आयात किया। राष्ट्र की सुविधा के लिए यह आयात जरूरी था लेकिन इससे हमारे आयात का खर्च बढ़ गया। सौभाग्य से हमारे निर्यात में सन्तोषजनक रीति से वृद्धि हुई है और हमारे भुगतान सन्तुलन में जो भी कमी आ गयी थी वह इसी वृद्धि के कारण इतनी हल्की रह गयी कि उस पर काबू पाया जा सकता है। फिर भी हमारे भुगतान सन्तुलन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि यह कच्चे तेल व दूसरी चीजों जैसे उर्वरक व अलौह धातुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण स्वाभाविक रूप से और ज्यादा हो जायगा। आगे चल कर हमारे व्यापार में इस भारी परिवर्तन के साथ संतुलन बनाये रखने के लिए हमारी अर्थ-व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है जिससे कि हमारे विकास पर कोई असर न पड़े, वह यह है कि जहां भी हो सके तेल की जगह देश में ही मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाय तथा तेल निकालने के कार्यक्रमों में तेजी लायी जाय। इस संदर्भ में कोयले के उत्पादन को जल्दी से जल्दी व ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। फिर भी, हमारे आयात के खर्च का बढ़ना अनिवार्य है और इससे यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने निर्यात में वृद्धि करें। तेल के संकट से हमारी कठिनाइयां जरूर बढ़ गयी हैं लेकिन इससे जूट के कपड़े, सूती कपड़ व चमड़ की चीजों जैसे उत्पादनों का निर्यात करने के लिए नये क्षेत्र भी मिल गये हैं। हमें चाहिए कि हम इस अवसर का फायदा उठायें और इस बात की पूरी कोशिश करें कि हम निर्यात से अधिक से अधिक आमदनी कर सकें। निर्यात की सारी संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा से हमें निर्यात की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए एक सुगठित कार्यक्रम शुरू करने में सहायता मिलेगी।

7. पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि देश के सामने सबसे ज्यादा जरूरी काम हैं अर्थ व्यवस्था की स्फीति पर नियंत्रण, बचत करने व पूंजी लगाने के काम में उत्तरोत्तर वृद्धि, विदेशी भुगतान की क्षमता में वृद्धि करना व ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाना। पिछले एक साल में कीमतों में भारी वृद्धि, तेल व दूसरी अंतर्राष्ट्रीय चीजों की कीमतों के चढ़ जाने से भुगतान संतुलन पर भारी दबाव पड़ने व 1973 में औद्योगिक उत्पादन में ठहराव आ जाने से ऊपर जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है उनको पूरा करना और अधिक आवश्यक हो गया है। हालांकि पिछले साल हमारी अर्थ व्यवस्था के परिणाम तुलना करने पर अच्छे नहीं रहे, इससे सन्देह, अनिश्चय और गल्ती ढूंढने की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करें और जनता के इस विश्वास को बनाये रखें कि सामाजिक परिवर्तन लाने में हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था एक कारगर साधन है।

संशोधित अनुमान 1973-74

8. सदन को याद होगा कि 1973-74 के बजट अनुमान में 87 करोड़ रुपयों का घाटा आंका गया था। इसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण होने वाला खर्च शामिल नहीं था क्योंकि आयोग की रिपोर्ट बजट प्रस्तावों को बनाते समय उपलब्ध नहीं थी। अनुमान किया गया था कि इन सिफारिशों को मंजूर करने से बजट का घाटा 87 करोड़ रुपयों से ज्यादा हो जायगा। फिर भी, बाद की घटनाओं से जो मुख्यत: 1972-73 में खेती के उत्पादन के काफी गिर जाने के कारण हुई, बजट की स्थिति जैसी पहले सोची गयी थी उससे काफी ज्यादा बिगड़ गयी।

9. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, 1972-73 में असाधारण व व्यापक सूखा पड़ने से जो सहायता कार्य शुरू किये गये थे उन्हें बड़े पैमाने पर 1973-74 में भी जारी रखा गया। जब यह कार्य अपनी चरम सीमा पर था सारे देश में, 1,43,740 राहत केन्द्र खोले गय और 93 लाख लोगों को रोजगार मिला। आशा की गयी थी कि 1973-74 में मानसून शुरू होने पर खेती के काम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी मिलने लगेगी और जिन लोगो को सहायता कार्यों पर लगाया गया उनकी संख्या काफी हद तक घट जायगी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय सरकर को इस मद में राज्य सरकारों को भारी मात्रा में सहायता देना जारी रखना पड़ा। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि चालू वर्ष के बजट में इस काम के लिए 100 करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था की गयी थी। यह व्यवस्था पूरी तरह से अपर्याप्त सिद्ध हुई और इसमें 220 करोड़ रुपये और डाल कर इसे बढ़ाना पड़ा।

10. इस सम्बन्ध में मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान दैवी विपदाओं से राहत पर खर्च के बारे में वित्त आयोग के सुझावों की ओर दिलाना चाहूंगा। आयोग ने इस बात का अनुरोध किया है कि राहत के लिए तदर्थ आधार पर खर्च करने के बजाय जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा करता है या जहां बाढ़ आया करती है ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं आयोजना में राज्य व केन्द्र के दोनों क्षेत्रों में पहले से ज्यादा व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सुझावों के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि इन कार्यक्रमों को जहां तक हो सके विकास योजनाओं के साथ मिला दिया जाय।

11. राज्य सरकारों को दैवी विपदाओं में राहत पर खर्च करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन देने के अलावा इन सरकारों को अपने अपने साधनों की कमी को पूरा करने व विशिष्ट आयोजनाओं के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता के लिए रखी धनराशि में भी वृद्धि करनी पड़ी है। बजट में इस काम के लिए 198 करोड़ रुपये रखे गये थे और इस राशि में लगभग 91 करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी।

12. केन्द्र के कोष को कुछ दूसरे खर्चों का बोझ भी उठाना पड़ा। अनाज की बिक्री कीमतों में कुछ फेर बदल करने के बावजूद अजान के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता पर होने वाला खर्च 130 करोड़ रुपये की रखी गयी व्यवस्था से 121 करोड़ रुपये ज्यादा होगा। इसका मुख्य कारण विदेशों से मंगाये गये अनाज का मंहगा होना है।

13. सरकार के खर्च पर बढ़ती कीमतों का सीधा असर यह पड़ा कि उसे अपने कर्मचारियों को इस साल अधिक महंगाई भत्ता देना पड़ा। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकार करते समय हमने महंगाई भत्ता देने के लिए एक उदार फारमूला मंजूर किया था जिससे कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों को रहन सहन के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल सके। इस फारमूला के आधार पर हमने महंगाई भत्ते की चार किश्तें मंजूर की हैं जिन पर सरकार को 100 करोड़ रुपय खर्च करने होंगे।

14. तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 150 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया था। यह एक भारी दायित्व था, विशेष कर ऐसी हालत में जब कि देश के सामने

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

कठिन आर्थिक परिस्थितियां हैं। इस दायित्व की वजह यह थी कि हमसे यह आशा की जाती रही कि हम आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर लेंगे। सच तो यह है कि वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे के बारे में जो सिफारिशें की थीं हमने उल्लेखनीय संशोधन करना मान लिया, अकेले इन संशोधनों से एक साल में 61 करोड़ रुपये आवर्ती व 25 करोड़ रुपये अनावर्ती आधार पर खर्च होने लगेंगे। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार अपने साधनों पर जितना ज्यादा से ज्यादा बोझ डाल सकती थी, डाल चुकी है। मुझे पूरी पूरी आशा है कि हमारे कर्मचारी भी इस बात को समझेंगे और काम करने की अपनी दक्षता व उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने की हर कोशिश करेंगे।

15. जहां तक आय का सवाल है, इसमें कुछ कमियां रही हैं। उद्योग के अनेक बड़े क्षेत्रों में कच्चे माल की कमी व बिजली की सप्लाई में कमी के कारण उत्पादन में ठहराव आ जाने के उत्पादन शुल्कों से होने वाली आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। इससे 107 करोड़ रुपयों की हानि का अनुमान है।

16. जैसा कि रेल मंत्री ने कल कहा, रेलवे की अर्थ व्यवस्था पर 1973-74 में काफी दबाव पड़ते रहे हैं और इन दबावों के कारणों पर उन्होंने अपने भाषण में काफी रोशनी डाली है। चालू वर्ष में रेलवे की वित्त व्यवस्था का साधारण बजट पर, अनुमान है, लगभग 109 करोड़ रुपयों का निवल अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

17. केन्द्रीय बजट की अतिरिक्त व अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और घाटे को न्यूनतम स्तर से ज्यादा न बढ़ने देने के लिए अतिरिक्त श्रोतों को जुटाने व खर्च को कम करने के दोनों कार्यों के लिए गंभीर प्रयत्न किये गये हैं। इस साल केंद्र को बाजार से ऋण लेने पर निवल 472 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे हालांकि बजट में 326 करोड़ रखे गये थे। विभिन्न मंत्रालयों के खर्च की आवश्यकताओं की बड़े ध्यान से समीक्षा की गयी और यह पता लगाया गया कि उनके प्रशासनिक व विकास-भिन्न खर्चों में कहां कहां बचत की जा सकती है। साधनों को ध्यान में रखते हुए, आयोजना के कुल खर्चों की, खास तौर से ऐसी योजनाओं के बारे में जो आयोजना की बुनियाद के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, समीक्षा की गयी।

18. इन सब कोशिशों के बावजूद, इस साल के अन्त में 650 करोड़ रुपये का घाटा होगा। घाटे की अर्थ व्यवस्था के हानिकर प्रभावों के बारे में हमें गहरी चिन्ता है। लेकिन कोई भी सरकार अधिकांश जनता की कठिनाइयों और मुसीबतों को कम करने की अपनी जिम्मेवारी की उपेक्षा नहीं कर सकती। इसी जिम्मेवारी की वजह से इतना बड़ा घाटा उठाना जरूरी हो गया।

बजट अनुमान 1974-75

19. अगला वित्तीय वर्ष पांचवी आयोजना का पहला साल है। स्पष्ट है कि आयोजना के बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजी लगाने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना एक जरूरी शर्त है। इसके साथ साथ साधारण आर्थिक स्थिति आवश्यकता वित्तीय साधनों को जुटाने के काम को कठिन बना देती है। पिछले दो वर्षों में कीमतों के तेजी से बढ़ने के कारण गैर-विकास खर्च, खास तौर से वेतन व भत्ते पर खर्च, भारी मात्रा में बढ़ गया है जिससे विकास कार्यों के लिए बाकी बची धन राशि में कमी हो गयी है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन लगातार मंद रहने के कारण इसका राजस्व की बढ़ोत्तरी पर असर पड़ा। 1974-75 का बजट बनाते समय हमारे लिए इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि तेल संकट और विदेशों से मंगायी जाने वाली बहुत सी चीजों के बहुत उंचे दामों का हमारे भुगतान सन्तुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विदेशों से कौन-कौन सी चीजों का अयात करना है तथा खेती की पैदावार व औद्योगिक उत्पादन में

बढ़ोतरी होने से सरकार के राजस्व पर क्या असर पड़ेगा। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि वर्तमान परिस्थिति में अनिश्चय व चिन्ता के अनेक कारण मौजूद हैं लेकिन मेरी धारणा है कि तात्कालिक समस्याओं की चिन्ता करते समय दीर्घ अवधि वाले विकास के लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए वरना हम खुद ही मात खा जाने वाले काम कर रहे होंगे। मेरे विचार में मौजूदा घटनाओं से विकास के कार्यक्रमों का ठोस होना साबित हो गया है। देश की औद्योगिक व ऊर्जा की बुनियाद को मजबूत बनाने में इन कार्यक्रमों का सफल होना बहुत जरूरी है।

20. 1974-75 के बजट में आयोजना के लिए 2966 करोड़ रुपयों के कुल खर्च की व्यवस्था की गयी है। इसमें से 911 करोड़ रुपये राज्यों व संघ क्षेत्रों की आयोजना की सहायता के लिए और 2055 करोड़ रुपये केन्द्रीय आयोजना के लिए रखे गये हैं। इस व्यवस्था से दो परस्पर-विरोधी बातों अर्थात घाटे को कम से कम रखने और उत्पादन की रफ्तार बनाये रखने के बीच सन्तुलन रखा गया है जो कि एक कठिन काम है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया है कि ऐसी औद्योगिक व खेती की योजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय जो अर्थ व्यवस्था के भावी विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें पांचवीं आयोजना के पहले दो वर्षों में पूरा किया जाना है जिससे लगायी गयी पूंजी से अर्थ-व्यवस्था को आयोजना की अवधि में काफी शुरू से ही लाभ पहुंचने लगे।

21. तेल की मौजूदा कमी और इससे पैदा होने वाले ऊर्जा संकट से वाणिज्यिक ऊर्जा के अत्यन्त विशिष्ट श्रोत के रूप में कोयले का महत्व बढ़ गया है। इसलिए 1974-75 के बजट में कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए ज्यादा प्राथमिकता दी गयी है और इस काम के लिए 97 करोड़ रुपये रखे गये हैं। दूसरे शब्दों में कोयले पर खर्च पिछले वर्ष में 24 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की तुलना में चार गुना बढ़ा दिया गया है। मैं अपने भाषण में आगे कुछेक कर सम्बन्धी उपायों का ब्यौरा दूंगा जिनका उद्देश्य जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा के श्रोत के रूप में तेल के बदले कोयले का इस्तेमाल शुरू करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देना है।

22. हमारे आर्थिक विकास में इस्पात का महत्व भी कुछ कम नहीं है। इस्पात आसानी से मिल सकता है या नहीं इस बात का प्रभाव व्यापक रूप से न केवल औद्योगिक विकास की दर पर पड़ता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की स्थिति में हम कितने सक्षम हैं, इस पर भी पड़ता है। इन सब कारणों से इस्पात के उत्पादन के लिए बजट में 162 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है। अगर इसमें इस उद्योग के उपलब्ध साधनों को जोड़ दिया जाय तो कुल व्यवस्था लगभग 276 करोड़ रुपये की हो जाती है जो इस साल उपलब्ध कुल 201 करोड़ रुपयों से 75 करोड़ रुपये ज्यादा है।

23. आयात द्वारा अलोह धातुओं की सप्लाई पर देश को कम निर्भर बने रखने के लिए जितना तेजी से हो सके देशी श्रोतों का और ज्यादा विकास करना जरूरी है। इसके अनुसार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए 1974-75 के बजट में 75 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जा रही है। इस साल इस कार्य के लिए 56 करोड़ रुपये रखे गये थे।

24. यातायात की हमारी अर्थ-व्यवस्था में रेलों के प्रमुख स्थान को ध्यान में रखते हुए हमने सुनिश्चित किया है कि रेलों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध रहे। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, रेलों के क्षेत्र में गंभीर आर्थिक कठिनाइयां आ गयी हैं और उनकी अपनी आय से ऐसी आयोजना का खर्च पूरा नहीं हो सकेगा जिससे कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसलिए मैंने रेलों को दी जाने वाली बजट की सहायता में पर्याप्त वृद्धि कर अगले वर्ष के लिए चालू वर्ष के 181 करोड़ रुपयों की तुलना में 342 करोड़ रुपये रखे हैं।

25. उद्योग और खेती दोनों के उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग में आने वाली चीजों में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। हाल के वर्षों में बिजली की कटौती होते रहने से हमारी अर्थ-व्यवस्था जैसे अपंग होती गयी और इससे हमारी बिजली पैदा करने की क्षमता को तुरंत आगे बढ़ाने व मौजूदा बिजली कारखानों

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

की कार्यकुशलता में वृद्धि करने की जरूरत उभरकर सामने आ गयी है। पांचवीं आयोजना में बिजली बनाने की क्षमता को आयोजना के अन्त तक बढा कर 330 लाख किलोवाट कर देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी कोशिश है कि जिन प्रायोजनाओं पर निर्माण का काम हो रहा है उन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जाये व बिजली की ऐसी नई योजनाओं को शुरू किया जाय जो जल्दी ही पूरी हो सकती हों व जिनसे तुरंत बिजली मिल सकती हो। गांवों की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए गांवों में बिजली पहुंचाने के महत्व पर जितना जोर दिया जाय उतना कम है। हालांकि गांवों में बिजली पहुंचाने की अधिकांश योजनाएं राज्य आयोजना के क्षेत्र में आती हैं, इस मद को विशेष मद मानते हुए, मैं राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए 790 करोड़ रुपयों की दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त ग्राम्य बिजलीकरण निगम के लिए 40 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर रहा हूं। 1974-75 में बिजली के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कुल बजट व्यवस्था 121 करोड़ रुपयों की होगी।

26. उर्वरकों में मौजूदा कमी और विदेशों से इन्हें मंगाने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए अगले वर्ष की आयोजना का जोर मौजूदा कारखानों की स्थापित क्षमता से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल करना व जिन आयोजनाओं पर काम हो रहा है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने पर है। बजट में इस क्षेत्र के लिए चालू वर्ष के 94 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 163 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है जो एक पर्याप्त वृद्धि है।

27. हालांकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए साधन जुटाने की हर कोशिश की गयी है लेकिन खेती के क्षेत्र की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की गयी है। खेती के कार्यक्रमों में बजट की सहायता के तौर पर हम 246 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं। खेती की पैदावार की घटती व बढ़ती का राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर, कीमतों, औद्योगिक उत्पादन, भुगतान सन्तुलन और आमदनी के वितरण पर महत्वपूर्ण असर होता है। इसलिए खेती की पैदावार की बढ़ोतरी में हम धन की कमी से रुकावट नहीं आने देंगे। सम्मानित सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में हमने छोटे किसानों की योजनाएं, आदिवासी क्षेत्रों के विकास, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, संस्थागत ऋणों, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम व प्रायोगिक पोषाहार कार्यक्रम जैसी खेती की जो विभिन्न योजनाएं शुरू की, वह सन्तोषजनक रीति से प्रगति कर रही हैं।

28. सीमित साधनों के अन्दर अन्दर और विकास के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मैंने इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके शिक्षा, स्वास्थ, परिवार-नियोजन, समाज-कल्याण व आवास जैसी समाज सेवाओं के लिए अधिक से अधिक धन राशि नियत की जाय। पहले की आयोजनाओं में सार्वजनिक उपयोग की कम से कम जरूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था की जाती रही उससे आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, इसका मुख्य कारण संबंधित कार्यक्रमों को उचित प्राथमिकता न दिया जाना और सुविधाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ सुनियोजित नहीं किया जाना था। सम्मानित सदस्य जानते हैं कि पांचवीं आयोजना के मसौदे में न्यूनतम आवश्यकताओं के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है जिससे प्रारंभिक शिक्षा, गावों में स्वास्थ्य, पीने के पानी, गन्दी बस्तियों में सफाई, देहातों में सड़कें व गावों में बिजली पहुंचाने के काम के रूप में न्यूनतम सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि राज्यों की सरकारें इस कार्यक्रम के लिए नियत की गयी राशि का कारगर ढंग से इस्तेमाल करेंगी।

29. बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए कुल व्यवस्था 2136 करोड़ रुपयों की होगी जिसमें संघ क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 81 करोड़ रुपये शामिल हैं। लेकिन राज्यों की आयोजनाओं के लिए दी जाने वाली 830 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता शामिल नहीं है। इसके अलावा केन्द्रीय आयोजना के खर्च को पूरा करने के लिए बजट के अतिरिक्त 574 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। 1974-75 के लिए राज्यों की आयोजनाओं के लिए 2059 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इस तरह 1973-74 के 4364 करोड़ रुपयों की तुलना में 1974-75 में आयोजना पर कुल खर्च 4769 करोड़ रुपया होगा।

30. हमने आयोजना में और अधिक खर्च करने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है जिससे हम तेजी से गरीबी हटाने व आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के दोहरे लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकें। फिर भी मेरी धारणा है कि आयोजना में लगायी जाने वाली पूंजी से आशा के अनुरूप परिणाम तभी निकल सकते है जब आयोजना को दक्षता से कार्यान्वित किया जाय और उत्पादन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग, चाहे वह प्रबन्ध करने वाले हों अथवा श्रमिक हों समाज के प्रति अपनी व्यापक जिम्मेदारियों को महसूस करें। अगर आयोजना के लक्ष्य तक पहुंचना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि औद्योगिक संबंध, विशेष रूप से बुनियादी क्षेत्रों में सन्तोष-जनक बने रहे। मुद्रा नीतियों व राजस्व नीतियों का उद्देश्य भी आयोजना के लक्ष्यों को पूरा करना ही होना चाहिए। साधनों का नियतन करने, प्रायोजनाओं व कार्यक्रमों का ठीक ठीक चुनाव करने और उनका क्रम निर्धारण करने और कार्यक्रमों की सावधानी पूर्वक देख रेख करने में प्रभावपूर्ण प्रबन्ध-तकनीक को अपना कर इन नीतियों को पुष्ट करना होगा। सरकारी खर्च के कार्यक्रमों की उत्पादनशीलता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है अगर खर्च की रफ्तार पर सतत ध्यान रखा जाय जिससे समय रहते ही उसमें उचित सुधार किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त कार्यक्रमों से जिस लाभ की आशा है, वह पूरा मिल सके। यह तभी हो सकता है जब वित्तीय नियंत्रण व हिसाब किताब रखने की व्यवस्था को और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी को एक साथ मिला दिया जाय। उसके लिए हम लोग वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली के ढांचे में कुछ अदल बदल करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि निर्णय लेने के अधिकार व अच्छे परिणाम निकालने की जिम्मेवारी दोनों में आपस में तालमेल बना रहे।

31. लेखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा खाता रखने का जो नया वर्गीकरण निर्धारित किया गया है उससे सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों व कार्यकलापों की जानकारी ज्यादा अर्थपूर्ण तरीके से होती है। इसी नये वर्गीकरण के आधार पर बजट तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे कार्यों के अनुसार बजट बनाने की प्रणाली को, जो पहले से ही प्रचलित है, और अधिक बढ़ावा मिलेगा और साधनों के नियतन की उपयोगिता व उससे मिलने वाले लाभ को आंकने के लिए इस तरीके का कारगर इस्तेमाल किया जायेगा।

32. रक्षा पर कुल खर्च के तौर पर 1915 करोड़ रुपये रखे गये हैं जिसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण आवश्यक अतिरिक्त राशि शामिल है। राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा की विशाल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रक्षा खर्च को कम रखना संभव नहीं हो सका।

33. जहां तक साधनों का सम्बन्ध है हमें ऊर्जा संकट के कारण राजस्व पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखना है हालांकि इस समय निश्चयपूर्वक इसके प्रभाव को आंका नहीं जा सकता। इस तत्व को ध्यान में रख कर हमने उत्पादन-शुल्क व सीमा-शुल्क की वृद्धि में कुछ कमी होने का अनुमान कर लिया है। इन दोनों साधनों से संशोधित अनुमान के अनुसार 1973-74 के 3608 करोड़ रुपयों की तुलना में 1974-75 में 3769 करोड़ रुपयों की आय का अनुमान है। 1973-74 (संशोधित अनुमान) के 1354 करोड़ रुपयों की तुलना में प्रत्यक्ष करों से 1423 करोड़ रुपयों की आय का अनुमान किया गया है।

34. छोटी बचतों से धन राशि मिलने में सन्तोषजनक प्रगति रही और 1974-75 में इससे 360 करोड़ रुपया मिलने का अनुमान है। बाजार ऋण से निवल आय रुप में 498 करोड़ रुपयों के मिलने का अनुमान है जो 1973-74 से कुछ अधिक है।

35. खर्च के लिए सारी व्यवस्था तथा श्रोतों से अनुमानित आय को देखते हुए करों की मौजूदा दरों से बजट में पड़ने वाला अन्तर 311 करोड़ रुपयों का होगा। सदन स्वभावत: यह जानने के लिए उत्सुक होगा कि किस तरह मैं इस अन्तर को पूरा करना चाहता हूं। इसलिए मैं अब इस विषय पर आता हूं।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

प्रत्यक्ष कर

36. मैं सबसे पहले प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किये गये प्रस्तावों को शुरू करता हूं। सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने इन करों के बारे में अनेक सिफारिशें की थीं। इनमें से बहुत सी सिफ़ारिशें लागू की जा चुकी है। कुछ अन्य सिफारिशो को लागू करने के उपबन्ध कराधान नियम (संशोधन) विधेयक 1973 में शामिल हैं। इस विधेयक पर इस सदन की प्रवर समिति विचार कर रही है। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक सिफारिश का सम्बन्ध करों की दरों में कमी करने से है। समिति ने यह राय जाहिर की है कि कर छिपाने का सबसे पहला और मुख्य कारण है करों की उंची दरें, क्योंकि इन्हीं दरों के कारण कर का छिपाना लाभदायक व आकर्षक हो जाता है हालांकि इसमें अनेक जोखिम बने रहते हैं। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि आयकर की दर की अधिकतम सीमा जिसमें अधिभार भी शामिल है, 97.75 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटा कर 75 प्रतिशत कर दी जाय। इसके साथ साथ बिचले व निचले स्तर पर कर की दरों में कमी की जानी चाहिए। समिति की यह सिफारिश सरकार द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गयी। इसके अनुसार मैं निजी आय के सभी स्तरों पर कर कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। कर की प्रस्तावित दरों के अन्तर्गत 6,000 रुपये से कम आय वाले किसी भी व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू परिवार द्वारा कोई आयकर नहीं दिया जायेगा। 70,000 रुपये से उपर की आमदनी पर बुनियादी आयकर की सीमान्तिक दर 70 प्रतिशत होगी। जिन अविभक्त हिन्दू परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति स्वतंत्र आय वाला हो और उस व्यक्ति की आय छूट की न्यूनतम सीमा से ज्यादा हो तब उस परिवार पर 50,000 रुपये से ज्यादा आय होने पर 70 प्रतिशत की सीमान्तिक दर लगेगी। निगम-भिन्न करदाताओं की सभी श्रेणियों के मामले में अधिभार की दर घटा कर 10 प्रतिशत की एक समान दर पर ले लायी जायेगी। आयकर व अधिभार का कुल भार व्यक्तियों और अविभक्त हिन्दू परिवारों के मामले में कर योग्य आय के सबसे ऊँचे खण्ड पर 77 प्रतिशत होगा।

37. निजी आय पर करों में कमी को ध्यान में रखते हुए मैं यह जरूरी नहीं समझता कि भारतीय या विदेशी कम्पनियों को तकनीकी जानकारी या तकनीकी सेवा देने से निगम-भिन्न करदाताओं को जो आमदनी होती है उस पर कर लगाते समय तरजीही व्यवहार को जारी रखा जाय। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में दी जाने वाली मौजूदा रियायत को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

38. आय की असमानताओं व सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने में राजस्व प्रणाली का असर कम न हो जाय इसे सुनिश्चित करने के लिए मैं ऐसे व्यक्तियों व अविभक्त हिन्दू परिवारों पर जहां किसी भी सदस्य के पास 1,00,000 रुपये से ज्यादा की निवल सम्पत्ति नहीं है, 5,00,000 रुपये से ज्यादा की निवल सम्पत्ति के खण्डों पर धन-कर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपयों तक के खंड पर धन-कर की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत व 10,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपयों तक के खण्ड पर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी जायेगी। जिन ऐसे हिन्दू अविभक्त परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपये से ज्यादा की निवल सम्पत्ति है वहाँ पहले 5,00,000 रुपयों के खण्ड पर धन-कर की दर 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत व 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपयों तक के खण्ड पर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी जायेगी।

39. मैं धन-कर अधिनियम के अधीन मिलने वाली मौजूदा रियायतों को युक्ति संगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। फार्म-हाउसों के सम्बन्ध में अलग से दी जाने वाली छूट को भी वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि कर देने वालों को यह छूट रहेगी कि वे 1,00,000 रुपये की मौजूदा सीमा के अन्दर अन्दर एक फार्म हाउस या किसी एक और मकान के सम्बन्ध में छूट माँग सकते हैं। खेती की जमीन पर दी जाने वाली छूट विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मिलने वाली छूट से जोड़ दी जायेगी जिससे खेती की जमीन व विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के बारे में कुल छूट 1,50,000

रुपयों तक सीमित हो जायेगी। इस समय कर देने वाले को उसकी बीमा पालिसी के पूरा होने के पहले मिलने वाले ब्याज पर कोई कर नहीं देना होता। इसी तरह किसी भी एन्यूटी में, जो एकमुश्त अनुदान में बदली नहीं जा सकती, करदाता को इसी तरह की छूट मिली हुई है। कुछ लोगों ने ज्यादा भारी राशि की एक प्रीमियम वाली पालिसी लेकर इस छूट का अनुचित लाभ उठाया है। मैं इन उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे पूरी छूट बीमे की उस धन राशि के बारे में ही उपलब्ध होगी जहां 10 साल या उससे ज्यादा अवधि तक प्रीमियम दिया गया होगा। जहां तक एन्यूटियों का सम्बन्ध है, मैं राशीकृत न की जा सकने वाली एन्यूटी पर से इस छूट को हटाने का प्रस्ताव करता हूं अगर इन एन्यूटियों को करदाता ने खुद ही या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ ही संविदा के आधीन खरीद लिया है।

40. धन-कर अधिनियम में होने वाले परिवर्तनों से पूरे साल में लगभग 9.5 करोड रुपय मिलेंगे जो 1975–76 के वित्तीय वर्ष में प्राप्त होंगे। निजी आय पर आयकर की दरों के घट जाने से सामान्यत: पूरे साल में 60 करोड़ रुपयों व 1974–75 के वित्तीय वर्ष में 36 करोड़ रुपयों का घाटा होना चाहिए था लेकिन मैं बजट के निमित्त इस घाटे को हिसाब में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि करों की दरों के कम कर दिय जाने से ज्यादा कर मिलने लगेगा और सभी करदाता अपनी असली आमदनी दिखाने लगेंगे।

41. रजिस्टर्ड फर्मों पर इस समय दो अधिभार लगे हुए हैं। मैं ऐसी फर्मों द्वारा दिये जाने वाले साधारण अधिभार को बुनियादी आयकर में मिला देने और 10 प्रतिशत की एक समान दर पर एक ही सर टैक्स लगाने का प्रस्ताव करता हूं। व्यवसायिक फर्मों व दूसरी फर्मों के मामले में बुनियादी आय कर के सम्बन्ध में उनकी देनदारी को लगभग मौजूदा स्तर पर बनाये रखने के लिए मैं फर्मों के बारे में दो दर अनुसूचियाँ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

42. 1971–72 के अपने बजट भाषण में मैंने 31 मई 1974 के बाद हासिल किये जाने वाले जहाजों या स्थापित की गई मशीनरी और संयंत्रों के बारे में विकास-छूट को वापस लेने के सरकार के इरादे की सूचना दी थी। ऐसा लगता है कि हमारे उद्योग कुछ मामलों में संयंत्र व मशीनरी को नियत समय के भीतर विदेशी व देशी दोनों निर्माताओं से हासिल नहीं कर पाये जिससे कुछ औद्योगिक प्रायोजनाएं जो सामान्यत: 31 मई 1974 के पहले पूरी हो जानी थीं, नियत समय के भीतर नहीं पूरी हो सकेंगी। इसके लिए अनेक अप्रत्याशित कारण हो सकते हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चय की स्थिति का होना, कच्चे माल या महत्वपूर्ण कलपुर्जों के बारे में देशी निर्माताओं का आयात पर निर्भर रहना, माल लाने के लिए जहाजों के मिलने में कठिनाई, बिजली सप्लाई में कमी आदि आदि। ऐसी दशा में राहत दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां इस बात के निश्चित प्रमाण होंगे कि मशीनरी व संयंत्र खरीदे जाने के संविदा 1 दिसम्बर 1973 से पहले ही कर दिये गये थे, मैं एक और साल के लिए विकास छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। यह छूट 31 मई 1975 तक हासिल किये जाने वाले जहाजों के सम्बन्ध में भी प्राप्त होगी अगर इन जहाजों की खरीद के संविदा 1 दिसम्बर 1973 से पहले ही कर लिये गये होंगे।

43. पेट्रोलियम के उत्पादनों में भारी कमी के कारण एक अप्रत्याशित संकट आ गया है जिसके फलस्वरूप उद्योगों को उर्जा के दूसरे स्रोत अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना होगा। इसलिए मैं कोयले से चलने वाले बायलरों पर और तेल से चलने वाले बायलरों को कोयले से चलने वाले बायलरों में बदलने के लिए 1 जून 1975 से पहले लगायी जाने वाली मशीनरी या संयंत्र पर विकास छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

44. वेतन पाने वाले कर दाताओं के मामले में कर निर्धारण की पद्धति को आसान बनाने के लिए मैं यात्रा करने, किताबों, व्यवसाय पर कर और ड्यूटी पूरी करने में दिये गये खर्च के बारे में अलग अलग कटौती करने के बजाय 3500 रुपये की अधिकतम छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

कर्मचारियों की परिलब्धियों को अधिक वास्तविक आधार पर आंकने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सेवा निवृत्ति लाभों पर लगने वाले करों में कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन रिटायर होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी पर कोई आयकर नहीं लगेगा। जिन कर्मचारियों पर यह अधिनियम नहीं लागू होता उनके लिए ग्रेच्युटी पर छूट की सीमा 24,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये और 15 महीनों के वेतन से 20 महीने का वेतन कर दी गयी है।

45. राज्यों के वित्तीय निगमों को प्रारक्षित निधि का तेजी से निर्माण करने में सहायता देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि कर से मुक्त प्रारक्षित निधि में अन्तरित की जाने वाली राशि की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर चालू लाभ के 40 प्रतिशत तक कर दिया जाय।

46. खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास कार्य में अनेक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट व रजिस्टर्ड सोसायटियां काम कर रही हैं। यह ट्रस्ट व सोसायटियां खादी व ग्रामोद्योग आयोग के सीधे निर्देशन में प्रशंसनीय काम कर रही हैं। मैं इन सभी संस्थाओं को कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि ये संस्थाएं खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित हों।

47. कीमतें तय करने की नीतियों में परिवर्तन होने के कारण कुछ औद्योगिक कम्पनियों को अपरिमित लाभ हो रहा है। मैं सोचता हूं कि इस मुनाफे का पर्याप्त हिस्सा सरकार को भी मिलना चाहिए। मैं इसलिए पूंजी के 15 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों के बारे में सर टैक्स की दर को बढ़ा कर 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से पूरे साल में 5 करोड़ रुपये मिलेंगे और यह 1975–76 में प्राप्त होंगे।

48. सारांश यह कि प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में जिन प्रस्तावों का मैंने अभी जिक्र किया है उनसे अगले वित्तीय वर्ष में कर राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1975–76 के वित्तीय वर्ष में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 14.5 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

अप्रत्यक्ष कर

49. महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर आता हूं।

50. पहले की तरह इस बार भी मुझे अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से उत्पादन शुल्कों का उपेक्षाकृत अधिक सहारा लेना पड़ा है। चूंकि अन्य उपायों से धन जुटाने की गुंजाइश बहुत ही सीमित हो गयी है, इसलिए मेरे सामने दरअसल दो ही विकल्प हैं अर्थात् अप्रत्यक्ष करों से धन जुटाना और घाटे की वित्त व्यवस्था करना, और मैं महसूस करता हूं कि पहला विकल्प ही बेहतर है।

उत्पादन शुल्क

51. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में पहले मैं केवल केन्द्र के लिए साधन जुटाने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करूंगा। सम्मानित सदस्यों को विदित है कि पिछले वर्ष उत्पादन-शुल्क लगायी जा सकने वाली सभी वस्तुओं पर उनकी कीमत के 20 प्रतिशत के बराबर सहायक उत्पादन-शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था की गयी थी। तब ये शुल्क केन्द्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खास चीजों पर एक खास स्तर तक लगाये गये थे। मैं इस व्यवस्था को एक वर्ष और जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। हालांकि पिछले वर्ष चुनी गयी वस्तुओं पर शुल्क की प्रभावी दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं उस सूची में कुछ और चुनी हुई वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

52. संक्षेप में मेरा प्रस्ताव यह है कि अनिर्मित तम्बाकू, सिगरेट, स्मोकिंग मिक्सचर्स, प्लाइवुड और सीमेंट पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के दस प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाया जाय; रंगने

के पदार्थों, आप्टीकल ब्लीचिंग एजेंटों, गैस, रबड़ की वस्तुओं और प्लास्टिक पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के बीस प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाया जाय; रोगनों और वार्निशों पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के 33⅓ प्रतिशत की दर से एइरेटड वाटर, ग्लिसरीन, शृंगार और प्रसाधन सामग्री पर लगे प्रभावी बुनियादी शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाया जाय। इन प्रस्तावों के जरिये और मौजूदा वस्तुओं पर लगने वाले बुनियादी उत्पादन शुल्कों में जो फेर-बदल करने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूं उनके परिणामस्वरूप, मुझे आशा है कि सहायक शुल्कों से एक वर्ष में 62.38 करोड़ रुपया प्राप्त होगा।

53. इस्पात और अन्य धातुओं के मामले में, सहायक-शुल्क केवल देश के अन्दर होने वाले उत्पादन पर ही लगेंगे और पहले ही की तरह आयातों पर प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क के रूप में लागू नहीं होंगे। मैं प्लास्टिक के मामले में भी ऐसी ही छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

54. जहां तक बुनियादी उत्पादन-शुल्कों का सम्बन्ध है, मेरे प्रस्तावों का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है और ये प्रस्ताव शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने, खपत को कम करने, आकस्मिक लाभों को बटोरने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राजस्व जुटाने के बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किये गये हैं। नवम्बर, 1973 में, कच्चे तेल की कीमतों में बार-बार वृद्धि होने और कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती होने के बाद, अनेक उपायों में से एक उपाय के रूप में, मोटर-स्पिरिट पर लगने वाले बुनियादी उत्पादन-शुल्क को 1000 रुपये प्रति किलोलिटर से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति किलोलिटर कर दिया गया। पेट्रोलियम से बनी कई अन्य चीजों की खपत पर रोक लगाने और उसमें किफायत करने की लगातार जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए मैं "स्पेशल बायलिंग प्वाइंट" स्पिरिटों, मेथनोल और पेट्रो-केमीकल्स के काम आने वाले कच्चे नेप्था, विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होने वाले बेन्जीन आदि, एस्फाल्ट, बिटुमेन, खनिज टर्पेन्टाइन तेल, मोम और ब्लेंडेड और कम्पाउंड लुब्रीकेटिंग आयल और ग्रीस पर लगने वाले बुनियादी उत्पादन शुल्कों में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इन प्रस्तावों से पेट्रोलियम वर्ग की चीजों से 22.48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

55. पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों के उत्पादन-शुल्कों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मैं मौजूदा वैकल्पिक दरों के स्थान पर मूल्यानुसार दरें लगा कर शुल्क-दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा विचार स्कूटरों, मोटर-साइकलों, मोपेडों आटो-रिक्शाओं और तीन-पहियों वाली अन्य गाड़ियों पर मूल्यानुसार 9 प्रतिशत की एक समान दर लागू करने का है। उन मोटर गाड़ियों पर, जो आर० ए० सी० रेटिंग के अनुसार 16 अश्व शक्ति से अधिक की नहीं है, और जिनके अन्तर्गत यात्री-कारें और जीप आदि आ जाती हैं, इस समय 13.33 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगता है। मैं बाडी वाली गाड़ियों के मामले में, इस दर को बढ़ा कर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार, और अन्य गाड़ियों के मामले में, जो ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में निकासी की गयी हों, इस दर को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। बड़े आकार वाली गाड़ियों पर 40 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगेगा।

56. वाणिज्यिक गाड़ियों को यह लाभ प्राप्त है कि उन पर रियायती "मात्रानुसार" दरें लागू होती हैं जो कुछ वर्ष पहले निर्धारित की गयी थीं। मैं इन दरों को समाप्त करने और 12½ प्रतिशत की एक-समान मूल्यानुसार दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इस तरह से, कुछ अतिरिक्त-भारी गाड़ियों को, जो इस समय टैरिफ-दर से शुल्क दे रही हैं, 2½ प्रतिशत का प्रासंगिक लाभ मिल जायेगा। लेकिन मेरा विचार ट्रैक्टरों और ट्रेलरों पर लगने वाली मौजूदा दर में परिवर्तन करने का नहीं है।

57. मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित प्रस्तावों से 16.25 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

58. सरकार के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अंग के रूप में, मैं समाज के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध लोगों द्वारा किये जाने वाले खर्च पर अंकुश लगाने के लिए कुछ प्रस्ताव करता हूं। रेफ्रिजरेटरों, एयर-कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग मशीनों, उपकरणों और उनके हिस्सों पर लगने वाले शुल्क की वर्तमान दरों में कुछ मौजूदा छूटों के सम्बन्ध में कुछ फेर-बदल सहित, वृद्धि की जा रही है। लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज प्लांटों और कारखानों पर लागू मौजूदा रियायती दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अनुमान है कि इन परिवर्तनों से एक वर्ष में 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

59. टेलीविजन सेटों के कुछ निर्माता विज्ञापनों में जनता से केन्द्रीय सरकार का बजट आने से पहले "टेलीविजन सेट खरीदें" अनुरोध कर हम सभी को उकसाते रहे। इन भविष्यवक्ताओं की भविष्य-वाणी के सटीक ठहरने पर उनकी सराहना करते हुए मैं टेलीविजन सेटों के मूल्यानुसार शुल्क की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। एक्सटेंडेड प्लेइंग रेकार्डों को भी शुल्क लगने वाली चीजों की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। इन प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप धनिकों के लिए मनोरंजन अधिक मंहगा हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि कम सुविधा प्राप्त लोगों को संगीत, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन अधिक बड़े पैमाने पर और कम खर्च पर उपलब्ध हों और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मैं लघु औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाले और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक 225 रुपये तक की कीमत पर बेचे जाने वाले सभी रेडियो सेटों को पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। अनुमान है कि इन उपायों से 1.20 करोड़ रुपये का निवल राजस्व प्राप्त होगा।

60. मैं विभिन्न किस्मों के सूती कपड़े पर, जिसमें सूत भी शामिल है, लगने वाले शुल्क की दरों में राज्यों के लिए साधन जुटाने के सीमित उद्देश्य की पूर्ति को छोड़कर, कोई प्रमुख परिवर्तन करने से बचता रहा हूं। शुल्क की मौजूदा दरें "मात्रानुसार" हैं और ये 1969 में निर्धारित की गयी थीं जबकि यह उद्योग कठिनाइयों में फंसा हुआ था। इसलिए इनमें परिवर्तन करने की स्पष्ट जरूरत है, खास तौर पर इसलिए कि इस बीच इस उद्योग की स्थिति सुधर गयी है। चूंकि सूती कपड़ा आम इस्तेमाल की चीज है इसलिए मैं इस बारे में काफी सतर्क हूं कि कुछ किस्मों के सूत और कपड़े के शुल्क की दरों में वृद्धि करने में धीरज रखने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रस्तावों का सम्बन्ध केवल सुपर-फाइन, फाइन, और मिडियम-ए कपड़े से है, जिन पर मर्सेराइजिंग/श्रिंक-प्रूफिंग/सेन्फोराइजिंग जैसी परिष्कृत प्रक्रियाएं की जाती हैं। सूत के मामले में, केवल उंचे काउंट वाले सूत के शुल्कों में वृद्धि की गयी है। लेकिन मैंने "स्ट्रेट-रील्ड हैंक" के सूत के सम्बन्ध में, जिसका इस्तेमाल अधिकांशतः हथकरघा बुनकरों द्वारा किया जाता है, इस समय दी जाने वाली छूटों और रियायतों को नहीं छुआ है। मैंने कुछ छूटों और चक्रवृद्धि शुल्क दरों को भी युक्तिसंगत बनाया है। अनुमान है कि सूत और सूती कपड़े से सम्बन्धित इन उपायों से 22.05 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

61. दरों को युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में, जिससे राजस्व भी प्राप्त होगा, मैं पोलीएस्टर रेशे पर लगने वाले शुल्क की दो मौजूदा दरों को बढ़ा कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम की एक ही दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। पोलीएस्टर फिलामेंट धागे के विभिन्न डेनियर वर्गों पर लगने वाली मौजूदा दरों में उपयुक्त वृद्धि करने और इसके अनुरूप स्टेपल फाइबर स्पन यार्न और कुछ किस्मों के मिश्रित धागे की शुल्क-दरों को संशोधित करने और रेसिन-बांडेड स्लैगवूल के शुल्क की दरों में वृद्धि करने के भी प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों से 13.99 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

62. लोहे और इस्पात के मामले में मैं पिग आयरन, स्टील इंगाट और बिजली की भट्टी से तैयार वस्तुओं और स्टील इंगाट के ऐसे टुकड़ों से, जिनका शुल्क चुका दिया गया हो, बनी वस्तुओं से सम्बन्धित कुछ छूटों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके परिणामस्वरूप 7.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

63. विभिन्न श्रेणियों के कागज और गत्ते के शुल्क की दरें "मात्रानुसार" हैं और उनमें समय समय पर संशोधन करने की जरूरत पड़ती रहती है। मैं कागज और गत्ते के शुल्कों की मौजूदा दरों में उपयुक्त वृद्धि करने का और इसके अलावा कुछ छूटों और वर्गीकरण को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन आम किस्मों के छपाई और लिखने के कागज पर, जो अधिक से अधिक 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की "ग्राम"—सीमा के अन्तर्गत आता है, लागू 15 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायती दर, अखबारी कागज, हाथ के बने कागज और गत्ते के मामले में मिलने वाली पूरी छूट और छोट कागज-कारखानों और नव-स्थापित कारखानों के बारे में मौजूदा रियायतें जारी रहेंगी। इन उपायों से 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

64. राजस्व जुटाने के सीधे उपाय के रूप में, मैं सर्फेस एक्टिव एजेंट, कार्यालय-मशीनों, धातुओं के बने डिब्बों, रोलिंग बेयरिंगों, वेल्डिंग इलेक्ट्रोडों, कोटेड एब्रेजिव्स और ग्राइंडिंग व्हील्स, ड्राई बैटरियों, कुछ किस्मों के शीशे और शीशे की वस्तुओं, चीनी मिट्टी की चीजों और पोर्सलेन की चीजों की मौजूदा दरों में 5 प्रतिशत की मूल्यानुसार वृद्धि करने और इस प्रकार 20.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूं।

65. साधन जुटाने के हमारे प्रयत्नों के एक अंग के रूप में पहली बार टूथ पेस्ट (डेंटल क्रीम सहित), इलेक्ट्रिकल स्टापिंग और लेमिनेशन, विशिष्ट कटिंग औजारों, टेप और कैसेट रेकार्डरों, ढली मिश्र धातु के स्थायी चुम्बकों, और फोटोग्राफी के सेंसिटाइज्ड कागज और गत्ते पर भिन्न भिन्न दरों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। सदस्यों को यह जान कर तसल्ली होगी कि जहां जरुरी है वहाँ छोटे निर्माताओं को समुचित छूट दी गयी है। इन नये शुल्कों से 8.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

66. उत्पादन-शुल्क में वृद्धि के कुछ अन्य प्रस्तावों से 3.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। उत्पादन-शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों से 1974–75 में राजस्व में 191.97 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि होगी जिसमें से 25.92 करोड़ रुपया राज्यों को और 166.05 करोड़ रुपया केन्द्र को प्राप्त होगा।

सीमा शुल्क

67. सीमा-शुल्कों के मामले में, वस्तुओं की बढ़ती हुई विश्व-व्यापी कमी और विदेशों से मंगायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए, मेरे प्रस्ताव सीमान्तिक हैं। सारांश यह है कि मैं सहायक सीमा-शुल्कों को और उनसे सम्बन्धित छूटों को, मामूली संशोधन सहित, एक और वर्ष के लिए जारी रखना चाहता हूं। इस समय ये शुल्क 20 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की तीन भिन्न भिन्न दरों से लगाये जाते हैं। मैं बीच के खण्ड पर लागू होने वाली दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संशोधन से पूरे वर्ष में 16 करोड़ रुपय की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी।

68. मेरे दूसरे, एक ही, प्रस्ताव का सम्बन्ध व्हिस्की, ब्रांडी, जिन और कुछ अन्य शराबों के बुनियादी शुल्क को 60 रुपये लिटर से बढ़ा कर 80 रुपये प्रति लिटर करने से है। हालांकि इससे समाज के अपेक्षाकृत उंचे वर्ग को अपने मादक मनोरंजन के लिए कुछ ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी लेकिन मुझे राजकोष के लिए कुछ राजस्व जुटाने में सहायता मिल जायेगी।

69. उत्पादन-शुल्कों में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्कों से होने वाले परिवर्तनों सहित, आयात शुल्कों, से प्रति वर्ष 20.05 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

70. सीमा-शुल्कों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों को इकट्ठा लेने पर, राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद, केन्द्र को पूरे वर्ष में 186.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

डाक और तार

71. अब मैं अपने सहयोगी संचार मंत्री की ओर से कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि सदन को मालूम ही है, डाक की दरों में, बढ़ती हुई लागत के साथ साथ वृद्धि नहीं हुई। मंहगाई भत्ते में बार बार वृद्धि होने और वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर भारी अतिरिक्त व्यय होने के कारण डाक शाखा का जो एक श्रम प्रधान प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान व्यय और अधिक बढ़ गया है। दूर-संचार शाखा में भी, संचालन लागत और विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरणों की लागत में भी लगातार वृद्धि होती रही है। माइक्रो-वेव और को-एक्सियल प्रणालियों जैसे उच्च ग्रेड के साधनों की व्यवस्था करके ट्रंक टेलीफोन सेवा में सुधार करने, टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने और ट्रंक डायलिंग और टेलीप्रिन्टर सुविधाओं का विस्तार करने के लिए डाक-तार विभाग के सभी विकास कार्यक्रमों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी बातों के कारण डाक-तार विभाग की, डाक, टेलीग्राफ और टलीफोन की दरों में वृद्धि कि जाने की आवश्कता है। बजट-पत्रों के साथ एक ज्ञापन बांट जा रहा है जिसमें डाकतार की दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी दी गयी है। इसलिए में केवल अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनो का उल्लेख करूंगा।

72. पोस्ट-कार्ड की कीमत को 10 पैसे से बढ़ा कर 15 पैसे कर देने का प्रस्ताव है। इस वृद्धि के बाद भी इस विभाग को इस सेवा के संचालन पर प्रति वर्ष 2-43 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ेगी। लेटर-कार्डों की कीमत को 15 पैसे से बढ़ा कर 20 पैसे और 15 ग्राम तक के वजन वाले लिफाफों की कीमत 20 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे कर देने का प्रस्ताव है। रजिस्ट्रेशन फीस को 1 रुपये से बढ़ा कर 1.25 रुपये और प्रत्येक 400 ग्राम के लिए पार्सल की दर को 1 रुपये से बढ़ा कर प्रत्येक 500 ग्राम के लिए 1.50 रुपये किया जा रहा है। वी० पी० पी० की डाक-दर और बिजनेस-रिप्लाई पर्मिट की दरों में संशोधन किया जा रहा है। 'सामान्य' श्रेणी के 8 अथवा उससे कम शब्दों वाले प्रेस-भिन्न तार की न्यूनतम दर को 1.20 रुपये से बढ़ा कर 1.50 रुपया और 'एक्सप्रैस' श्रेणी के तार की दर के 2.40 रुपये से बढ़ा कर 3.00 रुपये किया जा रहा है। लेकिन प्रत्यक अतिरिक्त शब्द के लिए दर वही रहेगी जो पहले थी। टेलीफोन कनेक्शनों की 'मापित दर प्रणाली' और 'एक-समान दर प्रणाली' दोनों की दरों में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। लेकिन एक तिमाही में मुक्त कालों की संख्या को 250 से बढ़ा कर 300 कर दिया जायगा। 300 कालों के बाद की प्रत्येक अतिरिक्त काल की दर को 20 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे कर दिया जायेगा। ट्रंक काल दरो के ढांचे को भी युक्ति संगत बनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 100 से 1300 किलोमीटर तक के बीच के फासले के लिए ट्रंक काल की दर में वृद्धि होगी, लेकिन 20 किलोमीटर की दूरी तक के स्टेशनों के बीच की गयी कालों के सम्बन्ध में एक 'सामान्य' काल के लिए 25 पसे का शुल्क लिया जायगा जबकि आजकल इन कालों का शुल्क 50 पैसे प्रति काल है।

73. दरों में किये गये इन संशोधनों से प्रति वर्ष 57.08 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ये परिवर्तन उन तारीखों से लागू किये जायेंगे जो संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किये जाने के बाद अधिसूचित की जायेंगी। 1974-75 के वित्तीय वर्ष में 42.80 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

74. डाक और तार विभाग के आन्तरिक साधनों का हिसाब लगाते समय इन परिवर्तनों के परिणामों पर ध्यान रखा गया है।

75. जहां तक केन्द्रीय बजट का सम्बन्ध है, विभिन्न प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1974-75 में कुल मिलाकर 186 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। तदनसार, बजट का 311 करोड़ रुपये का घाटा, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था, अब कम होकर 125 करोड़ रुपय रह जायेगा।

76. अन्त में मैं फिर एक बार सदन का ध्यान पिछले दो वर्षों में हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने यह दिखा दिया है कि कुछ घटनाएं बजट के मूल अनुमानों को कितना ज्यादा उलट पुलट सकती हैं। अगले वर्ष में परिस्थितियों के अस्थिर रहने के अनेक कारण बने हुए हैं जो पहले कभी नहीं थे लेकिन इन कारणों का समाधान हमें तत्परता से व अपने को ढालते हुए करना है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम इन अनिश्चितताओं के कारण अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने देंगे। इस समय हम जिन सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आखिरकार, उन्हें सामाजिक उद्देश्यों वाली विकासशील अर्थव्यवस्था के ढांचे में ही हल किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि यह बजट इस दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है।

वित्त विधेयक, 1974

FINANCE BILL, 1974

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : श्रीमान् जी, मैं ने इस का विरोध करने की सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। गत वर्ष भी आप ने यह प्रश्न उठाया था और मैंने आपको पूर्व परम्परा अथवा प्रथा के बारे में बताया था जिसका अतीत में पालन किया जाता रहा है और मैंने आपसे उसी का पालन करने की प्राथना की थी। तब आप मत विभाजन के लिये मान गये थे।

श्री एस० एम० बनर्जी : सदस्य होने के नाते मुझे इसके पुरःस्थापित होने के कारण पर इसका विरोध करने का अधिकार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : गत वर्ष आपने इन्हें अनुमति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल मतविभाजन की अनुमति दी थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत यह विधेयक अन्य विधेयकों की तरह का ही है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूर्व परम्परा का भी पालन करना होता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : वित्त मंत्री के भाषण को सुन लेने के बाद मेरा यह मत बन गया है कि यह वास्तव में सरकार की आर्थिक नीति की असफलता का ही प्रतीक है। कृपया मुझे इसका विरोध करने का अवसर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में मत विभाजन करा कर इस का विरोध कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : वित्त मंत्री के भाषण को सुन लेने के पश्चात मैं इस परिणामपर पहुचा कि यह बिलकुल आवश्यक है ...

अध्यक्ष महोदय : आप को उसके लिए बाद में पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान् जी, मै इस विधेयक का विरोध करता हूं। सरकार काले धन का पता लगाने में असमर्थ रही है ...

(व्यवधान)

Shri Madhu Limaye (Banka) : If you are going to allow him to appose this Bill, we would also like to oppose it . Some years back I also gave a notice....

अध्यक्ष महोदय । मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा ।

Shri Madhu Limaye : At that time I was not allowed to oppose this Bill. I was not allowed to participate in the debate at that time. So either the rules should be followed..

अध्यक्ष महोदय : इस में यही सिद्धान्त लागू होता है । प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok-Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ages	Nos.
219	41

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात लोकसभा शुक्रवार 1 मार्च, 1974/10 फाल्गुन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 1, 1974 Phalguna, 10, 1895 (Saka)

भा०स०म०ना०—वि० 2—3 लोक सभा(एन०डी०)/74—14-5-74—490

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

3 LSS/74—1